खण्ड-274, अंक-5
बुधवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1889
(19 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरंभ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४०८

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली, खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशरफी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमद उल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोबिन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी,
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेंद्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री

ध्रुव कुमार, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसंत लाल, श्री (जालौन)
बसंत लाल, श्री (लखनऊ)
बसंत सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महो लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशी लाल, चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री

मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री (एटा)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकांत, श्री
रमाबल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजा राम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र दत्त, श्री
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री

रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबाबू मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सिंह, श्री
राम सुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री

लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लाल कृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेंद्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिनेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र श्री
हरीश चन्द्र सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट--उद्योगमंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ जुलाई, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दिल्ली जिला मुजफ्फरनगर सड़क पर बस की लूट

****१—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर), श्री विष्णुस्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—**

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिल्ली–मुजफ्फरनगर सड़क पर मुजफ्फरनगर से मेरठ की तरफ ६ वें मील पर पुल के पास रोडवेज की एक बस ७ जुलाई, १९६७ को रात्रि के १० बजे लूटी गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

दिनांक ७–७–६७ की रात्रि में लगभग ९ बजकर ४५ मिनट पर ग्राम घासीपुरा से कुछ आगे, बैगरजपुर जाने वाली सड़क के पास, एक रोडवेज बस लूटी गई।

****२—श्री शुगन चन्द मजदूर, श्री विष्णु स्वरूप तथा श्री रामसिंह—**

क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ डाकू जो उसी बस में यात्रा कर रहे थे उन्होंने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर तथा कंडक्टर को उन्हीं डाकुओं में से दो आदमियों ने पकड़ लिया और जो कुछ उनके पास अपना व सरकार का कैश था, जबरन छीन लिया है? इस घटना से वहां की जनता में बड़ा भय एवं आतंक फैला है? सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रुस्तम सैटिन—

उक्त बस में यात्रियों के साथ कुछ बदमाश भी यात्रा कर रहे थे जिनमें से एक ने पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर से गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी के रुकते ही अन्य बदमाशों ने बस में बैठे यात्रियों, ड्राइवर व कंडक्टर का सामान और कैश लूट लिया। लूटे हुए कैश में ६४.४६ रुपये सरकारी धन था।

इस घटना से जनता में विशेष भय या अशांति नहीं है। इस घटना के संबंध में धारा ३९५ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें बैठे हुए यात्रियों को लाइन में खड़ा करके सबकी तलाशी ली गई और सब सामान डाकू लूट ले गये ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है वह इस प्रकार है कि उन्होंने पिस्तौल दिखाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। रुकने पर चार आदमी लोअर में और तीन आदमी अपर में खड़े हो गये। उनमें से किसी के पास पिस्तौल और किसी के पास छूरे थे। उन्होंने सब सामान यात्रियों से ले लिया। उनमें अटैची और ट्रांजिस्टर वगैरह थे। लाइन में खड़ा करके यात्रियों की जामा तलाशी लेने की कोई सूचना नहीं है।

श्री विष्णु स्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकारी रुपये के अलावा यात्रियों का कितना रुपया लिया गया है और क्या चीजें ली गई हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन--

जैसा मैंने कहा कि कंडक्टर से ६४ रुपये ४६ पैसे ले लिये गये इसके अलावा जो रुपया यात्रियों का लिया गया है वह १००१ । एक ट्रांजिस्टर जिसकी कीमत १२५ रुपये है, लूटा गया । इसके अलावा ४ घड़ियां, दो अटैची मय कपड़ों के तथा एक झोला मय कपड़ों के लूटा गया है । इनकी कीमत मालूम की जा रही है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या इस घटना की जांच के लिए किसी विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है या थाने की पुलिस ही जांच कर रही है ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मान्यवर, यह दुर्घटना रात्रि के करीब १० बजे हुई । फौरन ही बस थाने पर गई और कंक्डटर द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई और जांच एस० ओ० ने अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन यह जांच एस० पी० की देखरेख में हो रही है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह जानते हुए कि प्रदेश में इस तरह की वारदात अक्सर हुआ करती हैं और यह भी जाहिर है कि ट्रक्स और बसेज अक्सर रात में इसलिये चलती हैं ताकि उनको रास्ता साफ मिलता है, क्या यह मुनासिब नहीं समझते कि ऐसा इंतजाम पेट्रोलिंग का कर दिया जिससे आगे इस तरह की वारदातें न हुआ करें ?

श्री रुस्तम सैटिन--

मान्यवर, यह हुआ है मेरठ डिवीजन के जो डी० आई० जी० हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर मेरठ और बुलन्दशहर के अधिकारियों को खास कर, ऐसी जो घटनायें हुई हैं उनकी जांच के लिये एक विशेष मीटिंग बुलायी जिसमें इन तीनों जिलों में जो घटनायें हुई थीं और जो लोग कर रहे हैं उनको सम्मिलित किया गया और दूसरे पुलिस के अधिकारी सम्मिलित हुए । १५ तारीख को मीटिंग हुई । आपस में नोट्स एक्सचेंज किये गये । उनसे पता लगा है कि उन घटनाओं में अभियुक्त एक ही हैं, कुछ एक आध बदल जाते हों, वे पढ़े लिखे नौजवान मालूम होते हैं, उनके कपड़ों से ऐसा मालूम होता है और वे अंग्रेजी बोल रहे थे। वे आपस में नम्बर से पुकारते थे, जैसे नम्बर चार ट्रांजिस्टर छीन लो । जो मीटिंग हुई है उसमें नोट्स एक्सचेंज किये गये हैं। आशा है कि बहुत जल्द अभियुक्त पकड़े जायेंगे । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने इंतजाम के लिए इन सड़कों पर जहां पर इस प्रकार की घटनायें हुई हैं, पी० ए० सी० की गश्त का इन्तजाम मोटर द्वारा, जीप द्वारा कर दिया गया है और आखिरी जो मोटरें जाती हैं, उन बसों की हिफाजत का प्रबन्ध कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त और जो प्रबन्ध आवश्यक होगा और माननीय सदस्य जो कोई सुझाव देंगे हम उस पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

इस बात को देखते हुए कि मार्च, १९६७ से लेकर अब तक मेरठ रेंज में इस तरह की कई घटनायें हो चुकी हैं, क्या माननीय मंत्री जी ने वहां की नार्मल पुलिस मशीनरी पर ही भरोसा करके काम करने का निश्चय किया है या विशेष मशीनरी की आवश्यकता समझते हैं क्योंकि अन्य घटनाओं में मुलजिम नहीं पकड़े गये और इस घटना में भी कोई पकड़ा नहीं गया, इस बात को देखते हुए क्या वह आवश्यक नहीं समझते कि कोई स्पेशल दस्ता खोज और पकड़ने के लिये रखा जाय ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जैसा मैंने पहले कहा ७ को घटना हुई, १५ को मीटिंग बुलायी गयी जिसमें डी० आई० जी० जो काफी ऊंचे पद के अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं इस चीज को अपने हाथ में लिया और जांच की कोशिश हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रुटीन पुलिस तैनात है या उसके अलावा कोई खास ?

श्री रुस्तम सैटिन—

डी० आई० जी० जब जांच कर रहे हैं तो हो सकता है कि सी०आई० डी० का उपयोग करें, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी उनके साधन हैं, वह उसका उपयोग करेंगे ऐसी आशा है। अगर नतीजा नहीं निकलेगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो और प्रबन्ध किया जायगा। लेकिन जिस लेबिल से खोज हो रही है उस लेबिल में ही पकड़ जाने की आशा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि अक्सर जहां खतरे की सड़कें होती हैं उनमें आम तौर पर थाने की तरफ से पेट्रोलिंग होती है, तो क्या इस सड़क पर कोई पेट्रोलिंग थी ? यदि नहीं थी, तो कोई व्यवस्था ऐसी कर दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

पहले हिस्से का आप जवाब दें कि कोई पेट्रोलिंग थी, दूसरे हिस्से का जवाब आप दे चुके हैं।

श्री रुस्तम सैटिन—

पेट्रोलिंग की व्यवस्था उस समय थी या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पी० ए० सी० की गश्त लगा दी गई है और मोटर से भी गश्त की जा रही है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा कि जो डाका डालने वाले थे वह बुशर्ट व पैंट वगैरह पहने हुये थे और पढ़े लिखे लोग थे और ऐसा भी होता है कि पलिस वाले भी कभी-कभी संगठित डाकुओं का काम किया करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर पुलिस वाले ही इस वेश में जाकर इस तरह से डकैतियां डालने में शामिल हों, क्या इसकी भी मंत्री जी को जानकारी है ? यदि है, तो क्या वह इस पर कोई प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

उनके कपड़ों से लगता था और उनकी वेश-भूषा से लगता था कि वह पढ़े लिखे लोग थे, किन्तु मैंने शायद किसी विशेष कपड़ों का नाम नहीं लिया। लेकिन वे अपने कपड़ों-वेशभूषा से पढ़े लिखे नौजवान लगते थे। जहां तक पुलिस वालों का सवाल है, यह मैं कैसे कह सकता हूं जब तक कि कोई जानकारी न हो।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

यह घटना ७ जुलाई की है और बाकी घटनायें जिनकी चर्चा बहुगुणा जी ने की है, उसके पहले की हैं, किन्तु अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गये और मंत्री जी कहते हैं कि आवश्यकता होगी तो कुछ और इंतजाम होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी आप कितना और इंतजार करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह सही है कि अभी वे पकड़े नहीं गये, क्योंकि उनका नाम वगैरह कुछ पता नहीं है और इंतजाम की जहां तक बात है मैंने कहा कि डी० आई० जी० के स्तर पर जब पूरी कांफ्रेंस की गई, तो निश्चित है कि पुलिस के पास जितने साधन होते हैं, उनका प्रयोग तो हो ही रहा होगा, नहीं तो इतने उच्च स्तर पर कांफ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी यदि कुछ और इंतजाम की आवश्यकता होगी तो थोड़े दिन बाद देखने के बाद सोचेंगे।

श्री भग्गूराम (उपनाम भृगुनाथ) (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसे पहले भी मुजफ्फरनगर, मेरठ रोड पर कई इसी प्रकार की घटनायें हो चुकी हैं और वे डाकू अभी तक पकड़े नहीं गये हैं?

श्री रुस्तम सैटिन—

जैसा कि रिपोर्ट में है कुछ घटनायें हुई, वे बस में हुई या कहां हुई यह तो पता नहीं। दूसरी घटनायें इससे अलाहदा हैं, लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि शायद इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का उनसे भी संबंध हो और इसी आधार पर हम आशा करते हैं कि उनको हमें पकड़ने में आसानी होगी।

श्री विष्णु स्वरूप—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि ७ तारीख से अब तक मुजफ्फरनगर रोडवेज का हिसाब उन्होंने लगाया है कि मेरठ रोडवेज पर शाम को ६ बजे के बाद कितने टिकट बिके हैं?

श्री रुस्तम सैटिन—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

आपने ठीक कहा, लेकिन उनका कहना है कि वहां पर उस समय के बाद यात्रियों का बहुत कम चलना हुआ है इसकी जानकारी करने की कोशिश करेंगे?

श्री रुस्टम सैटिन—

यह जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह बहुत सही मालूम पड़ती है लेकिन टिकट कितना बिका, यात्रियों की संख्या घट गयी है या नहीं इसके लिये तो समय मिले तो बता सकता हूं, इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस घटना से पहले इस तरह की किसी और घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने या डी० आई० जी० ने कोई कार्यवाही की थी और यदि की थी तो वह क्या है?

श्री रुस्तम सैटिन—

इन्हीं सब घटनाओं को देख कर ही तो कान्फ्रेंस की गयी।

श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी जिस तरह से रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स चलती है उसी तरह से कोई बसेज की सुरक्षा के लिये बस प्रोटेक्शन फोर्स बनायेंगे?

श्री रुस्तम सैटिन—

अभी ऐसा कोई प्रोटेक्शन फोर्स हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मगर इस पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री शुगनचन्द मजदूर--

जिस वक्त यह बस मेरठ से चली उस वक्त उसमें कुछ औरतें भी थीं यह मेरी जानकारी में है और डाकू उन औरतों के जेवर उतार कर ले गये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त मेरठ से यह बस चली उस वक्त उसमें कितनी सवारियां और विशेषकर उसमें कितनी औरतें थीं?

श्री रुस्तम सैटिन--

सवारियां तो उसमें ४० थीं लेकिन औरतें कितनी थीं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

गल्ला लेवी वसूली के सम्बन्ध में जैतूपुर निवासी श्री रामचरन यादव की मृत्यु

**३--श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कृपया मख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या उनको श्री राम सेवक पंसारी, मन्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी, हमीरपुर का दिनांक ७ जुलाई, १९६७ का लिखा पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने हमीरपुर जिले के जैतपुर ग्राम के श्री राम चरन यादव की मृत्यु गल्ले की 'लेवी' वसूली के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा उनके साथ किये गये क्रूर व्यवहार के कारण होने की सूचना दी है?

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)--

जी हां।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गल्ला वसूली के सिलसिले में किस हालत में राम चरन यादव की मृत्यु हो गई?

खाद्य मंत्री (श्री झारखंडे राय)--

श्री रामचरन यादव की मृत्यु गल्ला वसूली के सिलसिले में जब कि उनको २३ तारीख को बुलाया गया ब्लाक हैड क्वार्टर पर उसके ४ दिन के बाद हुई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

क्या खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि रामचरन यादव की मृत्यु गल्ला वसूली के साथ जोड़े जाने के सम्बन्ध में जो सूचना है वह क्या है?

श्री झारखंडे राय--

गल्ला वसूली के सिलसिले में श्री रामचरन यादव की मृत्यु हुई है ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मौलिक प्रश्न का जो मंत्री जी ने उत्तर दिया और अभी जो अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया इन दोनों में अन्तर है। पहले पूछा था कि क्या गल्ला वसूली के सिलसिले में उनकी मृत्यु हुई तो कहा गया कि 'जी हां' और अब कहते हैं कि गल्ला वसूली के सिलसिले में नहीं मरे हैं?

श्री झारखंडे राय--

'जी हां' उत्तर इस कारण दिया गया कि उनके शिकायती पत्र में यह आरोप था अधिकारियों पर कि उनकी मृत्यु क्रूर व्यवहार के कारण हुई है। तो उसका उत्तर दिया गया कि "जी हां" ऐसा शिकायती पत्र मिला है।

श्री अध्यक्ष—

तो इस तरह की सूचना नहीं मिली है कि क्रूर व्यवहार के कारण गल्ला वसूली के सिलसिले में उनकी मृत्यु हुई है ?

श्री झारखंडे राय—

प्रश्न में वही बात है। जो शिकायत आई है उसमें वही शिकायत है कि मृत्यु हुई है। जानकारी हमने प्राप्त की। उसमें यह मालुम होता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि उन को २३ तारीख को ब्लाक हैड क्वार्टर पर बुलाया गया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी, हमीरपुर ने जो उनको शिकायती पत्र लिखा था उसमें क्या क्या बातें लिखी थीं ?

श्री झारखंडे राय—

उसमें शिकायत यह थी कि कानूनगो और लेखपाल, जैतपुर ग्राम के निवासी रामचरन यादव को, जिनकी उमर ६५ वर्ष की थी, पकड़ कर ले गये। आगे सूचना यह है कि उनके पास १३ एकड़ जमीन है। उसमें ९ एकड़ बेलाताल में पड़ी रहती है जिसमें कोई फसल नहीं होती है। बाकी में कुछ फसल होती है। जब वह उस कस्बे में पहुंचे तो उनको तकलीफ थी, वह लेट गये फिर भी उनको लोग किसी तांगे पर वहां से हैड क्वार्टर पर ले गये। वहां उनका कहना है कि वह धूप में बैठे रहे। जब उन्होंने पानी मांगा तो किसी ऐसे आदमी से पानी देने के लिये कहा गया जो सम्भवतः नीच जाति का था जिसके हाथ से पानी पीने में उनको एतराज रहा। उन्होंने पानी नहीं पिया। शाम को उनको वहां से छोड़ दिया गया। वह वापस गये। वापस आने के बाद उनकी हालत गिरती गई। इस शिकायती पत्र में यही सब वर्णन है।

श्री केशव देव (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाक हैडक्वार्टर पर वह किस कायदे और कानून से बुलाये गये थे ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, सूचना से यह मालूम होता है कि उस गांव के कई आदमियों ने लेवी बिलकुल नहीं दी थी। इसलिये उनको बुलाया गया था और सूचना यह है कि एस० डी० एम० ने उनको समझाया कि आप को लेवी देनी बाकी है, आप उसे दे दीजिये। उस गांव में राम चरण यादव के अतिरिक्त भी तीन, चार आदमी आये थे। उनके भी बयान लिये गये और सबको समझा बुझा कर छोड़ दिया गया है। यह सूचना मेरे पास है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उनको बुलाया गया और समझा बझा कर छोड़ दिया गया और वह बीमार भी थे। जब उन्होंने पानी मांगा तो पानी नहीं दिया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन को पकड़ कर लाया गया और उन पर....

श्री अध्यक्ष—

अभी जो मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया वह शिकायती पत्र था। वह उनके पास वहीं से आया है। आप पहले पूछ लें कि वे किस समय लाये गये थे।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लेखपाल और कानूनगो उनको किस वक्त पकड़ कर लाये और किस वक्त उन को एस० डी० एम० के सामने पेश किया गया और कब उन को छोड़ा गया ?

श्री झारखंडे राय--

जो सूचना है उसमें किसी वक्त का वर्णन नहीं है कि वह किस समय आये और उनको किस समय छोड़ा गया। शिकायती पत्र में यह जरूर है कि वह शाम को वहां से वापस भेजे गये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री रामचरन यादव का गांव ब्लाक हैडक्वार्टर से कितनी मील दूर था और लेखपाल और कानूनगो उनको किस सवारी में ब्लाक तक लाये थे?

श्री झारखंडे राय—

किस सवारी से लाये इसकी सूचना नहीं है, लेकिन सूचना यह है कि श्री रामचरण यादव दमे के मरीज थे। उनकी उम्र ७० वर्ष की थी और २३ तारीख का यह वाकया है और उनकी मृत्यु २७ और २८ की रात में सुबह के समय हुई है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मंत्री जी का कहना है कि जिस समय उनको लोग लेने गये तो उनके पेट में तकलीफ थी। इस बात की जानकारी उनको किस आधार पर हुई कि उनके पेट में तकलीफ थी? कोई डाक्टरी रिपोर्ट है या उन्होंने स्वयं इस बात को कहा था? और यदि तकलीफ थी तो वह रोग क्या था?

श्री झारखंडे राय--

जो शिकायती पत्र मिला है हमीरपुर कांग्रेस कमेटी का उसमें चर्चा है इस बात की कि उनकी पसलियों में दर्द था, लेकिन सरकारी सूचना के अनुसार उनका स्वास्थ्य साधारण था जैसा कि एक दमे के मरीज का होता है और कोई विशेष बात उस समय नहीं थी।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके साथ दुर्व्यवहार के संबंध में कोई रिपोर्ट पुलिस में अथवा जिला अधिकारियों के पास हुई है?

श्री झारखंडे राय—

जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके गांव, जैतपुर, जहां कि एक पुलिस चौकी भी है, वहां के चौकीदार ने कुलपहाड़ थाने में आकर यह रिपोर्ट की कि रामचरण यादव मर गये हैं। चौकीदार ने यह रिपोर्ट दिन में डेढ़ बजे की थी। उसने बतलाया कि उन के कोई वारिस नहीं है, घर में लाश पड़ी है और उनकी संपत्ति और जायदाद जो कुछ है वह भी वहीं पड़ी है। उसके लिये कोई वाजिब कार्यवाही होनी चाहिये दाह संस्कार आदि का और संपत्ति की सुरक्षा का। इसके बाद वहां के थानेदार ने एक कांस्टेबिल, एक हेड कांस्टेबिल के द्वारा एक लिखित आदेश जैतपुर की पुलिस चौकी को भेजा कि आप लोग उसकी लाश को अपने कब्जे में लें और उनके दाह संस्कार का प्रबंध करायें और जो संपत्ति है उस को कब्जे में लेकर तब तक रखें रहें, जब तक कोई वारिस न आ जाय। तो गांव के पं० तुलसीराम थे जिन्होंने तार दिया और झांसी से उनका एक भांजा जो सबसे करीब था वह आया और उसके हक में लाश और संपत्ति दी गयी और उसीने उनका दाह-संस्कार किया। उनका लड़का बलदेव यादव कहीं नौकरी कर रहा था दूर पर, वह बाद में आया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री रामचरण यादव जो ७० वर्ष की उम्र के सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक थे, तो किस कानून की धारा के मातहत, गल्ला वसूली के मातहत उनको ब्लाक हैडक्वार्टर पर आने के लिये बाध्य किया जा सकता था?

श्री झारखंडे राय--

३० जून के बाद जैसा कि मैंने एक दिन बताया था, जिन लोगों के ऊपर लेवी बाकी रह गयी है उनको नोटिस देने की बात है कि दिया जा सकेगा और वह जारी भी हो गया है। तो मेरा खयाल है कि वहां के अधिकारियों ने.....

(व्यवधान)

आपके हुक्म पर तो जवाब नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

जबकि खाद्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो क्या सदन के किसी सम्मानित सदस्य को यह हक प्राप्त है कि वह खाद्य मंत्री से उनके जवाब के बीच में इस तरह से टोकें कि वह इस तरह जवाब दें?

श्री अध्यक्ष--

चन्द्रशेखर जी, आपने यह प्रश्न न उठाया होता तो अच्छा था। मैं तो आदेश दे चुका था कि इसके बाद जो बातें कही जा रही हैं वह रेकार्ड का पार्ट नहीं होंगी। यह मैं व्यवस्था कर चुका हूं। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं कि जब माननीय मंत्री जी कोई बात कहें तो मुंह-दर-मुंह बात की जाय। यह तरीका गलत है, इसके कहने के बहुत से तारीके हैं जो ओपिन हैं।

श्री फूल सिंह--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कोई धारा लेवी के आर्डर में ऐसी है जिसमें लेखपाल किसी आदमी को पकड़ कर ले जा सकता है?

श्री झारखंडे राय—

जैसा मैं कह रहा था, ३० जून के बाद उनको नोटिस दिया गया है। उसी नोटिस के अनुसार उनको बुलाया गया होगा, ऐसा मेरा खयाल है।

श्री अध्यक्ष—

इनका तात्पर्य यह है कि क्या लेवी के संबंध में नियम या आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने गल्ला न दिया हो तो उसे ब्लाक हैडक्वार्टर पर बुलाया जा सकता है?

श्री झारखंडे राय—

इसकी मुझे सूचना नहीं है ठीक-ठीक कि कोई ऐसी धारा है कि नहीं।

श्री राममूर्ति--

खाद्य-मंत्री को इस प्रश्न की सूचना मिलने के बाद और जवाब आने के बाद, यह जानते हुए कि आदमी की मृत्यु हो गयी है, क्या उन्होंने कोई ऐसी जांच बैठायी किसी रेस्पांसिबिल अफसर के जरिये से ताकि पूरे हालात का पता लग जाय?

श्री झारखंडे राय--

जब जो शिकायती पत्र हमीरपुर, जिला कांग्रेस कमेटी का मिला तो जिलाधीश को सूचना दी गयी, लेकिन उसकी रिपोर्ट इस सुबह तक प्राप्त नहीं हुई है। जो कुछ सूचना मिली है वह टेलीफोन से मिली है, थाने की और चौकी की रिपोर्ट है। जो बातें मेरे पास आ गयीं थीं उनके आधारपर जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो डेथ हुई वह कौन सी तारीख थी?

श्री झारखंडे राय—

उनकी मृत्यु २७/२८ की जून में हुई थी।

श्री नेकराम शर्मा—

इस सदन में माननीय खाद्य मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि ३० तारीख के बाद नोटिस दिया गया और यह भी बताया कि २७ को मृत्यु हुई और यह भी बताया कि ७० साल की उम्र और दमे से बीमार थे और यह भी स्वीकार किया कि उसको पानी भी नहीं मिला और सुबह को बुलाया गया, शाम को छोड़ा गया। तो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उ होंने कहा कि उनको कोई पीड़ा नहीं थी तो यह किस आधार पर कहा? क्या उन्हें किसी डाक्टर को दिखाया था या लेखपाल या कानून ने परीक्षा कर ली कि उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है?

श्री झारखंडे राय—

नेकराम जी दो चीजों को आपस में उलझा रहे हैं—जो सरकारी सूचना है और जो हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का पत्र है. . . ।

श्री अध्यक्ष—

जितनी बातें उन्होंने कहीं, बहुत लम्बा-चौड़ा उन्होंने जोड़ दिया तो पहले वाले हिस्से को छोड़ दें। केवल यह बता दें कि किस आधार पर, किस डाक्टर की जांच पर यह पता लगा उनके दर्द नहीं था?

श्री झारखंडे राय—

जो वहां से रिपोर्ट आयी है उसमें यह है कि जिस समय उनको लाया गया उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं थी। अब किसी डाक्टर ने जांच किया या नहीं किया, इसकी मेरे पास सूचना नहीं है और जो शिकायती पत्र है वह मरने के बाद प्राप्त हुआ, ।उसमें लिखा हुआ है कि दर्द था पसली में। तो शिकायती-पत्र भेजने वाले ने जो मरने के बाद सूचना दी कि दर्द था, यह तो वही जाने या खुदा जाने।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

माननीय मंत्री जी का यह आधार कि उनके दर्द नहीं था, इसका तो केवल डाक्टर के अलावा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो जब डाक्टर की रिपोर्ट नहीं है तो किस आधार पर वह कहते हैं कि उनको दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी?

श्री झारखंडे राय—

अगर उनके दर्द रहा होता तो डाक्टर को दिखाया होता, लेकिन वह अपने गांव से जो ६ मील दूर है, मेरा अन्दाज है कि पैदल ले आये गये हैं, जहां कस्बे से हमारी सवारी मिली है वहां से सवारी पर उनको ब्लाक हैडक्वार्टर तक ले आया गया होगा, ऐसी सूचना नहीं है, मेरा अपना अन्दाज है। इसी बीच में किसी डाक्टर ने तो उनको देखा नहीं। शिकायती-पत्र कहता है कि दर्द था और सूचना कहती है कि नहीं था। सत्य क्या है, मुझे पता नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर—

जब आदेश थे कि ३० तरीख के बाद ही नोटिस दिया जायगा, फिर भी २३ जून को उनको हेडक्वार्टर पर क्यों बुलाया गया, और जिन अधिकारियों ने बुलाया क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी?

श्री झारखंडे राय—

मैंने पहले भी बताया था कि १५ जून के बाद सीजर की पावर दी गयी थी कि मौके पर जा कर गल्ला सीज भी कर सकते हैं। तो १५ और ३० के बीच में गांव में जाकर और बुलाकर वह गल्ला वसूल करने की कार्यवाही करते रहे हैं। मुझे जहां तक मालूम है यह कार्यवाही उसी आदेश के अनुसार हुई है जिसमें बुलाकर बात करने या जहां सुविधा हो वहां बात करने के लिये कहा गया है।

श्री भग्गू राम (उपनाम भृगुनाथ)—

जब उस व्यक्ति की मृत्यु अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण हुई तो क्या लाश का पोस्टमार्टम कराया गया ?

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल उस एरिया में दौरा करते हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि ऐसी-ऐसी मौत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पोस्टमार्टम कराया गया ?

श्री झारखंडे राय—

पुलिस में रिपोर्ट हुई, उसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई इसलिये पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय मन्त्री जी जितनी रिपोर्ट दे रहे हैं वह क्या जिलाधीश के पत्र के आधार पर दे रहे हैं या औरों से जो कुछ उन्हें मालूम हुआ उसके आधार पर ?

श्री झारखंडे राय—

जो कुछ जवाब दिया गया उसका आधार जिलाधीश की रिपोर्ट भी है, थाने में जो रिपोर्ट लिखाई गई है, वह है, मृतक व्यक्ति के पुत्र का बयान है, गांव प्रधान का बयान है तथा उस दिन लेवी के संबंध में जिन आदमियों को और बुलाया गया था, उनका बयान है।

श्री फूल सिंह—

मान्यवर, प्रश्न किया गया कि क्या कानून के अन्तर्गत कानूनगो या लेखपाल द्वारा किसी को ले जाया जा सकता है या नहीं ? उसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा उन्हें यह पता नहीं, यह तो बहुत महत्व का प्रश्न है कि किस धारा के अन्तर्गत वे उसे ले गये, उसका जवाब आना चाहिये, बिना उसका जवाब आये हम लोगों को संतोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर सकते हैं, वे संतोषजनक उत्तर दें इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वे अनसैटिसफैक्टरी जवाब देते हैं तो सदन उसका मतलब निकाल सकता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर न आता हो तो मैं उसके लिये बाध्य कर सकता हूं, मगर क्या उत्तर वे दें, यह मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को इस बात की भी सूचना मिली है कि उनकी मृत्यु चोट के कारण हुई है ?

श्री झारखंडे राय—

जो उन्होंने सवाल किया है, ऐसी शिकायत तो शिकायत-पत्र में भी नहीं है। जो सूचना सरकार को प्राप्त हुई है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। उनके लड़के, श्री बलदेव सिंह यादव का जो बयान है, उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु....।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कोई न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

मैं समझता हूं कि इसकी कोई खास जरूरत इस समय नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि १५ जून से लेकर ३० जून तक अधिकारियों को आदेश दिये गये थे कि वे गल्ला घरों पर सीज कर लें और उन्हें बुलाने का कोई प्राविधान उसमें नहीं था, तो इस बात को देखते हुये क्या वे उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

मान्यवर, इस पर विचार किया जायेगा। मैं आपकी आज्ञा से एक चीज पढ़ रहा था, (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपा करके पूरी बात सुन लें। मैं डर नहीं रहा हूं। मेरे पढ़ने के बाद वे जो आपत्ति करना चाहें वे कर सकते हैं। पढ़ने के बीच में टोकना उचित नहीं है.....

"श्री बलदेव सिंह, पुत्र श्री राम चरन यादव, साकिन जैतपुरा जिला हमीरपुर, ने बयान किया कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु दैविक हुई। किसी ने मारा पीटा नहीं है। उन्हें लेवी के लिये २३-६-६७ को बुलाया गया था और मृत्यु २७-२८ की रात को कोई हुई। सुनकर तसदीक किया।

द: बलदेवसिंह।

श्रीमन्, ऐसा ही एक और बयान श्री मंटीलाल की ओर से भी है जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर वह भी इसी प्रकार का हो तो मत पढ़िये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने अपने प्रथम प्रश्न के उत्तर में बताया कि उनका लड़का बहुत दूर कहीं नौकरी करता था। मैं जानना चाहता हूं कि उनके लड़के ने जो बयान दिया है वह हियरसे के आधार पर दिया है ? उस लड़के को कोई जानकारी इनके बुलाये जाने और मृत्यु के सम्बन्ध में नहीं है।

श्री झारखंडे राय—

यह बयान मैंने पढ़ दिया। बयान पर उनके दस्तखत हैं। कैसे कहा है ये वह जाने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह अनुचित है कि माननीय सदस्य यह कहें कि इस प्रश्न के लिये समय नहीं दिया गया है। इसी प्रश्न पर बीस मिनट से ज्यादा समय हो गया है। आप का सहयोग था इसलिये इतना समय भी दिया गया।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, एक आदमी जान से मार डाला जाय इससे महत्वपूर्ण और क्या प्रश्न हो सकता है क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वह मृत्यु २७-२८ की तारीख में रात को हुई और क्या यह सही है कि वे २७ को ही बुलाये गये और यह जो बयान लिया गया है वह उनकी हत्या होने के बाद लेवी माफ कर दी गई है ? क्या माननीय मंत्री जी आचार्य दीपंकर जी और चन्द्रशेखर जी की कमेटी बनाकर जांच करायेंगे कि यह बात सही है ?

श्री झारखंडे राय---

उनके पास १३ एकड़ की खेती है और डेढ़ क्विन्टल लैवी थी जो सवा क्विन्टल कर दी गई थी। इसमें जांच का क्या सवाल है ? उसकी वसूली की बात है।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा सवाल था कि आचार्य दीपंकर की अध्यक्षता में इस हाउस की कमेटी बनाकर जांच कराने के लिये मंत्री जी तैयार हैं ?

श्री झारखंडे राय---

मैं समझता हूं कि ऐसी कमेटी की जरूरत नहीं है। (शेम के नारे)

श्री राममूर्ति---

किसी की साधारण मृत्यु पर इस प्रकार के बयानात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं लिये जाते हैं। क्या मंत्री जी किसी हाई पावर कमेटी या जुडिशयल जांच कराके सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय---

मैं समझता हूं कि राममूर्ति जी जानते होंगे कि मरने की खबरें थानों में दर्ज होती हैं। (नहीं होतीं की आवाजें)। लेकिन जो बयान लिये गये हैं वे इस सवाल के बाद जो प्रार्थना पत्र आया उसकी जांच के दौरान में ही लिये गये होंगे।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)---

माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुये क्या मंत्री जी किसी मैजिस्ट्रेट से या डी० एम० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय---

मैं इसकी जांच झाँसी के कमिश्नर से कराऊंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बुन्देलखंड के इलाके में छूट की सीमा क्या थी, राम चरन यादव की कुल खेती उस सीमा से कितनी ज्यादा थी ?

श्री झारखंडे राय---

१२ एकड़ तक की छूट थी और इनकी होल्डिंग १३ एकड़ थी।

जेवर थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

**४—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस स्टेशन आफीसर, जेवर, जिला बुलन्दशहर के खिलाफ, जुलाई, १६६७ में कुछ विधायकों ने अपनी हत्या कराने के आरोपों के सम्बन्ध में उप गृह मन्त्री को पत्र व प्रार्थना-पत्र लिखा है ? यदि उप गृह मन्त्री को कोई ऐसा पत्र व प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि उप गृह मन्त्री ने उक्त पत्र व प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश दिये हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जी हां। उसमें लगाये गये आरोपों की जांच कराने के लिये पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को आदेश भेजा गया है।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कौन अधिकारी करेगा और वह कब आरम्भ होगी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं। आई० जी० पी० को अभी कहा है।

श्री चन्द्रशेखर—

इस आरोप की गम्भीरता को देखते हुए क्या मंत्री जी उस दरोगा को ससपैंड करके जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

घूस के भी आरोप थे। इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। महानिरीक्षक के प्राइमा-फेसी केस देखने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

इस दरोगा के खिलाफ सन् ६६ में कम्प्लैंट अफसर ने रिश्वत की जांच की थी, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रुस्तम सैटिन—

मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

वे कौन विधायक हैं जिन्हें दरोगा ने जान से मरवाने की धमकी दी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

कोई एम० एल० सी० हैं। श्री विक्रम सिंह दरोगा का नाम है। प्रसोपा के कार्यकर्ता श्री आनन्द प्रकाश व स्वामी नैमपालसिंह एम० एल० ए० हैं, जो इस जांच का सबूत जुटा रहे थे कि बदमाशों से साजिश करके दरोगा ने उन्हें जान से मरवाने का जाल रचा।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

मैं माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि उस पत्र में, जिसमें कि विधायक की हत्या के लिये लिखा गया था, उसमें 'धमकी' शब्द था और श्री बेनीप्रसाद का नाम था जिनका नाम माननीय मंत्री जी ने नहीं पढ़ा, उनको मरवाने का प्रयत्न किया गया, क्या यह सही है कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री रुस्तम सैटिन—

माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही है। लेकिन जांच के आदेश महानिरीक्षक को दे दिये गये हैं, वे जांच करेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं इस विषय में फिर महानिरीक्षक से बात करूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो उनको सस्पेंड किया जायगा और अगर संबंधित पुलिस आफीसर के विरुद्ध कुछ भी मालूम हुआ तो उनके विरुद्ध सख्त से स त कार्यवाही की जायगी। इस प्रकार की धमकी किसी भी विधायक या नागरिक को अगर कोई देता है तो उसको किसी भी प्रकार से शील्ड करने का प्रयास नहीं किया जायगा, न उसको बचाने की कोशिश ही की जायगी।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश, विधान सभा ने अपनी दिनांक २७ जून, १९६७ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ७ जुलाई, १९६७ को प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ जुलाई, १९६७ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६७ का उत्तर प्रदेश का ४ था अधिनियम बन गया।

श्री धनराज यादव द्वारा श्री बनारसीदास के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया था। उसके संबंध में मैंने प्रश्न भेजने वाले सज्जन से तथा जिनके विरुद्ध वह प्रश्न था, उन दोनों से बातें कर लीं और उसके बाद मैं इस निर्णय पर आया हूं कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कल भी जैसा मैंने श्रीमन् से आग्रह किया था कि आप उसको पढ़ कर सुना दें। कल भी सदन को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा और आज भी कुछ नहीं मालूम पड़ा। इसलिये मेरा आग्रह है कि आप उसको पढ़ कर सुना दें तब उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

कल मैं इस पर अपना मत व्यक्त कर चुका हूं कि मैं सदन को जितनी सूचना दे देता हूं वही काफी है और नियमों से यह प्रत्यक्ष है। इस बारे में यही व्यवस्था मेरी आगे के लिये भी है कि यदि कोई माननीय सदस्य इस प्रकार का आग्रह करते हैं तो मैं ऐसी सूचना सदन को देने के लिये बाध्य नहीं हूं। फिर भी मैं आज इसको पढ़ कर सुनाये देता हूं, यद्यपि यह आगे के लिये कोई परम्परा न होगी। श्री धनराज यादव ने मुझे यह सूचना दी थी—

"कल रात्रि २ व्यक्ति मेरे पास आये। उन्होंने मुझसे कहा कि संविद हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जाति वालों के लिये कुछ नहीं कर रही है, हम उन्हें मालामाल कर देंगे। जितना रुपया चाहे ले लो तथा मत विभाजन के समय सदन से बाहर हो जाया करो, यह सुन कर मुझे क्रोध आया परन्तु अपने को शान्त रख कर मैंने पूछा—कांग्रेस के किस अधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति

[श्री अध्यक्ष]

आपके पीछे है ? इस पर उन्होंने बताया कि श्री बनारसी दास स्वयं आपके पास आना चाहते थे। श्री दास ने आपको उपमंत्री भी बनाने का आश्वासन दिया है तथा मैं उनके निर्देश पर ही आपसे बात करने आया हूं। इस प्रकार श्री बनारसी दास द्वारा लालच तथा दबाव के बल पर विधान सभा के भीतर मुझे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य निर्वहन करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार उनके द्वारा स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार की अवहेलना तथा आदरणीय सदन की अवमानना हुई है।

अस्तु, आपके माध्यम से मैं माननीय बनारसी दास के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।"

इस पर मैंने श्री धनराज यादव से बात की और उन्होंने बताया कि दो आदमी जो आये थे उनको मैं नहीं जानता, देखने से पहचानना सम्भव है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, श्री बनारसी दास जी से भी आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है। उनका कहना है कि वे विधान सभा के सदस्य भी नहीं थे और बाहर के आदमी थे। मैंने फिर श्री बनारसी दास से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं न तो श्री धनराज यादव को जानता हूं और न पहचानता ही हूं और न उन्होंने कभी किसी को भेजा है। यह शिकायत निराधार है और मुझ पर झूठे आरोप लगाने की इस तरह की बातें जो एस० वी० डी० की तरफ से हो रही हैं, उस पर पर्दा डालने के लिये यह किया जा रहा है। (व्यवधान)

मैंने पहले इसको जानबूझ कर नहीं पढ़ा था और मैं चाहता हूं कि आइन्दा इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप अगर न आयें तो अच्छा है। जब माननीय सदस्य को यह भी नहीं मालूम कि जो व्यक्ति आये थे वे कौन थे और उनके नाम क्या थे, मैं किसी को नहीं कह सकता कि वह जानबूझ कर गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आये और वह नहीं जानते कि वह कौन थे और यह मान लेना कि सदन के सदस्य ने ऐसा किया होगा और उसको मान कर शिकायत करना सर्वथा अनुचित है और माननीय सदन के सदस्यों की और सदन की मर्यादा पर घोर प्रहार उससे होता है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कोई और माननीय सदस्य कृपया इस तरह का प्रयास न करें। इससे न तो उनकी और न सदन की ही गरिमा बढ़ेगी।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि यह हम सबको विदित है कि दारुलशफा में बहुत से उद्योगपतियों के मुनीम और गुमाश्ते घूम रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें। तो मैं फिर यह कहता हूं कि जिन बातों का कोई आधार न हो ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है।

(श्री मधुकर दिघे का नाम पुकारे जाने पर तथा अनेक सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठें, मैंने श्री दिघे को बुलाया है।

(व्यवधान)

मैं अभी कह चुका हूं कि बहुत अच्छा हो कि सदन की गरिमा को सर्वप्रथम सामने रखा जाय। सदन की गरिमा और महिमा को देख कर अगर इस तरह के आरोप छुटपुट, बिना मेरी इजाजत के इधर और उधर से लगने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको सन्तोष भी हो जाय

कि आरोप लगा दिये लेकिन जनतन्त्र में यह लज्जा की चीज है और इस तरह के आरोप दोनों तरफ से आने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है वह बहुत ही लज्जा की बात होगी। तो इसलिये जब तक कोई निश्चित सूचना न हो, जब तक कोई विश्वास करने योग्य बात न हो, तब तक कोई माननीय सदस्य यदि कोई ऐसी सूचना सदन में देते हैं तो वे अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, और उनका ऐसा कहना अशोभनीय है, अनुचित है और जनतंत्र के लिये घातक है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य, श्री मुन्शी लाल जी, ने सदन में पहले भी और कल भी निश्चित आधार पर यह सूचना आपके सामने सदन को दी थी कि फलां फलां व्यक्ति उनके यहां पर गये, जीप लेकर, उन्होंने जीप का नम्बर भी दिया था, और उन्होंने माननीय सदस्य को ५० हजार रुपये औफर करने की बात भी कही.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके सुनिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह तो बेजा बात है कि ...(व्यवधान)

(इस समय सदन में शोर होने लगा और बहुत से सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये। श्री अध्यक्ष के आदेश देने पर भी व्यवस्था स्थापित न हो सकी।)

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय १२ बज कर १२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ। १२ बजकर २२ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष---

अभी सदन में १० मिनट पहले जो घटना चक्र हुआ उससे मुझे तो बड़ा खेद हुआ, मैं नहीं जानता माननीय सदस्यों पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जिनके हृदय में जनतंत्र के प्रति आस्था है शायद सभी को दुख हुआ होगा। मैं इस विषय में माननीय नेता सदन और नेता, विरोधी दल से बात करूंगा और फिर अगले बिजिनेस डे पर मैं, यदि आवश्यक हुआ तो, कहूंगा।

श्री मधुकर दिघे---

श्रीमन्, मुझे आपने बुलाया था सदन उठने से पहिले, तो मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

अब उस विषय को आप न छेड़ें।

श्री मधुकर दिघे---

तो मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

श्री राधेश्याम कपूर द्वारा श्री मुहम्मद रफी खां के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय राधेश्याम कपूर का आया है जिसे मैं नहीं मानता हूं। उनका कहना है यह है कि १३ जुलाई, १९६७ को प्रश्नोत्तर काल में माननीय मुहम्मद रफी खाँ, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ११–१२ पर जब चर्चा हो रही थी तब उस समय माननीय मुहम्मद रफी खाँ ने प्रश्न किया कि क्या मेसर्स रस्तोगी स्टेशनरी मार्ट, लखनऊ के यहां सेल्स टैक्स के कागज पकड़े गये? अर्थात्, मेसर्स रस्तोगी स्टेशनरी मार्ट बिलकुल निर्दोष साबित हो गये? इस पर माननीय रफी खाँ ने मंत्री जी को चैलेंज करते हुये आदरणीय सदन को सूचना दी कि लखनऊ पेपर हाउस तथा मेसर्स लखनऊ स्टेशनरी मार्ट, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार निर्दोष संस्था को जानबूझ कर बदनाम करने की नीयत से आदरणीय सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है क्योंकि दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इसस विशेषाधिकारों की अवहेलना स्पष्ट होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुहम्मद रफी खाँ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।

सूचना आने के बाद मैंने प्रोसीडिंग्स को देखा। पहले जब यह प्रश्न पूछा गया था तो संबंधित मंत्री ने जो जवाब दिया था, उसमें मेसर्स रस्तोगी पेपर हाउस का जिक्र था। प्रश्न था मेसर्स रस्तोगी पेपर मार्ट के विषय में और उन्होंने जो जवाब दिया था वह दिया था मेसर्स रस्तोगी पेपर हाउस के विषय में। इससे प्रत्यक्ष है कि वह स्वयं दोनों को एक समझ रहे थे। उसके बाद मैंने ही उन से पूछा कि अगर आप यह समझते हैं कि ये दोनों अलग हैं तब तो यह उत्तर होना चाहिय कि 'जी नहीं'। इतना कहा था। उसके बाद उन्होंने जो बात कही उससे ऐसा लगता था कि वे दोनों को एक ही समझते थे। लेकिन वह निश्चित बात नहीं कह सके। फिर मैंने प्रश्नकर्त्ता से पूछा तो उन्होंने कहा ये दोनों एक हैं। अब अगर इस बात को छोड़ भी दें, तो पहले जो उत्तर दिये गये उनको पढ़ने से मुझे यही आभास होता है कि माननीय मंत्री जी यही समझते हैं कि दोनों संस्थाएं एक हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक हैं। यह कहा है कि बात यह है कि मेसर्स रस्तोगी पेपर हाउस के यहां हमने सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में कागजात लिये थे, लेकिन प्रश्नकर्त्ता ने मेसर्स रस्तोगी, स्टेशनरी मार्ट के सम्बन्ध में पूछा था इसलिये समझा यह गया कि प्रश्नकर्त्ता का यह मतलब उसी से है जिससे सेल्स टैक्स आफिसर द्वारा कागजात लिये गये थे। इसके मानी यह है कि माननीय मंत्री भी यही समझ रहे थे जो माननीय प्रश्नकर्त्ता ने समझा। मैं बार-बार कह चुका हूं जो सूचना माननीय सदस्य देते हैं अपनी जानकारी पर देते हैं। उस पर यह मान लेना कि वह जानबूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं, यह उसका निष्कष नहीं हो सकता। इसे मैं बहुत विस्तारपूर्वक कह चुका हूं और यदि यह मान भी लिया जाय तो फिर माननीय सदस्यों की फ्रीडम आफ स्पीच बिलकुल सर्कमस्काइब हो जायगी और फिर कोई प्रश्न करना सेफ नहीं रह जायगा और माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की सेवा नहीं कर सकेंगे। जानकारी देने के पहले वे पूरी जुडीशियल इंक्वायरी करें, यह संभव नहीं है। लिहाजा जितनी सूचना वह देते हैं उस आधार पर, प्रश्नकर्त्ता जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं, यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता। यहां पर जो हमारे सामने सवाल है, उसमें मंत्री जी को भी उसका आभास था जैसा कि उनके प्रश्नों के उत्तर से लगातार मालूम होता है। पहले ही प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसका नतीजा यही निकलता है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रश्नकर्त्ता की उस सूचना से यह मतलब हरगिज नहीं निकाला जा सकता कि जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया। फिर माननीय प्रश्नकर्त्ता ने यह भी सूचना दे दी, उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस पर न कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है और न विशेषाधिकार समिति को इसे निर्दिष्ट किया जा सकता है।

श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा पुनः जन कांग्रेस दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। अयोध्या प्रसाद जी का यह पत्र है--"मैंने १४-१५ तारीख की रात्रि में आपको एक निवेदन-पत्र दिया था जिसमें मैंने लिखा था कि मैंने जन कांग्रेस दल से पृथक हो कर कांग्रेस विधायक दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है। वास्तव में मैं जन कांग्रेस दल ही में हूं और मेरा इरादा कांग्रेस विधायक दल में जाने का न था और न है। उस निवेदन-पत्र के देने का कारण आप आसानी से समझ सकेंगे यदि आपको याद हो कि वह पत्र मैंने आपको रात्रि के लगभग १२ बजे दिया था। आप इस बात की घोषणा सदन में कर दें कि मैं जन कांग्रेस दल का ही सदस्य हूं और संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित हूं।"

इसके साथ ही राज बहादुर द्विवेदी, मंत्री। जन कांग्रेस विधायक दल की यह टिप्पणी भी है--"श्री अयोध्या प्रसाद जी जन कांग्रेस विधायक दल के सदस्य स्वीकार किये गये हैं। कृपया इसकी सदन में घोषणा करने की कृपा करें।"

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

अयोध्या प्रसाद जी से कृपया जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि अभी कितनी बार वह पार्टी बदलेंगे ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

जितनी दफा गोस्वामी जी ने विधान सभा से इस्तीफा दे कर वापस ले लिया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

इस संबंध में हाई कोर्ट का जजमेंट हो चुका है.....

श्री उग्रसेन--

मैं चैलेंज देता हूं.....

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

मैंने उदित नारायण जी को चैलेंज दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें। जहां तक कानूनी अधिकार का सवाल है किसी भी माननीय सदस्य को कोई भी निश्चय करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें किसी नियम के अन्तर्गत कोई रोक नहीं है। उसकी नैतिकता, अनैतिकता को आप लोग देखें।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य-अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३--सार्वजनकि निर्माण कार्य जो राजस्व से

[श्री मंगलादेव विशारद]

किये जाते हैं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,६५,६५,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४–संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,११,३९,५०० रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६२,६४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय; तथा

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,६८,०८,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं अपने प्रारम्भ के भाषण में बहुत कम समय लूंगा । कारण यह कि माननीय सदस्यों के सुझावों को सुन कर मैं विचार करूंगा .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आपस में बातचीत बहुत हो रही है । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर बातचीत करना आवश्यक हो तो लाबी का प्रयोग करें ।

श्री मंगलदेव विशारद––

जो प्रश्न प्रस्तुत होंगे और जो उचित समझे जायेंगे उनका उत्तर देने की कोशिश की जायगी । इसके पूर्व इन तीन महीनों में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं इस विभाग के कुछ मदों पर, उसकी सूचना आपकी आज्ञा से मैं देना चाहता हूं ।

प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिये जितनी जमीनें ली जाती हैं वह चाहे भवन के लिये हों, चाहे पुल के लिये हों चाहे सड़क के लिये हों, प्रायः ऐसा बहुत दिनों से होता आया है कि निर्माण कार्य तो सम्पन्न हो जाता है लेकिन उनका मुआविजा ६,८,१० वर्ष तक कोई पूछता नहीं और गरीब आदमी जिसकी जमीन ली जाती है वह रोता रह जाता है और निर्माण करने वाले अधिकारियों का, जो उस जमीन पर कब्ज करते हैं, पता भी नहीं लगता । यही नहीं, मुआविजा देने की बात तो अलग रही, लेखपाल के कागज से वह जमीन बहुत दिनों तक कटती नहीं जिसके कारण उसका लगान भी उसे ही चुकता करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में शासन ने आवश्यक समझा कि इस पर कड़ी कार्यवाही की जाय । इस संबंध में सभी जिलाधीशों को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को यह साफ आदेश भेज दिया गया है कि एक महीने के अन्दर वह स्थिति साफ करें कि कितना मुआविजा बाकी है और देने में क्या कठिनाइयां हैं । जिनको मुआविजा देना भी होता है उनको दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर दिया जाता है और जितना उसे मुआविजा नहीं मिलता उससे ज्यादा उसे परेशानी उठानी पड़ती है और खर्च होता है । मैंने निवेदन किया है कि गांव में रहने वालों को गांव के प्रधान और लेखपाल और तहसीलदार के द्वारा उस व्यक्ति को मुआवजा दे दिया जाय । इस संबंध में सख्त कार्यवाही की बात कही गयी है, यदि किसानों को इस तरह से परेशानी हुई ।

एक सूचना और देना चाहता हूं जो शासन ने निर्णय लिया है निर्माण कार्यों में जो छोटे-छोटे मजदूर रहते हैं, जो आज भी सरकारी कर्मचारी नहीं हुये और बीसों वर्ष तक काम करते हुये बूढ़े होकर निकल जाते हैं और जिन्हें वर्कचार्ज मैन, प्रभारी कर्मचारी कहा जाता है उनकी बड़ी भारी समस्या रही। प्रदेश की तमाम यूनियनों द्वारा, तमाम कर्मचारियों द्वारा, तमाम संगठनों द्वारा बराबर दरख्वास्तें आती रही हैं। शासन का ध्यान इधर गया और उसने इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कोशिश की। मुझे खुशी है और इस माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी कि बहुत दिनों से जो उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारी माना जाय, ऐसी स्थिति में शासन ने उदारता की है और उनको अस्थायी राज्य कर्मचारी घोषित किया है और उन्हें सभी सुविधायें प्राप्त होंगी। यह कहना आवश्यक होगा कि उनकी कोई थोड़ी संख्या नहीं है, प्रदेश में इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या २० हजार के लगभग रही है। उन २० हजार में नियम के अनुसार तीन वर्ष तक जिन्होंने लगातार काम किया है और जिनके आगे भी काम करने की संभावना है उनके संबंध में शासन ने उदारता से निर्णय लिया है और उससे लगभग १५ हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे और जिन पर धनराशि एक करोड़ की बढ़ जायगी। जो छोटे कर्मचारी मैले कपड़े पहनते हैं, उनके संबंध में शासन ने बड़ी उदारता से यह निर्णय लिया है। सफेद कपड़े वालों ने तो जलूस निकाल निकाल कर अपने लिये १० करोड़ रुपया ले लिया। शासन ने तीन महीने में बड़ी उदारता से काम लिया है। मैं आदरणीय सदस्यों से चाहूंगा कि अगले वर्ष के कामों के लिये उनके जो भी सुझाव होंगे हम उन सुझावों पर ध्यान देंगे। नयी सरकार बनी, थोड़े दिन ही काम करने का मौका मिला। नया अनुभव है, नये आदमी थे। इसलिये हम चाहते हैं कि आपके सुझावों से हम लाभ उठावें।

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति की आलोचना करना और सुझाव देना कि--

(१) आजमगढ़ में मऊ-सुल्तानपूर सड़क का शीघ्र निर्माण हो,

(२) मुहम्मदाबाद-गोहना (आजमगढ़) में टोंस नदी पर पुल का निर्माण किया जाय आदि।

मान्यवर सार्वजनकि निर्माण विभाग देश और प्रदेश की प्रगति के लिये एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण विभाग है इस के द्वारा जो कार्य हम करते हैं उससे उस देश और प्रदेश की प्रगति का अन्दाजा लगता है कि हमने इन कार्यों को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, इसे भी हमें देखना होगा। किसी भी देश और प्रदेश के उत्थान के लिये, आर्थिक विकास के लिये, उसकी सामाजिक प्रगति के लिये, शिक्षा संबंधी साधन जुटाने के लिये इन सारी चीजों की प्रगति के लिये सार्वजनकि निर्माण विभाग का काम महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो सड़कों और पुलों का होता है उससे हमारे देश और प्रदेश की प्रगति का अन्दाजा लगता है। हम देखते हैं कि इस देश में और खास कर अपने प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वह दुश्मनों से घिरी हुई है। इस प्रकार उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हमारी सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी के साथ हों, उसका विकास हो, उसका उत्थान हो तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्रदेश की रक्षा उन साधनों के बढ़ा कर ही कर सकते हैं। आये दिन चीन द्वारा हमले की धमकी होती है

(अन्य कटौती के प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थ 'क' आगे पृष्ठ ४१७-४१८ पर।)

[श्री श्रीनाथ]

और उससे हमारा देश सचेत है । इन दृष्टिकोणों से भी और इसके साथ ही साथ अनेक शासन व्यवस्था में भी सड़कों का बहुत बड़ा महत्व है । हमारे प्रदेश की जैसी स्थिति है, खासतौर से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये, देश में शान्ति व्यवस्था कायम करने लिये, देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिये हमारे यहां सड़कों औरपुलों का बहुत बड़ा महत्व है और उसका बहुत बड़ा उपयोग है । हमारे यहां सड़कों और पुलों का निर्माण जितनी तेजी के साथ होगा, हम अपने देश के व्यापार और यातायात को उतनी तेजी के साथ बढ़ा सकेंगे और इससे हमारे दश की प्रगति होगी, देश का उत्थान होगा और देश की गरीबी को मिटा कर उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम उठा सकेंगे। इस प्रकार सड़कों और पुलों का निर्माण इस विभाग की ओर से होता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है

आज हमारी सरकार गल्ला वसूली की योजना बनाये हुये हैं। इससे सीधा संबंध गांव के किसान का है । अगर हम इसको सफल बनाना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि गांव जहां से किसान गल्ला उठा कर ले जाये उसके लिये मार्ग अच्छे होने चाहिये। ऐसी स्थिति मे हमारे सामने गल्ला वसूली की योजना में भी सड़कों और पुलों का बड़ा महत्व है । इस प्रकार मैंने निवेदन किया कि इनका निर्माण किसी भी देश और प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिये तीव्रता के साथ कार्य करने की जरूरत है ।

१९४७ में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे प्रदेश में सड़कों की लम्बाई ९,३८७ मील थी । १९४५ में नागपुर में मुख्य अभियन्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था और इसमें एक स्टार ग्रिड योजना बनाई गई थी । इसके अनुसार निर्णय लिया गया था कि हम अपने प्रदेश में इस प्रकार सड़कों का जाल बिछायें कि कोई भी गांव मुख्य सड़क से ५ मील से ज्यादा दूर न हो। यह योजना हमारे यहां लागू की गई थी। इस योजना के अनुसार सड़कों का जाल बिछाया जाता तो सड़कों की लम्बाई १६,५५३ मील होती। कांग्रेस सरकार २० साल तक सत्तारूढ़ रही। उसने सड़कों के महत्व को इस प्रकार समझा जैसे शरीर में नशों का महत्व होता है। इसी प्रकार सड़कें किसी देश में काम करती हैं जैसे नसें शरीर के हर भाग में रक्त का संचार करके उसको पुष्ट बनातीं हैं। इसी प्रकार सड़कों की व्यवस्था किसी देश में होनी चाहिये जिससे उसकी उन्नति हो सके। उसका उत्थान हो सके। इस प्रकार २० वर्ष में कांग्रेस ने इस योजना के अनुसार कार्य किया। हमारा लक्ष्य पिछले वर्ष तक १६,५५३ मील लम्बी सड़कें बनाने का था लेकिन हमने १६,९८५ मील लम्बी सड़कें बनाई। १९४७ में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे प्रदेश में जितनी लम्बी सड़कें थीं उनमें ७,५६३ मील की वृद्धि हुई। जितना हमारा लक्ष्य था उससे ४९७ मील ज्यादा लम्बी सड़कें हमने बनाई।

मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह संयुक्त विधायक दल की सरकार इस प्रकार के आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा रही है कि २० साल तक कांग्रेस सरकार का शासन रहा लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को इस फैक्ट्स के आधार पर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है और सड़कों की लम्बाई लक्ष्य से भी ज्यादा बनाई गई हैं। १९५८ में बम्बई में फिर दूसरी कांफ्रेन्स चीफ इंजीनियरों की हुई। उसने दूसरी योजना बनाई उसके अनुसार १९४५ में जो सूत्र रहा है उसके आधार पर जो लक्ष्य रहा है, अपने प्रदेश में सड़कों की लम्बाई को ठीक दूना करने का लक्ष्य बनाया। इस प्रकार २० वर्षों की योजना १९८१ में पूरी होवेगी। इसके माने यह हुये कि सारे उत्तर प्रदेश में सड़कों की लम्बाई २९ हजार २ सौ मील होगी। इस प्रकार हर वर्ष ८७५ मील सड़कें अगर हम बनायें तो उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे जो १९५८ में बम्बई में योजना के अनुसार बनाया गया था। कांग्रेस की सरकार ने निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। लेकिन इस सरकार की योजना क्या है? एक साल की योजना हमारे सामने है, उसको हम देखें कि सचमुच क्या हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? अगर उस लक्ष्य को पूरा करने की व्यवस्था नहीं की है, उस सरकार के विपरीत यह सरकार यदि

काम कर रही है, जो लक्ष्य से अधिक काम कर रही थी, तो क्या यह मौजूदा सरकार प्रगति की ओर न जाकर अवनति की ओर नहीं जा रही है ?

प्रस्तुत बजट हमारे सामने १२ करोड़ ८४ लाख २० हजार एक सौ रुपये का है। १९६६-६७ का सार्वजनिक निर्माण का बजट १४ करोड़ ४८ लाख २९ हजार रुपये का रहा है। इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है आर्थिक, सामाजिक और अन्य दृष्टिकोण से उसमें १ करोड़ ६४ लाख २८ हजार ९ सौ रुपये की कमी कर दी है। इस से यह साफ है कि सरकार प्रगति का काम नहीं कर रही है यह इसका ढोंग है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार बड़ी तेजी से काम करना चाहती है क्योंकि सड़कों के निर्माण का काम पुरानी सरकार के निर्माण के पीछे जा रहा है। पुलों और सड़कों के निर्माण के लिये जो खासतौर से उन्होंने रखा है वह ५ करोड़ रुपया है। पिछले वर्ष इस मद में ६०९ लाख रुपया था। इस प्रकार पिछले वर्ष में इस वर्ष से करीब १ करोड़ रुपया ज्यादा रखा हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष १९५१ में जो सड़कों और कुओं के निर्माण के लिये धन रखा गया था वह ५ करोड़ २२ लाख था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ७ करोड़ ८ लाख रुपया रखा गया था। इस प्रकार सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये दो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक रुपया रखा गया। लेकिन यह सरकार जो प्रगति का दावा करती है और इस प्रकार का ढोंग रचती है कि हम सारे देश को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं उसने सड़कों का निर्माण कम कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री का भाषण सुना, उसमें भी उनका यही कहना रहा है कि १९४७ में इस प्रकार प्रदेश में ९ हजार ४ सौ मील पक्की सड़कें थीं। १९६६-६७ में २९९ मील नयी सड़कें बनाने की योजना तथा ४५१ मील वर्तमान सड़कों के सुधार की योजना बनायी थी। इतना कार्य किया गया पिछले वर्ष में। इसके अतिरिक्त ५६ पुलों की योजना थी। यह रिपोर्ट माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश की थी। इस बार वर्ष ६७-६८ का जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उसमें उन्होंने घोषणा किया कि जहां पिछले वर्ष २९९ मील पक्की सड़कें बनवाई गई वहां यह १६२ मील पक्की सड़कें बनवाने जा रहे हैं। इस से अनुमान लगाना होगा कि क्या हम इस प्रदेश को प्रगतिशील बनाने जा रहे हैं।

जहां तक पुलों का सवाल है, पिछले वर्ष सरकार ने ५६ पुल बनवाये थे वहां इस वर्ष ८ पुल बनवाने की घोषणा की गई है। इससे विदित होता है कि सरकार के लोग देश और प्रदेश की प्रगति नहीं चाहते हैं, देश का उत्थान नहीं चाहते हैं; क्योंकि खासकार सड़कों का जो हमारे लिये विशेष महत्व है, व्यापारिक और आर्थिक महत्व की दृष्टि से, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा के विकास की दृष्टि से, वहां पर इस सरकार ने इनमें बहुत भारी कमी कर दी है। मैं समझता हूं यह देश की प्रगति के लिये नहीं है, बल्कि उसकी प्रगति के लिये घातक है। जहां तक योजना का प्रश्न है और जहां तक सरकार के बजट का प्रश्न रहा यह सरकार उदासीन है और विशेषकर सड़कों और पुलों के निर्माण में। इन्होंने सिर्फ भवनों के निर्माण में अधिक धन खर्च किया है। और कौन से भवन बनवाने में ये खर्च करेंगे, उनको आप देखें, कलक्टरों के खाना खाने के लिये भवन बनवाये जायेंगे, कहीं लिफ्ट बनाने के लिये और कहीं अहाते बनाने के लिये यह धन व्यय किया जायेगा। इस तरह से इसमें अफसरों की सुरक्षा और उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखा गया है, जनता के विकास और उसकी सुविधाओं पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं समझता हूं इस से देश का कल्याण नहीं होने वाला है।

मैं थोड़े शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे प्रदेश की सीमा दुश्मनों की सीमा से लगी हुयी है। पर्वतीय क्षेत्र

[श्री श्रीनाथ]

को यदि हमने समुचित रूप से इस विभाग द्वारा विकसित कर दिया तो वहां के पिछड़े लोगों को सुविधा होगी, वे अपना विकास कर सकेंगे, हम लोगों को आने जाने की सुविधा होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस से हम अपने देश और और प्रदेश को दुश्मनों से सुरक्षित रख सकेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में पुलों की भी विशेष आवश्यकता है, लेकिन उसकी ओर भी वहां पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी जिले जो हर दृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं और जिन चार जिलों को पटेल आयोग ने विशेष महत्व दिया था क्योंकि ये जिले बहुत ही पिछड़े हुये हैं इनका विकास किया जाना चाहिये, वहां के विकास के लिये भी सरकार की जो योजना है वह बहुत ही नगण्य है। जो कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में करने का प्रयास किया और किया भी उसको भी इस सरकार ने कम कर दिया है जो कि देश और प्रदेश की प्रगति के लिये हानिकर है। इन नीतियों के होते सरकार का बजट बढ़ेगा नहीं घटेगा, यह स्वाभाविक है। जब आपने योजना ही खत्म कर दी तो पैसा कम रखा ही जायेगा और कर्मचारी भी कम किये जायेंगे। इंजीनियरों, ओवरसियरों, अफसरों और दूसरे कर्मचारियों को भी खत्म करना पड़ेगा मुझे जो रिपोर्ट मिली है उस से स्पष्ट है कि १३४ ओवरसियरों .....

श्री अध्यक्ष--

मैं देख रहा हूं कि पिछली सीटों पर दो माननीय सदस्य गहरी नींद में हो सो रहे हैं। जरा जुगलकिशोर जी, इन्हें जगा दें।

श्री श्रीनाथ---

मान्यवर, हमने निवेदन किया कि जब कुछ योजनाओं को सरकार समाप्त करने जा रही है, करटेल करने जा रही है तो कर्मचारियों और अधिकारियों को भी कम करने वाले होंगे। उनका हटाना जरूरी है। और इसलिये इस सरकार ने १३४ ओवरसियरों को हटाने की योजना बनाई है। संभवत: बहुत से लोगों को आदेश दे भी दिये गये हैं। एक समय वह था जब हम चाहते थे कि देश में बेरोजगारी की समस्या न हो, देश में अधिक क्लर्क उत्पन्न न होकर इंजीनियर्स, डाक्टर्स और दूसरे प्रकार के टैक्निकल हैण्डस पैदा हों। यह स्वर्गीय जवाहर लाल जी चाहते थे। और जब हमने उनको ट्रेंड करने के लिये स्कूल खोले, उन पर काफी धन खर्च किया, सहायतायें दीं, दुनिया भर के अन्वेषण किया और उनको ट्रेंड किया, दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार ट्रेन्ड इंजीनियर्स और ओवरसिवर्स को हटा रही है। इस से एक तरफ हमारे प्रदेश में बेकारी की समस्या बढ़ेगी और दूसरी ओर हमारे यहां उत्साह में कमी हो जायेगी जो चाहते हैं कि टेक्निकल शिक्षा लेकर हम अपने देश के निर्माण में सहयोग दें। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि यह सरकार आगे जाने के बजाय पीछे ले जा रही है और खंदक में ले जा रही है और अगर कुछ दिनों यह रही तो प्रदेश गर्क में चला जायगा।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग जिस वर्ग से आते हैं उनसे उनको बड़ा प्रेम है, मजदूरों के प्रति उनको दया है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनके विभाग में संरक्षण के आधार पर जो प्रमोशंस हुये हैं उनकी नियुक्तियां समाप्त न की जायं। गरीब मजदूरों को हटाने के प्रश्न पर उनको दर्द है और इस विभाग में कुछ लोग हैं जो संरक्षण के आधार पर स्थान पाये हैं मुझे यह सूचना मिली है कि ऐसे प्रमोशंस पाये हुये लोगों का रिट्रेंचमेंट हो रहा है और सबके सब हटाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह शर्म की बात है।

श्री मंगलदेव विशारद--

जिनकी छटनी की गयी थी उन्हें मुक्त किया जाना रोक दिया गया है।

श्री श्रीनाथ--

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे निवेदन के पहले ही ठीक कर दिया है। अगर उनकी हमेशा यही सूझ बूझ रहे तो ठीक होगा और आज जो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो रहा

है उससे यह सरकार टिकने वाली नहीं है। एक बड़ा पैनिक इस विभाग में फैला हुआ है। वह उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में है कि जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वह सब डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। जो खराब हैं उसको मारा जाना तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके पीछे सबको मारने की कोशिश करना, सबको बेईमान, सबको खराब कहना गलत है। हर अधिकारी आज बोरिया बिस्तर बांधे तैयार है कि कब वह चला जायगा उसे पता नहीं है। जिनके खिलाफ शिकायत हो उनको खत्म करना तो समझ में आता है लेकिन जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी के किसी साथी ने कहा कि फलां अधिकारी ने यह काम नहीं किया बस फौरन उन्होंने आर्डर दे दिया। न कोई जांच न पड़ताल, किसी साथी को खुश करने या किसी को अपनी ओर मिलाने के लिये इस प्रकार किसी अधिकारी का स्थानान्तरण सस्पेन्शन, निकाला जाना आदि किया जा रहा है इससे सारे सरकारी अधिकारी भयभीत हैं, डर रहे हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मुझे समाचार पत्र में यह पढ़ने को मिला कि एक इंजीनियर साहब, जो किसी जमाने में आजमगढ़ में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, लखनऊ आये। माननीय मन्त्री जी को सूचना मिली कि कुछ बालू और सीमेंट का घपला है। वह घटना स्थल पर पहुंचे। किसी ने बता दिया कि यह गड़बड़ हो रहा है और इस पर उन्होंने उन इंजीनियर साहब को मुअत्तल कर दिया। वे अफसर पंजमाणी साहब हैं उनके बारे में आजमगढ़ में बहुत शिकायत रही है और इसमें वह भी शामिल थे। उनके खिलाफ भी कार्यवाही हुई। लेकिन मुझे यह जानकारी मिली है कि पंचमाणी साहब के खिलाफ जो कार्यवाही थी उसे दब व डाल कर स्थगित कर दिया गया और दूसरे इंजीनियर्स उसमें तबाह हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना जो हुई है उस बारे में क्या कार्यवाही हुई उसे बताया जाय।

श्री मंगलदेव विशारद--

कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनका स्टाफ ट्रान्सफर हो गया है और उचित कार्यवाही हो रही है। जांच हो रही है।

श्री श्रीनाथ--

बहरहाल, मेरी शिकायत जायज रही है और जो उनके खिलाफ आरोप हैं उनको मंत्री जी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी और बहुत सी बातें मुझे कहनी हैं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप सारी बातों को ५ मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री श्रीनाथ--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है और जिस प्रकार वह इस विभाग को ले चलना चाहती है उसमें तेजी लाने की बड़ी जरूरत है और प्रदेश के उत्थान के लिये जो पुरानी योजनायें हैं उनको तेजी के साथ आगे ले जाना पड़ेगा और इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां सड़कों और पुलों का निर्माण कम हुआ है, उनकी अधिक आवश्यकता है। वहां छानबीन कर के उन का निर्माण शीघ्र कराया जाय। तभी इस विभाग से सारा प्रदेश लाभान्वित हो सकेगा।

[श्री श्रीनाथ]

१९६६ में सिम्पोजियम हुई। एक संस्था ने कुछ अन्वेषण किये थे कि सड़कों और पुलों के बनवाने में किस किस प्रकार सीमेंट और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत सा सीमेंट जो वेस्ट होता है उसे बचाने की दृष्टि से कुछ प्रयोग किये गये थे। वह कार्य कांग्रेस के शासनकाल में प्रारम्भ किया गया था और उसने बहुत अच्छे सुझाव भी दिये हैं। उनके अनुसार बहुत सा निर्माण कार्य भी उस समय हुआ। मैं समझता हूं कि उस अन्वेषण को तेजी से ले चलना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि उस संस्था के सुझावों के अनुसार जहां तक हो सके सीमेंट आदि की बचत करते हुए निर्माण कार्य किये जायं ताकि सीमेंट का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके और पुलों आदि में शक्ति में कमी भी न आने पाये । इसलिये उन सुझावों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।

अंत में एक और निवेदन कर के मैं समाप्त करूंगा। यह सही है कि हम ने तेजी के साथ सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया। यह भी सही है कि हम अपने लक्ष्य से आगे भी गये, लेकिन एक शिकायत इस विभाग के बारे में हर माननीय सदस्य को और इस प्रदेश के हर नागरिक को है और वह है कमीशन सिस्टम की। जठेकेदारी प्रथा की और यह आरोप इस विभाग में हमेशा रहा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। जो कमीशन ओवरसियर्स और इंजीनियर्स को उस समय मिलता रहा वही आज भी मिल रहा है। तो अगर इस सरकार को भ्रष्टाचार रोकना है, अगर सरकार चाहती है कि स्वच्छ शासन चले तो इस प्रकार की योजना उनको बनानी पड़ेगी कि हम अपने प्रदेश में पी० डब्लू० डी० में किसी न किसी प्रकार इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी हमेशा इस बात का ध्यान देते होंगे। एक अजीब सी कहानी है, समय कम है। तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो करटेलमेंट हुआ है, ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वह न किया जाय। उससे बेकारी बढ़ेगी, प्रगति में बाधा आयेगी। सड़कों और पुलों का निर्माण जरूरी है। इस लिये जो संस्थान हैं, अन्वेषणालय हैं उनमें अधिक धन खर्च करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक काम ले सकें। सीमेंट और कांक्रीट का सही इस्तेमाल हो। बहुत सी योजनाओं में जो खोज की हैं उनके आधार पर सरकार के विभागीय अधिकारी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इसकटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का अभिनन्दन करता हूं। उन्होंने बजट भाषण में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा की कि जिसके लिए पिछले १५ साल से इस विधान सभा में और बाहर भी बराबर आन्दोलन किया जाता रहा। यह एक मानवता की समस्या थी। २० हजार अस्थायी कर्मचारी जो पिछले २० साल से सार्वनिर्माण विभाग में काम करते थे जिनके न कोई सेवा के नियम थे, न स्थायी-करण था, न पेंशन थी, न प्राविडेंट फंड की व्यवस्था थी, न नौकरी की सुरक्षा थी, उनके सवाल को लेकर समय समय पर बराबर आवाज उठायी गयी, लेकिन पिछली सरकारों ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी ने २० हजार में से १५ हजार के लिए घोषणा कर के उन्होंने वास्तव में एक महान कार्य किया है

दूसरी बात जो उन्होंने अपने संक्षिप्त और "टु दि प्वाइंट" भाषण में कही वह यह कि लोग मुआवजे के लिये मारे-मारे फिरते थे। उनके लिए आदेश दिया गया है कि उनको तुरन्त ही मआवजा दे दिया जाय और दे दिया जायगा। इसके साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव पर जो अभी लोरियां सुनायी गयीं कि जिससे कई माननीय सदस्यों को नींद आने लगी, मैंने उस को बहुत गौर से सुना। उसमें मुख्य बात कही गयी कि पिछली सरकार या पिछले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट में विभाग पर जितना रुपया खर्च किया जाता था उससे १ करोड़ से अधिक कम रुपया इस बजट में रखा गया है और यह कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण का काम ज्यादा तत्परता से होना चाहिए।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर) पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से पुस्तिका प्रकाशित हुई है, अगर उसे गौर से देखा होता और उन कामों की सूची देखी होती तो उनको पता चलता कि जितने काम इस समय निर्माणाधीन हैं उनमें से लगभग ७०-७५ फीसदी ऐसे हैं जो पहाड़ों के काम हैं। अन्त में जो सूची दी गयी है कि किस जिले में कितना लक्ष्य था और कितना पूरा हुआ, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अल्मोड़ा जिले में जहां सेंट-परसेंट लक्ष्य था उसकी जगह पर ११७ परसेंट लक्ष्य पूरा हो रहा है। यानी पहाड़ी जिलों में काम करने के लक्ष्य से भी ज्यादा काम हो चुका है और अगर यह कहते हैं कि यह चीज गलत है, कम रुपया दिया गया। तो उनका कटौती का प्रस्ताव बजाय इसके कि एक रुपया धनराशि में कमी कर दी जाय, ऐसा होने के कुछ बढ़ती का प्रस्ताव करना चाहिए था और इसको वापस लेना चाहिए। उन्होंने तो यह भावना व्यक्त की कि जो रुपया स्वीकृत किया गया उसके अतिरिक्त और भी रुपया मिलना चाहिए, मैं उनकी राय से पूरे तौर पर सहमत हूं।

अब मैं आपका ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना में जो सड़कों के संबंध में लिखा है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सड़क परिवहन द्वारा माल की ढुलाई में बहुत भारी वृद्धि हुई है। १९६०-६१ में ३३० अरब मिट्रिक टन माल भेजा गया था। वह सन् १९७०-७१ में ६०० अरब मिट्रिक टन तक पहुंच जायगा जो अभी तक यात्री सड़कों के जरिये से चलते थे वह ८०० खरब होते थे, उनकी १२०० खरब यात्रियों की संख्या होने जा रही है। तो जब कि हमारे यहां परिवहन का भार, असबाब और यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो यह जरूरी है कि सड़कों की तरफ, परिवहन के साधनों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाय। निर्माण विभाग की तरफ से पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें भूमिका में लिखा है कि "मार्गों के विकास से ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव है जिससे अधिक से अधिक जनता जीवन संबंधी आवश्यक सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकें।"

मान्यवर, हमारा जो शासन है, यह हम लोग केवल शासन ही नहीं करते। आज की सरकारें कल्याणकारी हैं जो शान्ति-व्यवस्था रखने के अतिरिक्त, देश की रक्षा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण और जनता के हित के काम किया करती हैं, वही काम अब सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह सड़कों की योजनायें हैं। असली बात तो यह है कि सड़कों के निर्माण पर ही शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य हर एक चीज निर्भर करती है। जहां जहां सड़क जाती है, लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, वहां शिक्षा जा सकती है, स्कूल खुल सकते हैं, मास्टर जा सकते हैं। जहां सड़कें बन जाती हैं वहां अस्पताल बन सकते हैं, अस्पताल की सामग्री और डाक्टर, मरीज पहुंच सकते हैं। इसी तरह से जितने भी काम हैं वह सड़कों के बिना नहीं हो सकते। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग के लिए अधिक रुपया लेना चाहिए और जो बेकार की योजनाएं चल रही हैं जिनमें पिछले २० वर्षों से करोड़ों, अरबों रुपया नष्ट करते चले आ रहे हैं उनको बन्द करके सड़कों के काम की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

[श्री सहदेव सिंह]

इसी संबंध में एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि अपने प्रदेश के ५४ जिलों में कुछ क्षेत्र ऐसे प्रेशर के बन गये हैं कि जहां हर काम हुआ करते हैं। एक तो पूर्वी जिले हैं कि कोई जरा सी बात हो तो पूर्वी जिले-पूर्वी जिले की आवाज समचारपत्रों में सुनाई पड़ती है। सरकारें भी ऐसी रही हैं जिनमें पूर्वी जिलों का ज्यादा वजन रहा है। एक पटेल कमीशन मुकर्रर हुआ, एक अशोक मेहता कमीशन, उन्होंने पूर्वी जिलों का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दी तो लाजमी तौर पर सरकार का ध्यान भी बहुत ज्यादा जाता है। जब से चीन का हमला हुआ या तिब्बत चीन के अधिकार में चला गया और चीनी फौजें हमारी सीमाओं पर घूमने लगीं तब से पहाड़ी इलाकों की तरफ भी ध्यान जाना स्वाभाविक हो गया है और पिछले दिनों तो भारी काम हुआ है और काफी पुलों और सड़कों का निर्माण हुआ है।

तीसरी तरफ बुन्देलखंड की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। लकिन हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र के हैं—कानपुर और आगरा के बीच में रहते हैं कि न तो पूर्वी जिलों में, न पश्चिमी जिलों में, न पहाड़ी जिलों में और न बुन्देलखंड में आते हैं। वहां की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उत्तर प्रदेश में जनतंत्र आये १५ साल बीत गये हैं और इससे पहले सन् ३७ में ढाई साल यहां पर सरकार रही, लेकिन इटावा का दुर्भाग्य है कि उसका कोई भी मंत्री आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ और उसका कारण यह भी रहा है कि इटावा जिला की तरफ कभी भी सूबे की सरकार का, राज्य की सरकार का या विधान सभा का ध्यान सही तौर पर नहीं गया है और आज जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की हालत है उसकी भी यही हालत है कि जहां और जिलों में तो काम किये गये हैं वहां इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा जिलों में बिलकुल ही उपेक्षा की नीति रही है। मैं अपने कथन की पुष्टि में निर्माण विभाग की इस पुस्तिका से ही पढ़ कर कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हालांकि इस पुस्तिका में सभी जिलों के बारे में बताया गया है, मगर मैं दो ही जिलों को लूंगा—बिजनौर और इटावा। यहां पर स्टार एन्ड ग्रिड फार्मूला के अनुसार कितनी सड़कें बनना चाहिये और कितनी बनीं वह मैं आप को बताना चाहता हूं। दोनों ही जिलों की आबादी अथवा रकबा करीब-करीब एक बराबर है। इस फार्मूले के मुताबिक बिजनौर जिले में २४६ मील लम्बी सड़क बनने को थीं, जब इटावा जिले में २४७ मील। बिजनौर जिले के माननीय हाफिज मोहम्मद इब्राहीम साहब मंत्री थे अतः वहां पर मार्च, १६६१ तक ३२० मील सड़कें बन गयीं। इटावा का चूंकि आज तक कोई भी मंत्री या उप मंत्री नहीं बना इसलिये वहां पर केवल २७१ मील ही सड़कें बनीं। जो नयी सड़कें बनीं वे भी बिजनौर में ७५ मील बनीं, जब कि इटावा में २१ ही मील बनीं। इस हिसाब से गिजनौर में जब कि ८२ परसेंट सड़कें बनीं, इटावा में ६३ परसेंट ही सड़कें बनीं क्योंकि वहां का न तो कांग्रेस के कार्यकाल में कोई मंत्री आदि बना न गैर कांग्रेसी सरकार में ही बना। जिनका ज्यादा जोर हुआ वहां अधिक काम हो गया, जहां के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया जा सका वहां काम कम हुआ। चूंकि रावत जी कुछ समय के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री बने थे इस कारण आगरा में कुछ सड़कें बन गयीं, वहां कुछ काम हुआ, मगर जहां के बारे में कोई कहने वाला नहीं होता काम नहीं होता।

श्रीमन्, हमारे जिले के उत्तरी भाग की स्थिति बड़ी भयंकर है। आजकल बरसात में तथा इसके ६ महीने बाद तक कोई आदमी कहीं आ जा नहीं सकता। वहां पर कच्ची सड़कें हैं, जमीन एक्वायर करने की नहीं है दोनों ओर पेड़ भी लगे हैं, मिट्टी भी पड़ी है, उनको पक्का करने की जरूरत है। भर्थना और ऊसाहार में लोगों ने श्रमदान द्वारा सड़कें बनायीं, ६६ हजार रुपये का श्रमदान हुआ, जिलाधिकारी ने वहां के यह आश्वासन दिया कि हम उस सड़क को पक्का करा देंगे, व्यापक पैमाने पर काम हुआ, मगर उसको पक्का नहीं कराया गया और बरसात आने पर सारी मिट्टी बह गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में श्रमदान के प्रति उत्साह नहीं रह गयी। अगर आज हैडक्वार्टर से विधूना तहसील को किसी को जाना हो तो कोई

रास्ता नहीं है जाने के लिये। जो सड़क बनायी गयी है वह १२ मील तक बनाने की स्वीकृति थी, मगर ९ मील बनाकर ही छोड़ दिया गया है और वह सड़क जंगल में कहीं जाकर खत्म होती है। इसलिये इन विषमताओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इटावा जिले में भी विषमता देखने को मिलेगी। जो इटावा का दक्षिणी भाग है वहां पर तो एक शो रूम जैसा कार्य किया जा रहा है, वहां पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो उत्तरी इलाका है वह बिल्कुल उपेक्षित पड़ा रहा है और वहां पर आने जाने के साधनों की कठिनाई है। वहां की पांच लाख जनता की मांग यह है कि वहां पर कोई भी कल्याणकारी काम किया जाय या न किया जाय परन्तु भरथना–विधुना सड़क अवश्य बने। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस सड़क को बनाने का इन्तजाम करें और जो सड़क जन शक्ति योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली है उसके निर्माण का भी इन्तजाम करें।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

श्री न्, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस प्रगतिशील युग में देश और प्रदेश में नागरिकों के बीच प्रत्येक क्षेत्रों में सम्पर्क स्थापित करने में सार्वजनिक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्परा द्वारा भी इस विभाग को तीव्र प्रगति अपनानी ही चाहिये। मैं कुमायूं और उत्तराखंड क्षेत्र की ओर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करूंगा कि इस समय सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन हैं, उनके लिये भयानक खतरा है और भविष्य में किसी भी समय हमारे देश की सारी ताकत उन क्षेत्रों के उत्थान के लिये हो सकती है लेकिन वर्तमान बजट को देखने से मुझे निराशा हुई है। पिछले समय में जो सड़कों का प्लान बनाया गया था, योजनायें बनायी गयी थीं, वे चाहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हों या तृतीय पंचवर्षीय योजना की हों उसमें जिस प्रगति से कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। मान्यवर, अखबारों के देखने को मिलता है और हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि चमोली और उत्तरकाशी, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग के क्षेत्रों में रात-दिन दुर्घटनायें होती आ रही हैं। अभी देहरादून में बद्रीनाथ की तरफ परिवहन विभाग के सहायक जनरल मैनेजर, एकाउन्टेन्ट और कोई लिपिक भी एक साथ एक्सीडेन्ट में गुजर चुके हैं। इसका एक कारण यही है कि वहां पर सड़कों की महान दुर्दशा जो पहले थी, वह अब भी बनी हुई है। जब तक उस क्षत्र में जैसी आवश्यकता है, सड़कों का अच्छी तरह से सुधार नहीं किया जाता, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उस क्षेत्र में कोई सुधार किया है। अभी हाल म, म नैनीताल का उदाहरण दूं जो एक घटना से बता रहा हूं, जाड़ों में मुरादाबाद से जाने वाली बस वल्दियांखान से नीचे गिरी है। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के इस रोड में कितने ही गैंग लगे रहते हैं और गवर्नमेन्ट की ओर से भी कितने ही मंत्रिगण तथा स्टाफ के लोग आते जाते हैं लेकिन जिस जगह दुर्घटना से वह सड़क टूटी है उसको अभी तक पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं बनाया है। नैनीताल से भुवाली तक सड़क बनी। वहां से रामगढ़ होते पहाड़ पानी तक और दूसरी तरफ लोहाघाट से होकर घूनाघाट तक सड़क आती है किन्तु बीच का हिस्सा अभी तक नहीं बनवाया वहां की क्षेत्रीय जनता चिल्लाती है कि सड़क का निर्माण पूरा किया जाय, लेकिन उस २५-३० मील के टुकड़े को मिलाने में न जाने पी० डब्ल्यू० डी० को क्या परेशानी है, व जनता के कष्ट को नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार से हल्द्वानी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हल्द्वानी फतेहपुर रोड पर आगे १० मील का टुकड़ा है जो कालाढुंगी तक पहुंचा जावेगा, फतेहपुर के आग का मार्ग भाकड़ा नदी में हर साल बरसात में बन्द हो जाता

[श्री इन्द्रलाल]

है। उस पर पिछले वर्ष एक पुल बनाया गया था लेकिन १–२ घंटे की वर्ष में ही बह गया। इस प्रकार का कमजोर काम पी०डब्ल्यू०डी० के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हजारों रुपया खर्च किया जाय और उससे जनता को कुछ भी सेवा न हो सके तो उससे क्या लाभ है इसी प्रकार से कालाडुंडी रोड जो कामोला होते हुये बैल पड़ाव व गैबुआछोई होते हुये रामनगर को जाती है, यह रोड जितनी आवश्यक है माननीय मंत्री जी नैनीताल तथा दूसरी पक्की सड़कों पर तो चलते ही हैं लेकिन कभी या बरसात में इस रोड पर भी चलने का कष्ट करें। उससे आपको पता चलेगा कि ५० हजार जनता जो वहां रहती है उसकी कितनी दुर्दशा है और कितना कष्ट है। इस रोड को चाहे आप अब बनायें अथवा अगले वर्षों में बनायें लेकिन उस स्थान की जनता के कष्टों को देखते हुये इसको जरूर हाथ में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार से कुसुम खेड़ा से, कमलुवा-गांजा से लामाचौर तक एक ढाई मील का टुकड़ा है। उसको भी जल्दी बनाया जाय।

इसी तरह से किछा तहसील में, जहां से सरकार को लाखों रुपया रेवेन्यू में मिलता है, पी० डब्ल्यू० डी० ने वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये कोई कार्य नहीं किया है। दरऊ रोड जो ५–६ मील का टुकड़ा है वह भी बहुत जरूरी है। इस प्रगतिशील युग में जो मानव की दुर्दशा हो रही है वह अत्यन्त खेदजनक है। इस रोड का बनाया जाना बहुत जरूरी है और गंगापुर से फुलसंगी होते पक्की सड़क रुद्रपुर तक बने।

मुख्य अभियन्ता द्वारा यह तो कहा गया कि सड़कों का विस्तार करना हमारे लिये तभी संभव हो सकता है जब कि बीच में पड़ने वाले दरियाओं पर पुल बनायें जायं। अतः मंत्री जी उन पुलियाओं का भी अवश्य जल्द से जल्द प्रबंध करा दें।

शान्तिपुर में एक छोटी सी नदी है उसको पहा नदी कहते हैं। जाड़ों में भी उसमें इतना पानी आ जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते हैं तो फिर आजकल बरसात में आप ही सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी, जन जीवन कितना अस्त व्यस्त हो रहा होगा, जिसके लिये इस सदन में प्रश्नोत्तर भी आ चुके हैं जिस पुल को बनाना आवश्यक है।

इसी प्रकार से उत्तराखंड कुमायूं में जो योजनायें चल रही हैं उनमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से नैनीताल जिले में फलों व आलुओं का बहुत बड़ा उद्योग है लेकिन सिंगल ट्रैफिक रोड होने से बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये वहां पर जो रामगढ़ मुक्तेश्वर रोड है उसको डबल ट्रैफिक की रोड कर दिया जाय तो जनता को उससे बहुत सुविधा होगी।

इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में दुर्घटनायें हो रही हैं उन क्षेत्रों में बजाय सैकड़ों रुपया इंक्वायरी और कमीशनों पर खर्च करने के इन सड़कों को ठीक से दुरुस्त किया जाय जिससे भविष्य में कोई दुर्घटना न हो सके। यही हालत आपके द्वारा मंत्री जी को पिथौरागढ़, डीडीहाट व धारचुला के बताना चाहता हूं जहां रोडों की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों के निर्माण पर विशेष ध्यान दें।

*श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल अपने विचार सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय में रखना चाहता हूं, मैं कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध जनता से है और वह सम्बन्ध बहुत घना है और प्रदेश तथा सर्वसाधारण की उन्नति तथा जन जीवन की आवश्यकताओं का उससे विशेष सम्बन्ध है। अभी जैसा विरोधी दल की तरफ से कहा गया कि जो पहले सरकार रह चुकी है उस ने बहुत से कार्य किये हैं। मैं उसी के विषय में कहूंगा कि अभी तक हमारे यहां तीन पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी हैं और इन तमाम योजनाओं में जितनी सड़के बननी चाहिये थीं वे नहीं बन सकीं, दूसरी और तीसरी योजना में भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कें बहुत कम बनीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी जितनी सड़कें बनना चाहिये थीं उससे १६५ मील कम बनीं । चौथी पंचवर्षीय योजना का जो पहला वर्ष है उसमें भी १५ प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया यानी १५ प्रतिशत धन से जो सड़कें बन सकती थीं वह नहीं बन सकीं । स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद इस विभाग के कार्य की शुरुआत हर जिले में हुई और सब जगह विभाग के दफ्तर आरम्भ में खोले गये और उसी समय हर जिले के लिये स्कीम बनाई गई कि क्या-क्या निर्माण कार्य होंगे उन का एक कार्यक्रम बना । पहले कौन से काम किये जायं उस की प्राथमिकता भी निश्चित की गई । हमारे यहां जिला पीलीभीत में ३ तहसीलें हैं । वहां का सब से पहला प्रोग्राम था कि तीनों तहसीलों को यातायात या सड़क से आपस में मिलाने का लेकिन तीनों योजनाओं की समाप्ति तक भी २०-२५ मील की सड़कें स्कीम के अनुसार नहीं बनाई गई और कुछ दूसरी तरफ बना दी गई । उसका नतीजा यह हुआ कि बजाय इस के कि दोनों तहसीलें हेडक्वार्टर से मिला दी जातीं केवल एक ही मिलाई गई । दूसरी तहसील से हेडक्वार्टर को मिलाने का प्रोग्राम इतना असफल रहा कि आजतक उस के पुल नहीं बन सके हैं। वहां पर अब उन पुलों के बनाये जाने की शुरुआत हुई है । तीसरी योजना में जो २५ मील रोड बनाकर मिलाने का प्रोग्राम था उस में से केवल दस मील का ही कार्य पूरा किया गया । चौथी पंचवर्षीय योजना को देखा जाय तो १६५ मील का प्रोग्राम रखा गया है । इस को ही यदि पूरा किया जाय तो सब तहसीलों को हेडक्वार्टर से मिलाया जा सकता है । अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना के धन का ठीक से उपयोग हो जाता है तो यह काम तभी हो सकता था ।

एक और महत्वपूर्ण सड़क है जो पीलीभीत जिले के कृषि प्रधान भाग से नदियों के क्षेत्र से होती हुई जाती है उस को बिलकुल नहीं बनाया गया है । मेरा कहना यह है कि जो सड़कें अधूरी हैं उन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । अभी मंत्री जी भी वहां गये थे, मैंने उनको एक सड़क खासतौर से दिखाई थी । वह इतनी खराब हालत में है जिस पर जनता का चलना नामुमकिन है, वह सड़क शाहजहांपुर, पीलीभीत और फर्रुखाबाद को मिलाती है । उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है । इस के अलावा एक पुल बन रहा था जिस से शाहजहांपुर और पीलीभीत का यातायात एक दूसरे स्थान पर जा सकता है उसमें बहुत देरी लग गई और ५ साल से अधिक हो गये हैं, उस स्थान को मंत्री जी ने स्वयं देखा भी है, उसमें कुछ प्रगति हुई है और आशा है कि वह इस साल बन कर पूरा हो जायगा इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि पीलीभीत जिला जो पिछड़ा हुआ है और जहां इस से पहले कोई काम इस विभाग का नहीं हुआ है और जहां का यातायात आज भी अस्त-व्यस्त है उसकी तरफ वह विशिष्ट ध्यान दें ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया जिससे कि मैं अपने जिले की कहानी कहूं जो कि सच्ची है। अभी मेरे बोलने के पूर्व माननीय सहदेव सिंह जी ने एक नया सिद्धान्त प्रोपाउन्ड किया, प्रतिपादि किया कि इटावा जिला न पूर्व में है, न पश्चिम में है, न दक्षिण में है, न उत्तर में है, न आसमान में है और न जमीन पर है । पता नहीं यह कौन सा भूगोल है । जब, कुछ वर्ष पूर्व, पश्चिमी जिले के लोग अलग होने की बात करते थे तो वे भी इटावा को आगरा में ले जाना चाहते थे । बहरहाल अब पता नहीं कि वे आगरा क्यों छोड़ देना चाहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उनका काम अब हो गया है, आगरे में रहने का । माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात यह निश्चित है कि किसी समाज के विकास के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर आवागमन के साधन, नागरिकों को सरलता से उपलब्ध हों । मुझे खेद है कि मौजूदा सरकार, जिसका कोई सिद्धान्त नहीं है, और इसलिये नहीं है कि भिन्न २ रंगों के कपड़े को जोड़ कर एक साड़ी बनायी

[श्री रामनरेश शुक्ल]

गयी है थोड़ा-थोड़ा यहां से लेकर और थोड़ा-थोड़ा वहां से लिया गया है। इसलिये यह सदा से जो निश्चित सिद्धांत है, उनसे अलग होती जा रह है। मैं अपने समाजवादी मित्रों का ध्यान उस ओर दिलाऊंगा कि यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि एक बढ़े हुये और बढ़ते हुये समाज को अधिक से अधिक कर देना चाहिये और इस आय के द्वारा अधिक से अधिक उन्नति होनी चाहिये इसलिये हमारे प्रातः स्मरणीय इस देश के नायक और नेता माननीय जवाहर लाल जी हमेशा कहा करते थे कि देश का उद्योगीकरण होना चाहिये। देश में यातायात के साधन बढ़ने चाहिये और सबसे बढ़कर देश के बिचारों क आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तकलीफ होती है यह जानकर कि आज १९६७ में उत्तर प्रदेश में, जिसने सदैव नेतृत्व किया, उसकी सरकार में दकियानूसी लोग बैठे हुये हैं और समाज को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यातायात में खर्चा नहीं होगा, कर नहीं लगेंगे, लोगों की छटनी होगी, लोग निकाले जायेंगे और एक भय के आधार पर शासन किया जायगा। यही नारा आज इस सरकार का है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शासन शास्त्र के जानकर लोग इस बात को कहते है कि शासन भय पर नहीं हो सकता है। वह काम तो जल्लाद की सहायता से भी आसानी से हो सकता है। शासन को चलाने के लिये कुछ सिद्धान्त, कुछ रास्ते और कुछ मार्ग होते हैं। हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे मनीषी हुये हैं, उन्होंने जिन सिद्धान्तों को रखा है उन्हीं पर चलना चाहिये, चाहे वे गांधी जी हों, चाहे वे मार्क्स हों, चाहे वे लेनिन हों और चाहे और कोई हों। उन विचारों को लेकर वर्तमान परिस्थितियों में शासन में निखार लाया जाता है और उन रास्तों पर चला जाता है लेकिन यहां पर तो आज एक अजीब सी हवा है और जो मान्यताएं समाज की थीं, वे रौंदी जा रही है और दुख तो यह है कि चौराहों पर बेशर्मी से रौंदी जा रही हैं। कहा जाता है कि जनतंत्र में यह आवश्यक होता है। मैं इन बातों को इसलिये कह रहा हूं कि यह बजट एक समाजवादी विचाराधारा के मंत्री ने रखा है और वह मुझसे सहम होंगे कि यद्यपि जनतंत्र में कभी-कभी इस बात की छूट है कि यदि विचारों का मतैक्य न हो तो सदस्य इधर से उधर जा सकते है। लेकिन सारे संसार में जनतंत्र इस बात को कि कुर्सी के लिये कोई दल छोड़ वर्जित करता है। हमारे देश की मान्यता प्राप्त पार्टियों ने भी इस सिद्धान्त को माना है। इसी लिये आचार संहिता बनायी गयी कि कोई व्यक्ति जब किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाय तो उसे न लिया जाय। आज उत्तर प्रदेश में जो इस सिद्धान्त का पालन नहीं हो रहा है प्रायः वह बड़े लोगों के द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। इतने पर भी लोग सर उठा कर चलते हैं। जानते नहीं आज कुर्सियां मिल सकती है, उस पर बैठ सकते है, इनसान उसे माफ कर सकते है लेकिन इतिहास किसी आदमी की भूल को कभी भी माफ नहीं करता है। इतिहास उन को बुरे नामों से याद करता है और करेगा। सार्वजनिक विभाग में किसी सिद्धान्तों का ध्यान नहीं रखा गया। सिद्धान्त यह है कि उन्नतिशील समाज बनाने के लिये यातायात जरूरी है। जो पुस्तक हम लोगों को बांटी गयी है उसको यदि हम ध्यान से पढ़ें तो जान पड़ता है कि वह किसी जिला परिषद् का नगरपालिका का बजट है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में ८ पुल इस सरकार द्वारा बनाये जायंगे। मैं कहता हूं कि ८ की तादाद तो बहुत सी नगरपालिकायें या जिला परिषद् द्वारा बनाये जाने वाले पुलों की होगी, हां यह हो सकता है कि वे पुल छोटे हों, और आप बड़े बनवायें। लेकिन आप बड़े भी तो हैं, और ये स्थानीय निकाय छोटे हैं। आप की संख्या ८ रहे और उनकी संख्या ८ से ज्यादा रहे इससे हमें शर्म आनी चाहिये। लेकिन कठिनाई यह है कि आप समाजवादी सिद्धान्तों को जानते ही नहीं। बढ़ते हुए समाज पर कर लगाना जानते ही नहीं। एक सस्ती पौपुलैरिटी चाहते हैं और समाज और देश के विकास को रोकना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन उसूलों के तहत में आप सोचें कि आज जो बजट आपने रखा है उसके लिये क्या आप किंचित मात्र भी धन्यवाद के पात्र हैं? मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि आप बधाई के पात्र नहीं हैं, बल्कि बधाई के पात्र वह हैं जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। देश के ऊपर हमले हो रहे हैं उत्तर और पश्चिम की तरफ खतरे हैं। उधर भी यातायात पर ध्यान

मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। प्रतापगढ़ जिले म दो नदियां हैं, एक सई और दूसरी चमरौड़ा। दोनों मिल कर जिले के एक बटे आठ हिस्से को जिले के मुख्य भाग से अलग कर देती हैं। वहां की जनता की हमेशा से मांग रही है कि इन पर पुल बनाया जाय। वहां सुतली और सन का उद्योग होता है। ये दोनों नदियां दो ब्लाक्स-संडवा चन्दिका और सांगीपुर तथा प्रतापगढ़ सदर ब्लाक के एक बटे तीन हिस्से को सदा प्रभावित करती ह। इन क्षत्रों की जनता की सदा मांग रही है और आज भी है कि एक पुल चमरौड़ा पर बनाया जाय। वहां की जनता ने लगभग ७० हजार रु० चन्दा जमा करके बी० डी० ओ० के नाम जमा कर रखा है कि वहां पुल बनाया जाय। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी उत्साहित जनता जहां की है उसकी मांग पर एक पुल भी यह सरकार बनाने नहीं जा रही है। अगर कोई कहे कि अमीरों ने दिया होगा तो गलत है। गरीबों ने थोड़ा थोड़ा करके ६० हजार रु० बी० डी० ओ० को दिया और उस पुल के लिये वहां के जो दबे हुए इन्सान हैं उनकी मांग है, उस तरफ इस सरकार का ध्यान जाना चाहिये और प्रतापगढ़ से अटरिया तक जो सड़क जाती है उसे बनवा दें तब तो इस सरकार को समाजवादी होने का श्रेय मिलेगा, वर्ना जो इसकी जगह दूसरी सरकार आयेगी उसे मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा।

*श्री जवाहिरलाल (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सदन में पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि हर विधायक का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र की कठिनाइयों को विधान सभा में रखे और इसीलिये मैं अपने क्षेत्र पछरेहटा, तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर की कठिनाइयों को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। २० वर्ष से उस क्षेत्र की नुमाइन्दगी बाहरी लोग कर रहे थे जिससे पहले वाले विधायक हमारे क्षेत्र की तरफ ख्याल नहीं रखते थे और फलस्वरूप सरकार भी उधर ध्यान नहीं देती थी। इस क्षेत्र में दो प्रमुख सड़क हैं। एक सिधौली से मिसरिख तक और दूसरी खैराबाद से नीमसार तक। गर्मियों के दिनों में इन सड़कों पर धूल भरी रहती है और बरसात में पानी और कीचड़। माननीय मंत्री उस पवित्र स्थान को देख आये हैं लेकिन वह उस सड़क से नहीं गये जो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है बल्कि उस सड़क से गये जो सीतापुर से हरदोई तक पक्की बनी हुई है। सिधौली से मिसरिख वाली सड़क पर २ कालेज स्थित हैं, ३ ब्लाक कार्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, ३ जूनियर हाई स्कूल हैं और ३ पुलिस स्टेशन हैं। ऐसी स्थिति में इस सड़क का निर्माण ५, ७ साल पहले हो जाना चाहिये था। लेकिन जब वहां के नुमाइन्दों ने इसके लिये पहले मांग ही नहीं की तो फिर सरकार भी कैसे ध्यान देती? मैं मंत्री जी का ध्यान इस सड़क की ओर ले जाना चाहता हूं क्योंकि आजकल वहां कोई पैदल नहीं चल सकता। बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती, मोटर और साइकिल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस सड़क के बारे में मेरी जानकारी यह है कि असेम्बली में इस पर सवाल हुआ था लेकिन उसका जवाब उचित तरीके से नहीं दिया गया था। पी० डब्ल्यू० डी० से पता चला कि इसका सर्वेक्षण हो चुका है, विभाग में यह ले ली गयी है और तीसरा अथवा चौथा नम्बर इसका है। मेरा निवेदन है कि केवल कागजी घोड़ कांग्रेस सरकार की तरह से न दौड़ते रहें, इसे अमल में लाया जाय और योजना के अन्तर्गत ले लिया जाय। और जल्दी से ज दी जहां पर दो लाख की आबादी है और एक पवित्र स्थान है जहां सारे उत्तर प्रदेश के लोग दर्शन करने के लिये जाते हैं और इतने कालेज और स्कूल वगैरह हैं उस ओर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें और हमारी वर्तमान सरकार इन सड़कों को बनवाने के लिये शीघ्र कदम उठाये। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे प्रदेश में सड़कों के निर्माण में प्रगति हुई है परन्तु मैं यह समझूं कि वह प्रगति कैसे हुई, या तो पूंजीवाद से हुई या पउवावाद से हुई। जिसका पउवा लग गया उसकी सड़क बन गयी या दूसरी तरह से बनी। ऐसी बहुत सी जगहें पड़ी हुई हैं जहां ७०-७० हजार की आबादी है मगर वहां सड़कों का निर्माण नहीं किया गया हालांकि वहां की क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, सभी ने मां की जैसी कि हमारे जिले हरदोई में संडीला-मेंहदीघाट रोड है। यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखी जानी थी परन्तु नहीं आ सकी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह सड़क बनाने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में माधोगंज से मेंहदीघाट रोड ९ मील है और बिलगराम-नेरपुर नेवादा सड़क ५ मील का टुकड़ा है। इसमें भी कोई सड़क नहीं है। इन जगहों में करीब ७० हजार की आबादी है, बरसात के टाइम पर कोई आने-जाने का रास्ता नहीं है, इस क्षेत्र में कोई चिकित्सालय नहीं है, न किसी प्रकार की कोई बाजार की सुविधा है जब कि सरकार की योजना है कि काश्तकारों को बाजार पहुंचने के लिये रोड दी जाय और इसी पुस्तिका में लिखा हुआ है कि चार मील के ऊपर पक्की रोड दी जाय। परन्तु अफसोस की बात है कि हमारे नेता लोग और जो हमारे पूर्व विधायक लोग थे वे चिल्ला-चिल्ला कर परेशान हो गये मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक बिलगराम से कन्नौज तक सड़क का टुकड़ा बन गया है। वह भी अधूरा पड़ा है। यह बहुत शोचनीय विषय है।

आप पुलों की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में सांडी से हरपालपुर जाने वाली सड़क पर एक बहुत बड़ी नदी गर्र पड़ती है। वहां की हालत यह है कि तीन वर्षों से एक पुल बनाने की योजना वहां पर है और दो खम्भे बना कर खड़े कर दिये गये हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं यह सच बात कहता हूं कि जितनी सीमेंट सरकार की ओर से दी गयी थी वह ज्यादातर ब्लैक की गयी और जनता परेशान है। इसी तरीके से एक लिमय नदी है, उस पर भी पुल बनना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर वे विशेष रूप से ध्यान दें और इसकी कार्यवाही की पूर्ति का प्रयत्न करें।

अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो रोड्स हैं उन पर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा काम होता है। चूंकि सरकारी कर्मचारी यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा कहना है कि ज्यादातर शिकायत यह है कि जो ठेकेदार व नीचे के कर्मचारी हैं ओवरसियर वगैरह वे आपस में मिले रहते हैं और नीचे कच्चा कंकड़ डाल कर ऊपर से मिट्टी डाल ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दो महीने भी नहीं बीतने पाते और फिर वह सड़क पहले ही की तरह जैसी क तैसी हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सड़कों की तरफ वे विशेष ध्यान दें क्योंकि इसमें सरकार का भी बहुत अहित है और जनता भी ज्यादा परेशान होती है,। यह चीज आपक समक्ष है और उसको देखने सुनने वाला कोई कतई नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती क प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा अवश्य करेंगे।

श्री किशनलाल दिलेर (जिला अलीगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे मिनिस्टर महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस अनुदान का समर्थन कर रहा हूं। साथ ही साथ आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि हमारे अलीगढ़ में गत पंचवर्षीय योजनाओं में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला अलीगढ़ में नयी सड़कों का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण कराया जाय। अगर क्राइम्स को रोकना है तो वहां इसको व्यवस्था कराना नितान्त आवश्यक है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो सड़कें हैं उनको पी० डब्ल्यू० डी० में ले लिया जाय तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि उन सड़कों का कोई भी प्रबन्ध नहीं हो पाता। हालत बड़ी नाजुक है। जितनी प्राइवेट बसें चलती हैं सड़कों की वजह से उनकी हालत अच्छी नहीं है। आपके विभाग में आ जाने से उन सड़कों की व्यवस्था सही हो सकती है। तो मेरा यह सुझाव है, अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो बड़ी कृपा होगी।

इसके बाद अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारी जो संविद सरकार बनी है वह किसानों के प्रति अपना ध्यान लगावे और उनके लिये साधन जुटाने की व्यवस्था की जाय। जैसे––बिजली, पानी, कृषि के यंत्र आदि उनके पास जुटाये जायं जिससे हमारे किसानों का लाभ हो सके, देश में अन्न उपज बढ़ सके और सही रूप म देश के लिये अन्न मिल सके। यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार ने अपनी योजनायें बनायीं लेकिन उनको कार्यान्वित नहीं किया, वे कागजों तक ही सीमित रहीं, इसलिये आप भी कोई ऐसा काम न करें कि लोग खिल्ली उड़ावें, हमें और आपको मजबूर करें तथा सरकार को बदनाम करें। इस बदनामी से बचना है तो किसानों को सही सुविधायें देने का प्रयत्न किया जाय। हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य बुराई तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें बुराई करने का मौका तो नहीं मिला। आपको यह सोचना चाहिये कि बहुत अर्से के बाद इस सरकार को बनने का मौका मिला है। तो आप इन्तजार करें और उसके कारनामे देखें कि यह कुछ कर पायेगी या नहीं। मुझे एक कहावत याद आ गई। एक आदमी का एक भैंसा खो गया। वह किसान मन्दिर में दौड़ा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अगर मेरा भैंसा मिल जायेगा तो मैं १०० रुपये का प्रसाद बाटूंगा। फिर उसने १०० से २०० और आगे बढ़ कर ५०० रुपये का प्रसाद बोला। इतने में एक राहगीर आ गया और बोला कि इतने का तो भैंसा भी नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारा भैंसा न मिले। अचानक उसका भैंसा आ जाता है। उसने कहा कि मैं तो झूंठे ही कह रहा था। मुझे मेरा भैंसा मिल गया। मेरे कहन का तात्पय यह है कि इसी तरह से हमारी भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार झूंठे वायदे करती रही लेकिन कभी उनको पूरा नहीं किया। उसको भैंसे वाली कहावत ही समझिये। वे बुराई करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि––

"बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न दीखा कोय।
जो तन खोजा आपना, मुझ से बुरा न कोय।।"

कांग्रेसी सज्जन यह नहीं सोच पाते कि हम में कितनी बुराई है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने हरिजनों के प्रति अपनी बात रखी और कहा कि हरिजनों के अनुदान में कटौती की गई है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेसी प्रशासन में हरिजनों के लिये जो अनुदान दिया गया उसमें से उनके लिये कितना दिया गया, कितना उनको मिला, यह आप जानते होंगे और हर माननीय सदस्य जानते हैं कि इन गरीबों के हिस्से में नाम मात्र को आया बाकी सब बड़े लोगों के पेट में चला गया। उनके लिये आज तक कुछ नहीं हुआ है लेकिन यह सरकार करके दिखायेगी और इस अनुदान का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, जैसा कि होता आ या है। हमें प्रतीक्षा करनी है और इस सरकार के कारनामे देखने हैं। आप बुराई कीजिये, जो चाहे कहें आपको अधिकार है। जाने हुये को जनाना अजीब पागल कहाता है। जाने हुये को जनाना अच्छा नहीं है। "सचाई छुप नहीं सकती कभी झूंठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से"। अब यह मुश्किल बात है कि जनता आपका विश्वास

[श्री किशनलाल दिलेर]

करे। जनता के बीच से आपका विश्वास उठ चुका है। अब तो आपको इस सरकार का विश्वास करना है जो जनता के हित में अच्छे काम करने वाली है। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(इस समय २ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं मैं अपने पूर्व वक्ता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके विचार जो कांग्रेस के अच्छे गुणों के बजाय काले कारनामे याद करने में हैं, यदि मौका हो तो मैं उनको बताऊंगा कि उनका दृष्टिकोण और चश्मा कितना गन्दा है। शायद वह भूल गये हैं कि इसी कांग्रेस ने गांधी जी को पैदा किया जो हरिजनों के नेता बने, उनकी आबादी में रहे और उन्होंने हरिजनों के लिये क्या नहीं किया? डाक्टर अम्बेदकर को इसी कांग्रेस ने अम्बेदकर बनाया। डाक्टर अम्बेदकर ने इस देश का संविधान बनाया। यह बातें ऐसी हैं जिनको थोड़े समय में बताना मुश्किल है। संजिवइया और कामराज हरिजन हैं जो प्रदेशों के मुख्य मंत्री बने और कांग्रेस की सबसे बड़ी सत्ता के प्रेसीडेंट बने। यह सब बातें इस समय दोहराना अप्रासंगिक है। जहां तक हमारे मंत्री जी का प्रश्न है उनकी सादगी और निष्ठा का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिन से वह गाइड हो रहे हैं, उनका विरोध है। उनके व्यक्तित्व से लोगों को विरोध नहीं है। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास है। एक कहावत है जिसे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहने को मजबूर कर दिया, वह है--"चन्दन पड़ा चमार घर, नित उठ कूटै चाम।' वह चन्दन हैं, चमार के घर पड़ गये हैं, चमार उससे चमड़ा कूटता है मुझे हिचक होती थी कहने में लेकिन कहना पड़ा।

जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था और आज भी है, इसमें दो रायें नहीं, चाहे कांग्रेस का राज्य रहा हो या इस जमाने में। जो १० परसेंट इंजीनियर लेते हैं वह पहले भी लेते थे और आज भी लेते हैं। मैं इसका सबूत दे सकता हूं। यहां कहानी बताने का मौका नहीं है लेकिन जो सही है वह सही और सही रहेगा। मेरा एक सुझाव है। जो पी० डब्ल्यू० डी० के कुएं हैं उनको मंत्री जी किसानों को सिंचाई के लिए इजाजत दे दें। इसके लिए वह अपने विभाग को आदेश दे दें। मेरा यह सुझाव वह मान लें। मैंने अपन इलाके में देखा है, और एक दफा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था, मैं उनके घर गया था। अगर वह उनसे सिंचाई की इजाजत दे देंगे तो प्रदेश का भला करेंगे। अगर आप कुछ चार्ज चाहें तो किसान से ले सकते हैं। दूसरा सुझाव यह है कि आपका डिपार्टमेंट कर सके तो उन गांवों में जहां सिंचाई का साधन न हो वहां ट्यूबवेल लगवा सकें पम्पिंग सेट लगा सकें तो गरीब किसानों का ज्यादा फायदा होगा। और वह चार्ज भी दे देंगे। इससे सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी और आपके कुओं की मरम्मत भी हो जायगी।

दूसरे, मैं फतेहपुर से आया हूं। फतेहपुर और बांदा की सीमा पर यमुना नदी पर चिल्लाघाट है। वहां पर पुल बन जाय तो मध्य प्रदेश से रायबरेली होते हुए सीधे लखनऊ का रास्ता हो सकता है। केवल पुल न होने की वजह से रास्ता उल्टा हो जाता है। कोई इलाहाबाद से लखनऊ आता है, कोई हमीरपुर से आता है। अगर वाजिब समझें तो मेरे ये सुझाव नोट कर लें। इसके अतिरिक्त मुगल रोड एक ऐतिहासिक रोड है। यह आगरा से कलकत्ता तक जाती है। और तो पी० डब्ल्यू० डी० ने ले लिया है केवल दस मील का टुकड़ा है जो विन्दकी से फतेहपुर और फतेहपुर से हथगांव होते हुए इलाहाबाद जाती है, वह अगर ले लें तो इससे केवल फतेहपुर का फायदा नहीं है बल्कि पचासों मील का चक्कर बच जायगा और आगरा से कलकत्ता तक सीधा सफर हो सकता है। इस लाइन में काफी ट्रक वगैरह और सवारियां चलती हैं।

और लोगों को बड़ी भारी परेशानी पड़ती है। यह कुल १० मील का मामला है। इसलिये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जैसा इटावा के एक सदस्य ने अभी कहा, कि "चूंकि दुर्भाग्य से हमारे जिले का कोई मंत्री नहीं हुआ इसलिये हमारे जिले पर ध्यान नहीं दिया गया, यही बात मेरे यहां लागू होती है। मंत्री जी अब वह ऐसा न समझें मेरे जिले के लोगों को, और उसे अपना ही जिला समझ-कर हम पर कृपा करके हमारी बात मान लें। श्रीमन्, जो मुगल रोड का मामला है, उसे मंत्री जी नोट कर लें। इसी प्रकार से फतेहपुर से अमोली का मामला है, इसमें बीच में भरतपुर एक गांव पड़ता है जिसमें एक नदी पड़ती है; उस पर यदि सरकार एक पुल बना दे तो वहां की जनता का बड़ा लाभ होगा क्योंकि इस स्थान भारतपुर पर पुल न होने से इस क्षेत्र के वासियों को करीब ४० मील का व्यर्थ का सफर करके जाना पड़ता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि उस पर भी श्रीमन्, विचार करें। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं—खजुहा, जो कि करीब ३०० वर्ग मील का इलाका है किन्तु दुर्भाग्य से वहां पर केवल ८ मील सड़क है। वहां पर सड़कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। जिला परिषदों की जो सड़कें हैं उनका कहना ही क्या है, वे न हों तो अच्छा है। हमारे यहां के काश्तकारों को सड़कों की व्यवस्था न होने से बाजार आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बरसात में तो वे बिलकुल नहीं निकल सकते हैं, कार्तिक–कुंवार के महीने में कहीं आ पाते हैं और यदि आना ही पड़े तो उन्हें बहुत लम्बा चक्कर पड़ता है। तो आप फतेहपुर से अमौली वाली सड़क को अपनी योजना में लें लें। यह गल्ला पैदा करने का इलाका है। यदि यहां पर समुचित सड़क की व्यवस्था हो जाये तो आपको गल्ला आसानी से मिल सकेगा और काश्तकारों व गरीबों को एक बहुत बड़ा साधन मिलेगा। वे तमाम परेशानी से बचेंगे और इसके अलावा ऐसा होने से सड़क बनाने में आपको लेबर भी सस्ता मिल सकेगा, जिस लेबर का आप फायदा उठा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं। किन्तु आने जाने के साधन के अभाव के कारण किसान आ-जा नहीं पाते हैं।

एक ऐसा ही स्थान और है काहिर्जरा, जहां नोन नदी पड़ती है। यदि उस पर पुल बन जाये तो हमीरपुर और फतेहपुर का सीधा सम्बन्ध हो सकता है। बिना आवागमन के समुचित साधनों के व्यापारिक, सामाजिक, शैक्षिक किसी प्रकार का भी विकास नहीं हो सकता है। इन चीजों पर यदि आप ध्यान देंगे तो मेरे जिले का काफी फायदा हो जायेगा।

जहां तक इंजीनियरों और ओवरसियरों का सवाल है, वास्तव में उनमें करप्शन है। मैं श्रीमन्, जी का ध्यान दिला दूं, जो ठेकेदार होते हैं, उनको प्राम्ट पेमेंट नहीं होता है। इससे भी बड़ा नुकसान होता है। इंजीनियर और ओवरसियर उससे मिलकर काम करते हैं जिससे एक बड़ी गड़बड़ी होती है और रिश्वत बढ़ती है। इन कमियों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो तुम चाहते हो वह होना नहीं है, यह जनता ने सौंपा है खोना नहीं है।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

श्रीमन्, एक बार यह शेर और पढ़वा दें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह से कुछ सुनें और उस पर पुनः कहने की मांग न करें, यह ठीक नहीं है। इस तरह से कहने से ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा भाव इस सदन में हो जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा न हो।

[श्री मोती लाल देहलवी]

"अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है, लगा देते हैं आग पानी में आंसू ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बहस हो रही है । अभी उस तरफ के कांग्रेसी हमारे माननीय सदस्य जो आलोचनायें और नुक्ताचीनी करते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल तो उनका कुछ और कहता है । यह दिल उनका मानता है कि आज जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने घोषणा की है कि जो २० साल से कर्मचारी उपेक्षित चले आ रहे थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, जिनको जब चाहते थे निकाल दिया जाता था और जब चाहते थे रख लिया जाता था जिन्हें मनमाने ढंग पर मजदूरी दी जाती थी, ठेके की प्रथा पर काम कर रहे थे और ठेकेदार होते थे मंत्रियों के रिश्तेदार, मित्र वगैरह, आज उन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मान लिया गया है और उनको तमाम सुविधायें वही दी जायेंगी जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी की इस घोषणा पर उस तरफ के माननीय सदस्यों की गर्दन झुक जानी चाहिये थी और उनको यह मंजूर करना चाहिये था कि वास्तव में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने इस घोषणा को करके एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है । लेकिन चूंकि आलोचना करनी है, इसलिये नुक्ताचीनी करते आ रहे हैं । इस समय बड़ा अच्छा होता कि यदि यहां पर भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री मौजूद होते तब मुझको बोलने का मौका मिलता । लेकिन ऐसा लगता है कि दुर्भाग्यवश वह यहां पर मौजूद नहीं हैं । अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में इतना भ्रष्टाचार रहा है जितना शायद भ्रष्टाचार अन्य किसी डिपार्टमेंन्ट में नहीं होगा और उसकी कुछ मिसालें मैं दे रहा हूं । यह जो कांग्रेस सरकार थी उसमें क्या-क्या होता रहा है सुनें । इस घटना को मुझे, मेरे एक विश्वसनीय साथी ने बताया है कि मार्च, १९६७ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाटरवर्क्स विभाग, लखनऊ ने यूनाइटेड कार्मशियल कारपोरेशन से १ बुलडोजर खरीदा जिसकी कीमत ५ लाख रुपये होती है। इसके खरीदनें में वह आदेश थे कि जब यह बुलडोजर हिन्दुस्तान में आ जाय और सरकारी अफसर इसकी जांच पड़ताल कर लें तब इसको ८० फीसदी ऐडवांस किया जाय, लेकिन हुआ क्या ? डोजर अभी समुद्र पर ही तैर रहा था लेकिन यहां तमाम कागज-पत्र ठीक ठीक करके भेज दिये गये और फर्म को ८० फीसदी ऐडवांस कर दिया गया । डोजर हिन्दुस्तान में अभी आया नहीं और पेमेंन्ट हो गया । इससे बढ़कर और भ्रष्टाचार की बात हो क्या सकती है ?

दूसरी बात इसी डिवीजन में प्रीमियर आटोमोबाइल्स, लखनऊ से ४४ हजार रुपये के ऐसे मोटरों के पार्ट्स खरीदे जो मोटर यहां नहीं थे और ४४ हजार रुपया उनको दे दिया गया । वे पार्ट्स आज तक दो साल से बराबर सड़ रहे हैं और उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ । इसी डिवीजन द्वारा यूनाइटेड कार्मशियल कारपोरेशन से डेढ़ लाख रुपये के रोड रोलर के पार्ट्स खरीदे गये और वह पार्ट्स अभी तक इस्तेमाल में नहीं आये । तीन साल से बराबर सड़ रहे हैं। जरा अन्दाज लगाइये कि इसी तरह के काम कांग्रेसी राज्य में "माले मुफ्त दिले बेरहम" कहते हैं होता चला आया है । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से बड़े बड़े फर्मों के लोगों को लुटाया जाता रहा है । आज इस सरकार ने इस बात का संकल्प किया है कि अभी तक जो यह लुटाया जाता रहा है और बड़े बड़े फर्मों को दिया जाता रहा है, अब वह नहीं होगा । तो हमारे कांग्रेसी भाइयों के दिल पर और उन फर्मवालों के दिलों पर सांप लोट रहा है और यही वजह है कि इसी दर्द से वह इस सरकार की आलोचना करते हैं और कोई खास बात उनकी आलोचना में नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस तरफ के कांग्रेस माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विभाग में भ्रष्टाचार रहा है, पैसा लुटाया जाता रहा है और महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों की उपेक्षा की जाती रही है अगर यही सब काम इस सरकार में भी हुआ तो मेरे जैसे सदस्यों को इस सरकार को छोड़ने में एक मिनट नहीं लगेगा । (बहुत सी आवाजें—आप नहीं कर सकते ।) और हमेशा जैसी बगावत करता रहा हूं आगे भी बगावत करूंगा, लेकिन वह बात अभी है नहीं ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी तक बहुत सी सड़कों और पुलों की तरफ जो कांग्रेस सरकार ध्यान नहीं दे सकी थी उन पर आपका ध्यान जाना चाहिये । उसमें मेरा जिला कानपुर भी है जहां एक तहसील, बिल्हौर है । बिल्हौर तहसील से रसूलाबाद तक एक कच्चा मार्ग बहुत चौड़ा गया है । इस सड़क को बनाने के लिये सरकार ने बहुत पहले ही घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा कागज पर ही रह गयी और आज तक वह सड़क वैसे ही पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क के रास्ते में दो ब्लाक पड़ते हैं और दोनों के लोगों को बहुत कष्ट से तहसील आना पड़ता है और जिस दिन वे लोग तहसील आते हैं उस दिन वे किसी भी हालत में अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते । बिल्हौर एक ऐसी जगह है जहां काफी गुन्डागीरी होती है। लोगों के मन में एक अनिश्चितता रहती है कि रात में रुकने से पता नहीं यहां क्या हो जाय । लेकिन आज तक उस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । सरकार ने बहुत पहले इस सड़क पर कई लाख रुपया खर्च करके पुलियां बनवाईं, कच्ची मिट्टी डलवाई और आप को आश्चर्य होगा कि करीब डेढ़-दो लाख रुपये का नुकसान हो गया। कई पुलियां टूट गयीं और काफी मिट्टी बह गयी, लेकिन सरकार ने आज तक इस सड़क को पक्का करने के लिये ध्यान नहीं दिया । मैं चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण सड़क है । वहां के लाखों किसान इस सड़क के लिये तरस रहे हैं और इसलिये मैं आशा करूंगा कि सरकार इस को जल्दी ही पक्का बनवायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त । (श्री जियाउर्रहमान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं बहुत नम्र शब्दों में आप से निवेदन करना चाहता हूं यदि आप को बुरा न लगे तो कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिन की ओर श्रीमन् का ध्यान किसी कारण से आकर्षित नहीं हो पाता ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपना स्थान ग्रहण कर लें । मैं आपको समय देने का प्रयास करूंगा ।

श्री राजाराम—

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं कि जिनको बार-बार बोलने का समय मिल जाता है । इसलिये मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम आप हम लोगों की तरफ ध्यान देकर बोलने का अवसर हम लोगों को भी प्रदान करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे तथा सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा या किसी भी पीठासीन व्यक्ति का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि वह हर सदस्य को बोलने का समय दें और इस के पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप के सामने कहा था कि यदि कोई लिस्ट सचेतक की ओर से आती है तो उससे हम को सहायता मिलती है । मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिन को समय नहीं मिला है वे कम से कम अपने सचेतक से मिल कर उस लिस्ट में अपना नाम भिजवा दें ताकि मुझे उनको समय देने में आसानी हो ।

श्री राजाराम—

मैं सचेतक महोदय की ओर से बराबर अपना नाम भिजवाता रहा हूं । करीब ४, ५ बार दे चुका हूं, लेकिन मुझ एक बार भी अवसर नहीं मिला ।

श्री कामतासिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं आठ-दस दिन से दस पन्द्रह बार रोज खड़ा होता रहा हूं लेकिन पता नहीं, मेरा नाम आप को मालूम नहीं है अथवा कोई और बात है, मुझे भी बोलने का अवसर आज तक नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप को संदेह है तो कम से कम अपना नाम तो आप बतला ही दें। मैं आप को आश्वासन देता हूं कि जब भी संभव होगा मैं आप को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर श्रीमन्, आपने कहा कि पार्टी व्हिप्स से लिस्ट आती हैं, उससे थोड़ी बहुत सहूलियत मिलती है। मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हम इस सदन में दाखिल हुये, हमने ऐ नीजियन्स टु दि कंट्री एंड दि पीपुल की कसमें खायी हैं और कांस्टीट्यूशन जो हमारे ऊपर लागू है उसके मातहत जो कोई भी चेयर पर बैठता है उससे यह सदन आशा रखता है कि वह अपने दिमाग से इंडिपेंडेंटली काम करेगा, और कांस्टीट्यूशन भी यही कहता है। आप जैसे निर्भीक व्यक्तियों से मैं पूरी आशा करता हूं कि लिस्टों को तभी देखा जाय जब आप खुद-ब-खुद अपने को गायड न कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमें उन ओप्स का ख्याल रखना चाहिये।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

प्वाइंट आफ आर्डर के नाम से ही मैं एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो कहने नहीं देंगे। बात यह है कि आज के इसी अवसर पर कम से कम हजारों पी० डब्ल्यू० डी० मजदूरों का मामला न छूट जाय, मेरा टाइम न काट दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रावत जी मैंने कहा था कि इन लिस्टों से सहायता मिलती है। माननीय रावत जी और अन्य माननीय सदस्य भी एक बात और जान लें कि यह सर्वविदित है, परम्परागत है और सिद्ध है कि अध्यक्ष जो पीठासीन हो। वह अपने स्वविवेक सिद्धान्त से किसी को भी बुलावेगा लेकिन सदन को सुचारुरूप से चलने में ताकि जिस विषय पर विवाद चलता हो उस पर माननीय सदस्यों को भाग लेने का पूर्ण अवसर हो। अगर लिस्ट आती है और उससे सहायता लेकर हम सदन में किसी को बुलाते हैं तो वह न तो परम्पराओं के विरोध में है और न कोई ऐसी बात है जिससे आपके अधिकारों पर असर पड़ता है।

श्री चन्द्र सिंह रावत—

मैं उन लिस्टों के बारे में केवल यह कहना चाहता हूं कि उनमें चन्द व्यक्तियों के नाम हर समय हर रोज हुआ करते हैं इसलिये मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस क्षण मुझे यह मालूम होगा कि किसी लिस्ट में किन्हीं लोगों के ही नाम आते हैं दूसरों के नाम नहीं आते तो उसके प्रतिकूल हमेशा दूसरों को बुलाने का प्रयास करूंगा।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इस चौथे आम चुनाव के बाद अब से दोबारा गठित हुआ है एक बड़ी भारी कमी में महसूस कर रहा था कि पिछले सदन में आम चुना से माननीय प्रेमसिं एक सदस्य थे उनसे बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलते थे। आज माननीय मोतीलाल जी भाषण के बाद में ऐसा महसूस करता हूं कि वह कमी किसी हद तक पूरी हो गयी। यह सही

कि माननीय प्रेमसिंह को शेर पढ़ने के लिये ही बुलाया जाता था और माननीय मोतीलाल जी ने भी शेर से शुरू किया । मैं ऐसा समझता हूं कि जब कभी यह सदन शेर सुनना चाहे तो मोतीलाल जी को वक्त देना चाहिये । चाहे वह शेर विषय से संबंधित हो चाहे न हो, वह ताल मेल खाते हों या न खाते हों । बड़ा मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब कि कोई माननीय सदस्य कोई तकरीर पहले से ही तैयार करके लाता है और यह सोच कर आता है कि विपक्ष यह कहेगा और हमको जवाब में यह कहना है । माननीय मोतीलाल जी की तकरीर बिलकुल ऐसी थी जैसे कि वे उसे पहले से ही तैयार करके लाये हों । इस अनुदान से उसका वास्ता नहीं मालूम होता था । मैं समझता हूं कि विपक्ष की तरफ से शायद ही किसी अनुदान को प्रस्तुत करने वाले मंत्री की इतनी तारीफ हुई हो जितनी कि आज इस अनुदान से संबंधित मंत्री महोदय की तारीफ हुई है । मंत्री महोदय ने जो इस विभाग में अच्छे काम किये हैं उनक तारीफ होना चाहिये थी और हुई । हमारे माननीय मोतीलाल जी को तो केवल २० साल की बात ही कहनी थी और वे उसे कह गये । अच्छा तो यह हो कि सदन के माहौल और वातावरण को ध्यान में रखकर भाषण हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज का यातायात संबंधी जो अनुदान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की से इसका ताल्लुक है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति से इसका ताल्लुक है, प्रदेश की तिजारत से इसका ताल्लुक है, प्रदेश की ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन से इसका ताल्लुक है, और देश और प्रदेश की सुरक्षा से इसका ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इस अनुदान का महत्व किसी भी अनुदान से कम नहीं बल्कि ज्यादा है । जब इस अहमियत को सामने रख कर हम इस अनुदान पर नजर डालते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिस रफ्तार से इस विभाग में काम होना चाहिये था, जितना धन इस विभाग के लिये रखा जाना चाहिये था, वह नहीं हुआ । इस विभाग द्वारा सन् ४७ के बाद से बहुत कुछ तरक्की हुई, बहुत से काम हुये, मगर बहुत सी खामियां अभी दूर नहीं हुई । बहुत कुछ तरक्की के काम पिछली सरकार ने किये, यह सरकार भी, मैं उम्मीद करता हूं, तरक्की करेगी क्योंकि बिना इस विभाग की तरक्की किये प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता ।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी हमारे बड़े खास दोस्तों में हैं । हमारा उनका ताल्लुक एस्टीमेट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से रहा है । वे बड़े अच्छे विचारों के हैं और दिल में भलाई का जजबा और गरीबों के लिये दिल में दर्द रखते हैं । मैं उन की कद्र करता हूं । उन्होंने जो छोटे मजदूरों को सुविधायें देने के लिये कदम उठाये वे काबिले तारीफ हैं । मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि तरक्की सड़कों में हो या भवनों के निर्माण में, जो भी हो, उपाध्यक्ष महोदय, तरक्की का कोई भी मामला पूरे प्रदेश के कुल के कुल को देखकर करना चाहिये । भविष्य में हम जो भी प्लानिंग करें चाहे वह सड़कों, भवनों और पुलों के निर्माण की हो, अगर हमने कुछ विशेष क्षेत्रों में तरक्की की और प्रदेश के दूसरे अंगों को अपंग और अपाहिज छोड़ दिया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह तरक्की नहीं होगी बल्कि वह ऐसा ही होगा कि जैसे कि इन्सानी जिस्म के कुछ हिस्सों को तरक्की दे दी जाय और उसके पैरों को दुर्बल कर दिया जाय । वह इन्सान कभी स्वस्थ्य नहीं कहलाया जा सकता । मैं इस पर विस्तार के साथ नहीं कहना चाहता। बहुत कुछ तरक्की के बावजूद यह वाकया है कि बहुत से जिले और क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप उन क्षेत्रों को, जो बावजूद हमारी पूरी खाहिशात के हम डेवलप नहीं कर सकें, जो क्षेत्र पिछड़ गये, रह गये, उसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपको अगर उन क्षेत्रों को जिलों की ओर जानी चाहिये जो जिले उपेक्षित रह गये जिन जिलों पर ध्यान कम गया । उन जिलों में हमारा एक छोटा सा जिला उमरिया भी है और इसी तरह से राय-

[श्री फिदा रहमान]

बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जालौन के जिले भी हैं । ये इस तरह के जिले हैं जहां से न पूर्व की और न ही पश्चिम की आवाज उठती है । उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । उनकी तरफ ज्यादा नजर जानी चाहिये कि वे भी दूसरे जिलों के बराबर तरक्की के उसी लेविल पर आ जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछली कांग्रेस सरकार के दिल में करप्शन की वजह से दर्द नहीं था । वह भी चाहती थी कि करप्शन को दूर करे और उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि आज जो हमारे मौजूदा मंत्री जी हैं उनके दिल में दर्द नहीं है । वे एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं । उनको भी तकलीफ होगी अगर करप्शन इस विभाग में रहता है । जब आप करप्शन की तरफ नजर करें तो कहीं ऐसा न हो कि आप एक दरख्त के रोग को दूर करने के लिये उसके पत्तों को झाड़ पोंछ रहे हों और जड़ों की तरफ नजर न जाय । उनमें पानी देने लगें और जो जड़ों को घुन लगा हुआ है उस तरफ हमारी तवज्जह न हो । करप्शन का लेविल हमें निर्धारित करना होगा । करप्शन का लेविल बहुत ऊपर तक है । कुदरत का एक आम कायदा है कि हर चीज ऊपर से नीचे को आती है । छोटे कर्मचारियों का करप्शन मजबूरी की वजह से बहुत कुछ है इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़े अफसरों के हाथ में उनका कैरेक्टर रोल रहता है जिससे उनकी जिन्दगी बनती और बिगड़ती है । छोटे कर्मचारियों के जिम्मे है कि वे अपने अफसरों की डिमान्ड्स को पूरा करें और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें अच्छी एन्ट्री नहीं मिलती है । इस तरफ आपकी निगाह भी होनी चाहिये और इस प्रथा में तबदीली लानी चाहिये ।

बहुत से एनक्रोचमेन्ट्स की शिकायतें मंत्री जी के पास आई होंगी । एनक्रोचमेंन्ट दो किस्म के होते हैं । एक तो वे जो किसी मजबूरी की वजह से हैं जैसे १९४७ में हिन्दुस्तान के बटवारे के बाद हमारे शरणार्थी भाई आये । उनके पास रहने की जगह नहीं थी, दूकानदारी करना चाहते थे । उन बेचारों ने सड़क के किनारे छोटी-छोटी गुमटियां लगाई, या जैसे उन्नाव में गंगा के किनारे कुछ मड़इया बनाकर कुछ लोग रह रहे हैं । उससे सड़क के यातायात में कोई रुकावट नहीं होती है । लइया-चने बेचकर वे अपना काम चलाते हैं । अगर आप उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे तो दुर्व्यवस्था कायम हो जायगी । वे लोग परेशानी में मुबतला हो जायेंगे । कब्ल इसके कि हम ऐसे एनक्रोचमेंन्ट को हटावें हमको इन्तजाम करना चाहिये उनके लिये अच्छी दूकानों का जहां वे अपना काम चला सकें । उन्नाव में कानपुर रोड पर गंगा के किनारे बहुत सी ऐसी दूकानें हैं । दूसरे एनक्रोचमेंन्ट ऐसे हैं जो सड़कों पर खुदा के नाम पर या ईश्वर के नाम पर मस्जिद या मंदिर बनाकर किये गये हैं, जिसके कारण वे समझते हैं कि उन्हें कौन हटावेगा । इस तरह के एनक्रोचमेंन्ट को हटाने के लिये कड़ाई के साथ अमल होना चाहिये ।

एक बात मैं अपने जिले की कहना चाहता हूं । हमारे जिले के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा और उनकी बदकिस्मती होगी अगर मैं उनकी बात न कहूं । उन्नाव जिले की २, ३ सड़कें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । उन्नाव से सिकन्दरपुर सरोसी-परियर की सड़क है और सफीपुर-संडीला रोड की तरफ खास तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे जिले की ला ऐंड आर्डर की हालत यातायात के साधन न होने के कारण बहुत गम्भीर है । पुलिस सब जगह आसानी से जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं । जहां दिन-दहाड़े कत्ल हो जाता है । और डाका पड़ जाता है नागालैंड में जहां यातायात के साधन कम हैं व ासं की सी हालत है । हमारे जिले में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां शाम के ५, ६ बजे के बाद कोई ला ऐन्ड आर्डर नहीं है । वहां खुले-आम किसी का कत्ल और डकैती की जा सकती है । तो मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना जरूरी है ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री अश्वनी कुमार का नाम पुकारे जाने पर :)

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या यह कोई नई पद्धति आपने अपनाई है कि किसी को तो पूरे सेशन भर मौका नहीं मिलता है और किसी को ५, ६ बार मौका देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ऐसा नहीं है ।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान का समर्थन करता हूं ।

मुझे यह निवेदन करना है कि जब हम दर्जा ४ में पढ़ते थे तो भूगोल में प्रश्न पूछा जाता था कि जिले की वह कौन सी तहसील है जहां कोई रेल की लाइन नहीं है और कोई पक्की सड़क नहीं है, तो हम लोग जवाब लिखा करते थे गोरखपुर जिले में बांसगांव तहसील । अंग्रेजी शासन में जनता की कोई आवाज सुनी नहीं जाती थ लेकिन आजादी के बाद भ इस तहसील क तरफ किस क निगाह नहीं गई । वहां केवल २ सड़कें हैं, एक तो गोरखपुर हेडक्वार्टर से बड़हलगंज-दोहरीघाट तक जाती है । मंत्री जी भी उसे जानते हैं और १२ विधायक उस तहसील में थे फिर भी वहां कुछ नहीं किया गया है । सड़कें बनती हैं, इस वर्ष भी बनेंगी, लेकिन उनके बनने का आखिर तरीका क्या है ? अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि सड़क तो बन जाती है, बहुत सी जगहों पर अच्छी सड़कें भी बनती हैं लेकिन आज भी ऐसे इलाके हैं जहां यातायात का कोई साधन नहीं है । मेरा सुझाव है उन जगहों को प्राथमिकता देनी चाहिये जहां सड़कें नहीं हैं चाहे १ मील हो या २०० मील हो । गोरखपुर जिले में बांसगां तहसील ऐसी ही है । दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पिछले २० सालों से भ्रष्टाचार का केन्द्र रहा है । इसको मिटाने के लिये अगर इस सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया तो जनता को बड़ी निराशा होगी । अभी हाल ही में डेढ़ महीने पहले आंधी आयी थी । गोरखपुर में बड़हलगंज रोड पर हजारों की संख्या में पेड़ गिर गये थे । अधिकारियों का अपना अनुमान है और मेरा भी अनुमान है कि ढ़ाई तीन लाख रुपये के कीमत के पेड़ गिरे । लेकिन उन पेड़ों का कोई नीलाम नहीं किया गया और विभाग के अफसरों ने लूट खसोट कर रुपये को खा लिया और सरकारी खजाने को ढाई तीन लाख की हानि हो गई । मंत्री जी जब वहां गये थे तो वहां भी उनसे इस बात की शिकायत की गयी थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इसके अलावा इस विभाग की सड़कों पर बहुत से लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया है । अव्वल तो ऐसा कब्जा नहीं होना चाहिये । दूसरे ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी जमीन बताकर लोगों को दिये हुये हैं और उनसे कर वसूल करते हैं । जब कि यह कर अगर वसूल होता है तो सरकारी खजाने में जाना चाहिये । इस प्रकार गुंडे और बदमाश लोग सरकारी जमीन से नाजायज लाभ उठा रहे हैं । इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी । भ्रष्टाचार वहां पनपता है जहां आफीसरों को डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं । उनका उपयोग जैसा वे लोग चाहते हैं वैसा करते हैं और लोगों से मनमाना पैसा उसके बहाने से वसूल करते हैं ।

इसके अलावा बड़ी मात्रा में इस विभाग के द्वारा ठेके पर काम कराया जाता है । मैं ऐसे ऐसे भी बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका किसी भी ठेके से कोई ताल्लुक नहीं है । वे इंजीनियरों से दोस्ती रखते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, दावतें देते हैं और अपने नाम से ठेका करा लेते हैं । ठेका हो जाने के बाद छोटे-छोटे ठेकेदारों को दे देते हैं । इसके बारे में मेरा कहना है

[श्री अश्वनी कुमार]

कि इस ठेकेदारी प्रथा को या तो सुधारा जाय अथवा इसको समाप्त कर दिया जाय। यह प्रथा सन् ४७ से आज तक चली आ रही है। इससे इस विभाग की बड़ी भारी बदनामी है। इतने दिन से चली आ रही इस पाप को सरकार को दूर करना चाहिये। माननीय मंत्री जी इस काम को करें।

हमारे जिले में अंग्रेजों के जमाने से भी पहले की एक सड़क है, लेकिन उसका कोई पुरसां हाल नहीं है, वह जिला परिषद् के अधीन है। जिला परिषद् का भी एक सार्वजनिक निर्माण विभाग है। मेरा सुझाव है कि जो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं उनको जिला परिषद् से ले लेना चाहिये और सरकार को ही अपने विभाग द्वारा उनका निर्माण और मरम्मत करनी चाहिये। जिला परिषद् के एक इंजीनियर से जब मेरी इस बारे में बातचीत हुयी तो उन्होंने बताया कि जिला परिषद् की ऐसी भी बहुत सी सड़कें हैं जिनको जिला परिषद् के इंजीनियरों ने देखा तक नहीं है। हमारे यहां एक सड़क है जो वास्तव में सड़क न होकर एक नाला है, उसको पार करने के लिये नाव की आवश्यकता होती है। बरसात के दिनों में इन जिला परिषद् की सड़कों को देखने से मालूम पड़ता है कि कोई नदी या नाला बीच में बह रहा है। और उन गढ़ों को पार करने के लिये वाकई में नाव की जरूरत होती है। अतः मैं बहुत जोर के साथ सरकार से मांग करता हूं कि इन जिला परिषद् की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने अधीन करके उनकी मरम्मत करावें। गोरखपुर में एक सड़क गोरखपुर से भिर्जापुर रुद्रपुर (देवरिया) को जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है, मैं चाहता हूं कि उनका निर्माण और मरम्मत बहुत शीघ्र होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध तथा इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। मैं इस सदन में सुन रहा हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब ऐसा दौर आया है कि वह अब मिट गया है या मिट जायगा। यह सभी जानते हैं कि सरकारी विभागों में माल विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार के ऐसे अड्डे हैं जिनमें भ्रष्टाचार आज भी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनमें इस दरम्यान अधिक भ्रष्टाचार बढ़ा है और उसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक इस पी०डब्लू०डी० में केवल ठेकेदार होते थे और कुछ और लोग भी होते थे लेकिन अब जो यह संयुक्त विधायक दल बना है और उसमें जैसा एका आप देखते हैं वैसे ही वह जिलों में भी एका इनका कायम हो गया है, हर दल के लोगों ने एक-एक विभाग को बांट लिया है। आप चले जायं सप्लाई दफ्तर में तो वहां एक कम्युनिस्ट नेता डंडा लिये बैठे होंगे और हर आदमी को परमिट के लिये उनसे बात करनी होती है। इसी तरह से मंत्री जी के दल के एक कोई नेता सार्वजनिक विभाग के दफ्तर में डंडा लिये बैठे हैं, वगैर उनके किसी का काम नहीं चलता। मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर भ्रष्टाचार और बढ़ा है। हमारे जिले में १४ अप्रैल को प्रधान मंत्री जी पधारीं और उनके सामने चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमारे सूबे के हर विभाग के बड़े-बड़े विशिष्ठ अफसर गये और योजना की वहां चर्चा हुयी और जो योजनायें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थीं या जिनके सम्मिलित होने का प्रस्ताव था, उनकी वहां चर्चा हुई थी लेकिन अब जब यह मोटी मोटी किताबें हम यहां देखते हैं तो उसमें बिलकुल उल्टा, है टेंडर मांगे गये लेकिन बाद में यहां से हुक्म पहुंच गये कि अब सड़कें बदल गई हैं और अब दूसरी सड़कों के टेंडर मांगे जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह परिवर्तन क्यों हुआ है। अगर मंत्री जी इस बात को नहीं जानते तो मैं उनके नोटिस में यह बात ला रहा हूं कि ऐसा हो रहा है और उस वक्त में ऐसा हो रहा है जब कि हम प्रगतिशील होने का दम भरते हैं और ऐसा कहने में रात दिन अघाते नहीं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान बढ़ते हुये भ्रष्टाचार की तरफ आकृष्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं। यह जो गैर सरकारी व्यक्ति हर विभाग में काबिज हो गये हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारा जिला सूबे के मध्य का एक जिला है, उसकी तरफ किसी की निगाह जाती ही नहीं, न वह पूर्व में पड़ता है, न पश्चिम में पड़ता है न वह उत्तराखंड में पड़ता है, न बुन्देलखंड ही में पड़ता है और इसलिये उसकी हर तरह से दुर्दशा है। हमारे जिले में से प्रादेशिक सड़कें जाती हैं और इसी वजह से हमारे जिले का, सड़कों का कोटा कम कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपके जिले में इतनी लम्बी बड़ी सड़क जा ही रही है और मैं आप से बताऊं कि जो कोटा मुकर्रर हुआ था और जितने के लिये हमसे संस्तुति मांगी गयी थी, जिला परिषद् के माध्यम से, और जो योजना वहां से भेजी गयी, वह यहां पर बदल दी गयी है। इन सड़कों के नामों को प्राथमिकता के क्रम में वहां से भेजा गया था, लेकिन यहां पर वे सब बदल भी गयीं। श्रीमन्, हमारे यहां पर एक १८ मील की सड़क है जो सलोन से खागा जाती है। उसको श्रमदान से वहां की जनता ने, वहां के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने बनाया और उसको सरकार ने अपने प्रबन्ध में ले लिया परन्तु पता नहीं क्यों उस में से ४ मील सड़क छोड़ दी गयी। अगर वह ले ली जाय तो फतेहपुर और खागा में से यहां का संबंध कायम हो जाय। इस तरीके की जो बीच में बातें और कटौतियां हो जाती हैं, वे नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, हमारे जिले में एक सब से महत्वपूर्ण सड़क है वह सलोन से डलमऊ जाती है लेकिन उसकी उपेक्षा की जाती है कि उधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सलोन से कुन्डा की तरफ मानकपुर में जो प्रतापगढ़ का हिस्सा पड़ता है वह पक्का हो गया है लेकिन हमारी तरफ पांच मील का हिस्सा वैसा ही पड़ा हुआ है। ये बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हैं और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इनकी ओर वे ध्यान दें। हमारे जिले में एक सई नदी है। वह कई जगहों पर हमारे जिले को बांटे हुए है। यह नदी हमारी तहसील सलोन की बगल से जाती है। जायस सलोन से ११ मील पड़ता है लेकिन वहां जाने के लिये लोगों को २० मील रायबरेली जाना पड़ता है और फिर २० मील वापस आना पड़ता है। इस नदी के कारण इस प्रकार से ४० मील जाना पड़ता है। मैंने सुना है कि वह पुल, जो इस योजना में शामिल था, वह भी काट दिया गया है। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक मेला होता है हर पूर्णिमा को। उसके लिये एक सड़क है लेकिन वह १० मील ऐसी कच्ची पड़ी हुयी है। नदी पर पुल न होने के कारण सुल्तानपुर तक के लोग उस पर से जाते हैं और सब पर्वों पर गंगा में स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जिले की जो उपेक्षा की जाती है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्त में, मैं एक बात किसी की आलोचना स्वरूप नहीं कहता हूं बल्कि असलियत में कहना चाहता हूं कि हर विभाग पर यह ठेकेदारी बंठ गयी है जिनको श्रीघ्रातिश्रीघ्र हटाने का प्रबन्ध माननीय मंत्री जी को करना चाहिये नहीं तो इस से जिलों की हालत और विभाग की हालत नहीं सुधर पायेगी।

*श्री राजाराम (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान के संबंध में बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे साथी जो उधर से बोल रहे थे, उन्होंने फरमाया कि हमारा जिला एक ऐसा जिला है जो न पूर्व में पड़ता है न पश्चिम में पड़ता है, न उत्तराखंड में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री राजाराम]

पड़ता है और न बुन्देलखंड में पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं २० वर्षों से राजनीतिक तपस्या करता रहा परन्तु फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। इनका कहना उसी तरह से है जैसा कि जब रामचन्द्र जी वनवास को गये तो अयोध्या के लोग उन्हें पहुंचाने गये हुये थे। जाते समय उन्होंने अयोध्या के नर नारियों को अपने अपने घर लौटने को कहा। परन्तु जब रामचन्द्र जी लौटकर अयोध्या आये तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं लौटे। उस पर उन्होंने कहा कि आपने नर नारियों को लौटने को कहा था। हम लोगों के लिये कोई आदेश नहीं दिये थे। उसी कांग्रेस के राज्य में हमारे ये साथी जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, २० वर्ष तक इन्तजार करते रह गये। लेकिन फिर भी ध्यान नहीं गया कांग्रेस सरकार का। मैं तो समझता हूं कि २० वर्ष में किसी भी जिले में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि हर आदमी अपने अपने जिले की बात कर रहा है। बलिया वह जिला है जो १९४२ के आन्दोलन में आगे रहा और यह भी सही है कि वहां पर कोई निर्माण नहीं हुआ था और न अभी तक हुआ है। लेकिन ब्रिटिश काल में जब सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था तो वहां के रहने वालों के लिये फायदे की बात यह हुई कि यातायात के साधन न होने के कारण जो जो जहां था वहीं पर आजाद हो गया और बलिया इसीलिये १४ दिन स्वतंत्र रहा। ो कांग्रेसियों ने भी यही समझा था कि जिस प्रकार निर्माण न होने से बलिया का काफी नाम हुआ शायद पूरा उत्तर प्रदेश भी उसी तरह से नामी हो जायगा।

मैं मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं। वहां पर एक पुल है जिस पर बस ऐक्सीडेंट हुआ था, और दो आदमी मर गये थे। मंत्री जी ने स्वयं उस पुल को देखा है। वह सड़क इतनी कम चौड़ी है कि बस पार करने के लिये मुसाफिरों को उतरना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया था कि फौरन इस का निर्माण किया जाय। लेकिन दो महीने बीत गये अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां के विधायकों ने एक रेप्रेजेन्टेशन भी दिया था और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। मुझे आशा है कि मंत्री जी उस पुल तथा सड़कों को बनवाने की शीघ्र व्यवस्था करेंगे।

सड़कों की क्यों आवश्यकता है? आप सब सदस्य इनकी उपयोगिता को समझते हैं। पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि सड़कों के न होने से आने-जाने की असुविधा रही है, बसों का न चलना, रास्तों का सुनसान होना ही क्राइम बढ़ने के कारण हैं। इस क्राइम को मिटाने के लिये आवश्यकता है कि सड़कों से गांवों का संबंध जोड़ दिया जाय और विशेषकर उन गांवों का जो मुख्य सड़कों से काफी दूर पड़ते हैं।

इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे एक साथी ने कहा कि मुकाबला करने में दिक्कत होती है कि कचहरी में भ्रष्टाचार ज्यादा है या पी० डब्लू० डी० में। मेरे खयाल से कोई किसी से कम नहीं है। भ्रष्टाचार को कम करने का जहां तक सवाल है, उसके आसार दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप देहात में कहीं जायं, विवाह के मौके पर अगर आपको वर ढूंढना है तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि लड़की के लिये कोई इंजीनियर खोजो। दूसरा कोई पेशा किसी को पसन्द नहीं है, कोई वकालत या मास्टरी का पेशा पसन्द ही नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोग समझते हैं कि इंजीनियरी में तनख्वाह हो या न हो लेकिन कम से कम ऊपर की आमदनी बहुत अच्छी है। अगर एक साल कोई इस विभाग में इंजीनियर हो जाय तो १ लाख रु० से अधिक की बचत होगी। मंत्री जी पांच साल तक मंत्री रहें तो शायद वे खाने के बिना मर जायं, लेकिन अगर कोई आदमी इनके अधीन रहकर इंजीनियर हो जाय तो वह मालामाल हो जायगा। तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि कम से कम इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे रोकने का वह कष्ट करें और निर्माण के कार्यों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें। समाजवादी होने के नाते उनसे यही आशा है कि उसे वे अपने विभाग में कार्यान्वित करें। माननीय सहदेव सिंह ने कहा कि पूर्व में काफी काम हुआ है। मैं

उन्हें बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी जिले में बलिया ऐसा जिला है जहां पर सिंचाई हो अथवा निर्माण कार्य या अस्पताल का काम है, सब में वह पिछड़ा हुआ है। गेंदासिंह कमेटी जब बनी थी तो वह बलिया गई थी और उन्होंने देखा था कि बलिया के लोग कैसे गुजर कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि आज उनको फिर मौका मिला है कि वे पूर्वी जिलों के लिये देवरिया के साथ आवाज उठावें। ढ़ाई वर्ष से वे मौन थे लेकिन आज उनको फिर मौका मिला है विरोधी दल की तरफ से आवाज उठाने के कि बलिया, गाजीपुर तथा देवरिया उपेक्षित हैं। चार जिलों को पटेल आयोग में लिया गया था लेकिन बलिया की आवाज न होने से वह उस में सम्मिलित होने से वंचित रह गया था। बलिया जो पिछड़ा हुआ है उसे माननीय मंत्री को आगे बढ़ाना चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय। जब तक यह प्रथा नहीं टूटेगी तब तक इस विभाग से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। ठेकेदार घूस देकर, जाति के आधार पर लाखों रुपये के ठेके लेते हैं और काफी रुपया कमाते हैं इंजीनियरों को खुश कर के। जिस तरह से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया उसी तरह से साहसी कदम उठा कर ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिये।

इस विभाग के जरिये जो सड़कें मरम्मत होती हैं एक साल के बाद उनकी हालत वैसी ही हो जाती हैं। कोई भी सवारी उन पर चले तो कष्ट होता है और अगर गर्भवती औरत अस्पताल तक बस पर जाय तो रास्ते में ही बच्चा पैदा हो जाता है। मेरा निवेदन है कि सड़कों की मरम्मत ठीक से होनी चाहिये ताकि लाखों रुपया उन पर बरबाद न हो। इस विभाग में हर तरह से सुधार की गुंजायश है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं पूरब के १२, १३ जिलों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं जो उपेक्षित हैं, पिछड़े हुये [illegible] कहने में मुझ जरा भी हिचक नहीं है जिस उपेक्षित दृष्टि से ये पूरब के जिले देखे गये हैं अगर इसी तरह से ये देखे गये तो कभी भी उनकी हालत सुधर नहीं सकती। किसी क्षेत्र का विकास वहां के यातायात के साधनों पर निर्भर करता है। अभी मेरे साथी ने राम की चर्चा की। अयोध्या एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। वहां से एक सड़क जनकपुर को, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया होते हुये जाती है। इस सड़क के लिये तीनों जिलों के जिला परिषदों के माध्यम से यह सुझाव आया कि इसको ले लिया जाय। बस्ती जिले में बिक्रम ज्योति से होते हुये आगे सड़क जाती है। बस्ती जिले में ५६ मील सड़क पहले ले ली लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसे रोक दिया गया। ६ मील की सड़क प्रारम्भ की गयी लेकिन बाद में पता नहीं वह पैसा कहां चला गया। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि अयोध्या और जनकपुर को मिलाने वाली यह पवित्र सड़क धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे जिले से संबंधित हूं जिस से हर प्रकार से कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। नेपाल की सरहद से मिला हुआ, नदी और नालों से घिरा हुआ जिला, और केवल मेरा ही जिला नहीं बल्कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और गोंडा और बहराइच जिलों के भी कुछ भाग विकास की दृष्टि से अपने को बहुत पीछे पाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास समान दृष्टि से हो तो हमें इन पिछड़े हुये जिलों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। इनके पिछड़ेपन का कारण जहां तक मेरा खयाल है अगर मैं उसको स्पष्ट करूं तो शायद मेरे दोस्तों को काफी तौर से धक्का लगेगा कि यह एक खास बात है कि जिस क्षेत्र के मंत्री जी रहे उन्होंने उसी क्षेत्र में काम किया। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि आजमगढ़ के मंत्री जी हैं तो वह आजमगढ़, गोरखपुर,

[श्री धनुषधारी पांडेय]

देवरिया और बस्ती में ही काम करें। लेकिन यदि ये जिले पिछड़े हुये हैं तो समानता की दृष्टि से आप अगर काम करते हैं तो हमें विकास में आगे बढ़ने के लिये सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र पूर्वी जिलों में हैं जहां जज भी हैं, कलेक्टर भी हैं। जो चाहते हैं वह कर देते हैं। कत्ल हो गया लेकिन उसकी रिपोर्ट ठीक से नहीं हो पाती है। इसका कारण है यातायात के साधनों की कमी। वहां पर इतनी गरीबी है कि मजदूरों को रोज मजदूरी नहीं मिलती है। वह बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। यदि यातायात के साधन होते तो समस्या काफी हद तक सुलझ जाती।

कहा जाता है कि वहां बड़ी लाइन नहीं जा सकती है क्योंकि पुल नहीं हैं। इसलिये सामान नहीं आ सकता, ट्रकें नहीं जा सकतीं। तो केवल नारा लगा देने से कि भ्रष्टाचार है काम नहीं चलता। यह तो एक आम चर्चा हो गयी है। उसके लिये आप सोचें, देखें, तौलें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार मिटेगा और इस पर चर्चा करना उचित मालूम होता है। लेकिन आपका लड़का हो सकता है कि इंजीनियर हो, मेरा लड़का हो सकता है कि इंजीनियर हो या ओवरसियर हो और सब के लिये यह कह देना कि बेईमान हो बेईमान सारे भरे हुये हैं, मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक धारणा बना ली है कि सब के सब बेईमान हैं। लेकिन मेरा कहना है कि बीसों वर्ष से भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा लग रहा है। जब पंत जी की सरकार थी, सम्पूर्णानन्द जी की सरकार थी, माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार थी, माननीय सुचेता कृपालानी की सरकार थी जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं और उनके सामने सिर नवाते हैं, उन्होंने भी इसके लिये प्रयत्न किया लेकिन भ्रष्टाचर नहीं मिट सका। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी किसी को सस्पेंड कर दें, किसी को मार दें, किसी को निकाल दें, उससे काम नहीं चलने का। जब तक उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट सकेगा। जो लेने-देने में विश्वास करते हैं वे इस चीज को कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। मैं अपने यहां की एक कहानी बतला दूं कि चकबन्दी के मौके पर मस्जिद के अन्दर कुछ लोगों ने कसम खायी कि हम किसी को पैसा नहीं देंगे लेकिन कुछ देर के बाद ही एक आदमी चकबन्दी अधिकारी के पास पैसे देने के लिये पहुंचे। उसके बाद धीरे-धीरे कुछ और लोग पहुंचे। जब मस्जिदों में कसम खाने के बाद, कुरान की कसम खाने के बाद भी लोग पैसे देने से अपने को नहीं रोक पाते तो मेरी समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है। रोज चिल्लाने से कि सब के सब बेईमान हैं, यह तो उनके चरित्र को गिराना है। अगर सब का चरित्र गिर गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आगे चरित्र कैसे उठेगा।

जहां तक पिछड़े क्षेत्र हैं—चाहे बस्ती जिला हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे झांसी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे पहाड़ी जिले हों, इनमें से कुछ जिलों का विकास हुआ हो लेकिन मुझे याद है कि सन् ५७ में बस्ती जिला १३वें नम्बर पर था तब से आज तक वहां न कोई सड़क बनी है, न कोई सड़क ली गयी, न कोई पुल लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि बस्ती जिला किस नम्बर पर होगा। देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव आदि जिले किस नम्बर पर होंगे। आपके पास तो लिस्ट होगी, तो आप कृपा करके नम्बर के हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। जिनका कोटा पूरा हो गया हो उनको तो रोक दें, अगर आप में हिम्मत हो। अक्सर होता है कि जब प्लान बनता है तो वरिष्ठ सदस्य लोग पहुंच कर अपने यहां की सड़कें या पुल बजट में रखवा लेते हैं। अगर बजट में सड़क आ गई तो उसे काटा तो जा नहीं सकता है, लेकिन जिन सड़कों को काटा गया है उनमें से एक का उदाहरण मैंने दिया कि राम-आनकी सड़क जो बस्ती-गोरखपुर-देवरिया होते हुए बिहार को जाती है उस सड़क के लिये जिला परिषद् में प्रस्ताव आया और वह सड़क नं० १ पर मंजूर हुई, उसके लिये रुपया एलाट हुआ लेकिन वह सड़क न मालूम क्यों रोक दी गयी। थोड़ी सी सड़क ली गयी। अब आप सोच सकते हैं कि गोरखपुर डिवीजन कहां रहेगा, झांसी डिवीजन कहां रहेगा और पहाड़ी जिले कहां रहेंगे आगे जो। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामचरन दोहरे (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है। आज सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने लगभग २३ करोड़ रुपये का बजट सड़कों और महलों के निर्माण के सम्बन्ध में सदन की स्वीकृति के लिये पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जहां तक उन्होंने यहां पर दो तीन बातों की—नयी सृष्टि की रचना की है, एक तो मजदूरों के स्थायित्व की, उसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। कटौती का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने पेश किया था, मेरा ऐसा खयाल था कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की इस घोषणा के बाद उनको वापस ले लेना चाहिये था। मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूं कि विरोधी पार्टी की ओर से जब कभी भाषण किये जाते हैं तो सबसे पहले हरिजनों की दुहाई दी जाती है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय कोई दुकानदार जब दुकान खोलता है तो चमार की बोहनी करना अपना भाग्य समझता है। उसी तरह से यह भी हरिजनों का नाम लेते हैं। मुझे अफसोस होता है कि २० साल इनके हाथ में शासन की बागडोर रही तब वे हरिजनों की बात क्यों भूले रहे? जो संरक्षण उनको मिलना चाहिये था वह उनको क्यों नहीं दिया गया? फिर आप दुहाई देकर हरिजनों की सस्ती सहानुभूति लूटना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी सहानुभूति वे लूटना बन्द कर दें।

जहां तक निर्माण की बात है, भ्रष्टाचार की बात है तथा सड़कों और भवनों के निर्माण में जो भ्रष्टाचार होता है वह भी उसी शासन की देन है जो २० साल से बना रहा, जिसकी दुहाई इन्होंने दी कि हमारे यहां २० साल में इतनी सड़कें बन गईं। मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक को देखिये। उस जमाने में न रेलें थीं न हवाई जहाज थे तो उस समय सड़कों के किनारे धर्मशालायें, कुयें और बावड़ी बनाई जाती थीं। सम्राट शेरशाह के जमाने में देखिये कि केवल ५ साल के अन्दर तमाम हिन्दुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हुआ। उसकी कोई दुहाई नहीं देता है। केवल इनको अपने कारनामे याद आते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि इनके जमाने में जो भवन, पुल और बांध बनाये गये वे एक साल बाद बह कर बंगाल की खाड़ी में पहुंच गये क्योंकि उनमें सीमेंट का १ : ८ का अनुपात था। मैं इस सरकार से और मंत्री जी से आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के बांध और भवन न बनाये जायं। उनमें ऐसा भ्रष्टाचार न आने पाये।

इटावा जिले की बात माननीय सहदेवसिंह जी ने कही कि किस तरह से उसकी उपेक्षा की गई। उन्होंने अपने क्षेत्र की बात रखी। इसलिये मुझे भी मौका मिल गया कि मैं बची हुई समस्याओं को सदन के सामने रखूं। इटावा जिले में दो सड़कें हैं एक अछल्दा से विधूना (१० मील) को जाती है और दूसरी फफूंद से दिवियापुर वाली सड़क है (६ मील)। इटावा जिला परिषद् का बजट ५० लाख का होता है लेकिन फिर भी इन दोनों सड़कों की जो दशा है वह पिछले मंत्रियों ने भी देखी होगी और इन्होंने भी देखी होगी कि कितनी हालत खराब है। यदि जिला परिषद् उनको बनाने में असमर्थ है तो राज्य सरकार अपने हाथ में ले। इसके अलावा फफूंद बहुत पुराना कस्बा है और वह ऐसे स्थान पर है जहां से ८ सड़कें कच्ची या पक्की जाती हैं। फफूंद से औरैया जाने वाली सड़क जिस पर कुछ काम पिछले दिनों हुआ था पता नहीं क्यों वह काम बीच में रोक दिया गया। सेंगर नदी पर शेरपुर सरैया नाम के स्थान पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चरन दोहरे]

पुल बनाने की योजना थी। ७०–८० हजार रुपया चन्दा भी किया गया। पता नहीं कि वह क्यों रुक पड़ा है। मझे ताज्जुब हुआ जब मालूम हुआ कि चन्दे की रसीदें ऐसे कुछ लोगों के पास पड़ी हुई हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि जहां से रसीदें शुरू की गयी हैं उनके यहां कोई लेखा जोखा है भी या नहीं। शेरपुर-सरैया पर सेंगर नदी पर जो पुल की योजना है उसको चालू किया जाय। उससे औरैया-फफूंद के मिल जाने से वह पुराना सम्बन्ध फिर से चालू हो जायगा। इसी तरह से शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी का पुल है उस पुल के बनवाने से इटावा और जालौन के बीच में सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। औरैया व्यापार की मंडी है। जिस प्रकार कानपुर में पुखरायां मंडी में अन्न खत्तियों में भरा जाता है उसी प्रकार वहां भी खत्तियों में अन्न भरा जाता है। उस मंडी का सम्बन्ध जालौन जिले से जुड़ जायगा। मैंने यह देखा कि जो यह पुस्तक है इसके अन्दर न शेरगढ़ के पुल की चर्चा है और न शेरपुर-सरैया पुल की चर्चा है। इसी तरह से मुरादगंज-अयाना की जो सड़क है, दो मील का टुकड़ा है जो बनाया गया था फिर रोक दी गयी। वह सड़क मुरादगंज कस्बे से फफूंद से सम्बन्धित है और सीधे उस सड़क पर दिबियापुर से तिरवा को जाती है जहां रिहन्द नदी का पुल बनाना है, दिनवामऊ, बीझलपुर तक वह सड़क है जिसमें प्राचीन काल में कन्नौज और महोबा के बीच व्यापार होता था। अगर निर्माण मंत्री ध्यान दें तो वह भी महत्वपूर्ण सड़क है। इसी तरीके से हरचन्दपुर से पाता होती हुई फफूंद कस्बे को सड़क जाती है। उसको कचौंसी स्टेशन तक जोड़ा जा सकता है। नये साधनों से फफूंद कस्बे का व्यापार उसी तरह से अच्छा हो सकता है।

मैंने देखा कि जो जिलों के इंजीनियर हैं उनको आदेश मिलते हैं जो बीच के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर होते हैं. चीफ इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० लखनऊ में रहता है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर फतेहगढ़ में रहते हैं। मैंने देखा कि एक बाईपास बन रहा है सेंगनपुट्टा गांव में। वहां आदेश हुए कि बीच गांव में होकर वह बनाया जाय। वहां के लोगों के घर गिराये गये, जो घर लिंटर लगा कर पक्के बने थे। जब घर गिर गये तब यह देखा गया कि यहां से काम नहीं चलेगा। खेत काट कर बाईपास बनाना चाहिए। खेतों में फसल लगी थी, मैंने मंत्री जी से बात की कि एक तरफ घर गिराये जा चुके हैं, अगर घर गिराये गये तो खेतों को नहीं काटना चाहिए था। वह अच्छी से अच्छी जमीन है उस पर अन्न पैदा करने की ज्यादा जरूरत थी। यह जिला इंजीनियर की हालत है वहां रिश्वत का बाजार गरम है। यह बीच में जो इंजीनियर की कड़ी है इसको तोड़ दिया जाय और जिला इंजीनियर का सीधा सम्बन्ध चीफ इंजीनियर से होना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मंत्री महोदय ने अपना भाषण बड़ा संक्षिप्त और जो कुछ उन्होंने ढाई-तीन महीने में किया है, उसको कुछ शब्दों में कह दिया। मैं इतने दिनों से बजट के कई भाषण सुन चुका हूं, उसमें आम तौर से यही हुआ करता था कि उस विषय पर बोला कम जाता था और राजनैतिक भाषण ज्यादा हुआ करते थे। एक बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही कि उन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की, जिनकी तादाद २० हजार है और उसमें से १५ हजार को स्थायी करने की बात कही। मैं यदि सही समझा हूं इससे उनका तात्पर्य वर्कचार्ज से है तो मैं उन्हें अवश्य बधाई दूंगा, क्योंकि वर्कचार्ज कर्मचारी की स्थिति बहुत अर्से से बहुत दयनीय रही है। पिछले तीन-चार वर्षों में पिछली सरकार ने ५–५ रुपये कर के तीन दफा उनका वेतन कुछ बढ़ाया अवश्य, लेकिन उससे भी उनकी कोई हालत सुधरी नहीं। न उनको छुट्टियां मिलती हैं न उनको तरक्की मिलती है, कई कठिनाइयां उनके सामने हैं। मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय यदि यह स्पष्ट कर दें कि उनका तात्पर्य वर्कचार्ज से है तो मैं बड़ा अनुग्रहीत हूंगा। और कृपया उन चीजों को भी गिना दें जो सुविधाएं उन्हें देने का उन्होंने निर्णय किया है—वह कौन-कौन-सी हैं और वे कब से लागू हो जाएंगी।

एक बात तो मानने की है कि इस बजट में इस विभाग के लिये धन की राशि अपेक्षाकृत कम है। मैं इसमें दोष मंत्री महोदय को नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि कुछ इसके लिये वह लोग भी उत्तरदायी हैं जो बजट का इस प्रकार से प्रबन्ध करते हैं कि खर्च तो बढ़ता जाए और आमदनी घटती जाए। कुछ आमदनी घटाने की बात वर्तमान सरकार ने की है और इसका असर योजना पर क्या पड़ेगा? यह आगे चल कर पता चलेगा। क्योंकि जितना धन आप कम उपलब्ध करेंगे, उस अनुपात से लगभग दुगुना जो आपको प्लानिंग कमीशन या केन्द्र से मिलता है, वह भी घट जाएगा यानी जो ९०० करोड़ रुपये की चतुर्थ योजना थी, वह ६०० करोड़ की रह जाएगी। तो इस अनुपात से घटना शुरू हुआ तो सभी विभागों में घटी होगी और जो विभाग सब से कमजोर दिखाई पड़ेगा उसमें सब से ज्यादा कमी की जायेगी। जो मंत्री तेज होगा, बोलने में तेज होगा उसके विभाग में कम कटौती होगी तथा दूसरे मंत्री के विभागों में काफी बजट में कमी होगी। इसका नतीजा यह होगा कि इस विभाग के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई भी कम होगी, पुलों की तादाद भी कम होगी तथा और भी कामों में कमी होगी। तो यह जो आपकी पूरी नीति है उसका प्रश्न है, किसी विभाग विशेष का प्रश्न नहीं है इसमें। यह अवश्य है कि यह भी कभी-कभी होता है कि न आमदनी करो न खर्च करो, आराम से घर बैठो, काम करोगे तो आलोचना होगी, इसलिये कम से कम काम करो। बड़े आराम से दिन कटेंगे, तो यह नीति तो वर्तमान सरकार की है। इस विषय में मैं केवल सार्वजनिक निर्माण मंत्री की आलोचना करूं तो ठीक नहीं होगा। इस समय मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि साढ़े तीन महीने पहले इसकी कमियों का मैं ही जिम्मेदार था। मैं अपने को अधिकारी नहीं समझता कि उसकी आलोचना करूं कि साढ़े तीन महीने में यह विभाग क्या कर सकता था और क्या नहीं कर सकता था और लोगों का यह काम है। मैं तो केवल कुछ सुझाव दूंगा, यदि मंत्री महोदय को पसन्द आवें तो ग्रहण करें अन्यथा उनको अधिकार है कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें।

ठेकेदारों के सम्बन्ध में शिकायत रहा करती है और पिछली सरकार ने इस विषय में कुछ कदम उठाये थे। एक डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन यूनिट कायम रखने की कोशिश की थी जिसके द्वारा कई पुल बनाये गये और उसमें जो तखमीना था और जो ठेकेदार कम से कम रकम मांगते थे उस से कहीं ज्यादा सस्ती कीमत पर उनके द्वारा काम हुआ और इसलिये डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन यूनिट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जब कम तखमीने काम ज्यादा हो तो काम करने वाले अधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिये उनको पारितोषिक स्वरूप कुछ अवश्य दिया जाय। आम तौर पर यह रहा है कि जो नान-गजेटेड आफिसर्स हैं उन्हीं को पारितोषिक दिया जा सकता है लेकिन जो गजेटेड आफिसर्स हैं उनको पारितोषिक देने का रिवाज नहीं है। यदि नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जाय तो लाभ अधिक हो सकता है।

दूसरी बात पदोन्नति के बारे में है। इंजीनियरिंग विभाग की कई श्रेणियां हैं--सिंचाई विभाग, विद्युत् विभाग और पी० डब्ल्यू० डी० इन तीनों में पदोन्नति के नियमों में अन्तर है। कहीं पर योग्यता पर विशेष जोर है तो कहीं पर सीनियारिटी पर। मेरा खयाल है कि आज के समय में काम जब तेजी से करना होता है तो पदोन्नति के समय योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाय। कभी-कभी ऐसा भी होता है आदमी अपनी योग्यता के बल पर बढ़ सकता है। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है और उसके नीचे दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर है, लेकिन उससे कुछ सीनियर जरूर है। जब कन्फर्मेशन का समय आता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यह सरकार के विचाराधीन था। पब्लिक सर्विस कमीशन से इस सम्बन्ध में बात होने वाली थी। माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में पत्रावली निकाल कर देखें कि अगर योग्यता पर अधिक जोर होगा तो कार्य में सुविधा होगी, कार्य अच्छा होगा, किफायत से होगा और शिकायत कम होगी।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

जनशक्ति योजना का काम है। यह काम दो तरह से हुआ। कुछ काम जिला परिषदों ने और कुछ काम पी० डब्लू डी० ने किया। मैं सब जगह को नहीं कह सकता लेकिन कई जिलों में मैंने देखा कि जहां पी० डब्लू० डी० से काम हुआ वहां काम हो पाया और जहां जिला परिषदों द्वारा हुआ वहां काम नहीं हो पाया। रुपया बरबाद हुआ। इसलिये यह जरूरी है कि जनशक्ति योजना का काम पी० डब्ल्यू० डी० से लिया जाय।

सड़कों के बारे में यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात का जिक्र है कि ग्रामीण सड़कों पर हम ज्यादा जोर देंगे लेकिन पैसे की कमी की वजह से इस बजट में मैं उतना जोर नहीं देखता। यदि ग्रामीण सड़कों पर अधिक जोर दिया जाय तो अच्छा हो क्योंकि खाद्य समस्या हमारे सामने है और उसका हल तभी सम्भव है जब किसान को उचित दाम मिलें और वह अपना अन्न मंडियों में ले जा सके। तो ग्रामीण सड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाय।

एक योजना पी० डब्ल्यू० डी० में चल रही है टोल फंड योजना। जो पुलों पर टोल वसूल किया जाता है उससे दूसरे पुल बनते हैं और जो पुल प्लान में नहीं आते उनके लिये यह योजना है। इस योजना के मातहत कितने पुल लिये गये हैं इसका मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाया और मैं नहीं कह सकता कि इस बजट में वह है भी या नहीं, अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो होना चाहिए और देहातों में जहां पुलों की आवश्यकता है वहां इस योजना के सहारे नये पुल बनाये जा सकते हैं। इससे ग्रामीण जनता को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सहूलियत होगी।

आपका रिसर्च विभाग है और एक संपोजियम का रिवाज है। रिसर्च पर जितना अधिक ध्यान दिया जाय उतना अच्छा है। आज का युग स्पेशलाइजेशन का युग है इसलिये इस विभाग को बढ़ाना चाहिये और इस पर खर्च करने में कोताही नहीं की जानी चाहिये क्योंकि अगर विचार गोष्ठियों में या रिसर्च में खर्च कम किया जायगा तो वह कोयले पर मुहर लगाने वाली बात होगी। इसलिये इसको बढ़ावा मिलना चाहिये।

आपकी हिल रोड्स भी, चौथी योजना में विचार था कि ज्यादा हों। हमारे कई भाइयों ने कहा कि दुश्मन हम पर आतंक जमाने की कोशिश कर रहा है इसलिये कुमायूं और गढ़वाल आदि की सड़कें उन्नत दशा में होनी चाहिये। यह हमारे लिये लाभदायक होगा।

इंजीनियर्स की कमी करने का प्रश्न है। जब पैसा नहीं होता तो छटनी हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छटनी किस की हो? ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिये कि जिनको आप जब चाहें पा सकें। ऐसा होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आपके पास जो ट्रेंड इंजीनियर्स हैं उनकी आप छटनी कर देंगे और उसके बाद यदि आपको प्लान बढ़ाना पड़ा तो आप को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आप फिर जो इंजीनियर्स को रखेंगे उनको दो साल तो ट्रेंड करना होगा। इसलिये ट्रेंड इंजीनियर्स की छटनी करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिये और जहां तक हो सके उनको आप अपने हाथ से न जाने दें।

अन्त में एक बात आप से कह दूं कि तमाम आलोचनाओं के होते हुए भी आपके इस विभाग में इंजीनियर्स की एक अच्छी टीम है। काली भेड़ें सब जगह होती हैं, यहां भी होंगी। उनको जितनी सजा मिले थोड़ी है, लेकिन मैंने दूसरे सूबों के इस विभाग को भी देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विभाग में हमारे पास भले इंजीनियर्स की एक अच्छी टीम है और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। काम करने के लिये दोषी केवल अधिकारी ही नहीं होता काम करने वाले के साथ-साथ काम लेने वाले पर भी उसका उत्तरदायित्व होता है। आप उनको काम बतला दें, साधन उपलब्ध करा दें और निश्चित रूप से अपना दिमाग बतला दें कि आप की आवश्यकता क्या है, उनको आवश्यक धन दे दें और उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो निश्चित ही आपका काम अच्छा होगा। उसके बाद काम करने के लिये आप स्वतंत्र रूप से उन्हें छोड़ दें, काम अच्छा होगा। काम करने के वक्त आप कोई इन्टरफीएरेन्स न करें।

कान के कच्चे होने से या किसी ने किसी अधिकारी की शिकायत कर दी, आपने उसके खिलाफ ऐक्शन ले लिया इससे काम नहीं चलेगा। हमेशा दूसरों को भी कहने का अवसर होना चाहिये। आप के विभाग की इतनी क्षमता है कि वह जितना अनुदान रखा गया है उससे भी दुगना खर्च साल भर में कर सकता है। (लाल बत्ती होने पर) इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामअधार (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने १५ हजार कर्मचारियों को स्थायी करने तथा उनको अन्य सुविधायें देने की घोषणा की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेसी प्रशासन में अधिकारियों द्वारा जो ठेके दिये जाते थे और उनमें ओवरसियर्स, इंजीनियर्स तथा अन्य अधिकारियों का प्रतिशत बंधा होता था, स० वि० द० की सरकार के आने पर उसमें भी कमी हुई है, अधिकारियों में आज एक खलबली मची हुई है, वे घबराने लगे हैं। यह जो प्रतिशत था वह कांग्रेसी जमाने में टेन्डर में ही शामिल हुआ करता था। बाद को वह सब लोग बांट लिया करते थे।

(व्यवधान)

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति के दुरुपयोग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति का अभी तक बहुत नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़कों पर इन्क्रोचमेंट हुये हैं, कलेक्टर के आदेश यह होते हुये भी कि जो इन्क्रोचमेंट करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी, आदेशों की अवहेलना हुई है। पिछले २० सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति का जो अपव्यय हुआ है, उससे बड़ा नुकसान इस विभाग को हुआ है। इस विभाग की जो भी सम्पत्ति कहीं पड़ी होती है उसको लावारिश समझा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे इस दुरुपयोग को रोकने की कृपा करें।

अब मैं अपने यहां की अछल्दा–बिधूना सड़क की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिधूना तहसील बहुत पिछड़ी हुई है। वहां की यह सड़क इतनी खराब है कि वहां न तहसीलदार जाना पसन्द करता है, न डाक्टर जाना पसन्द करता है। कांग्रेसी प्रशासन के २० सालों में तो वह और भी खराब हो गयी है। इसको पक्की सड़क बनाने की कृपा की जावे। यह जो पक्की सड़क है उस पर सैकड़ों मोटर आदि चलते है, बीच में एक व्यापारिक मंडी भी है, लेकिन फिर भी १० मील का टुकड़ा अत्याधिक खराब है। तो वे पक्की, लेकिन वे कच्ची से भी बदतर हैं और दस मील का टुकड़ा लारी से भी डेढ़ घंटे में तय हो पाता है। बिधूना से इटावा जाने को यही एक सड़क है जो इटावा में कचहरी तथा दूसरे स्थानों के लिए है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अछल्दा–बिधूना सड़क, जो कानपुर, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों को मिलाती है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इसी सड़क के कारण ही अहरवा, कटरा, सहार और अछल्दा बिधूना इन चारों ब्लाकों का विकास अवरुद्ध है। माननीय मंत्री जी स्वयं वहां गये थे और उन्होंने उसको देखा है। वहां की जिला परिषद् ने भी प्रस्ताव पास किया है कि अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग चाहे तो वह सड़क को ले सकता है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिला परिषद् द्वारा इस सड़क को प्राथमिकता भी दी गई है। मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क को अपने कब्जे में ले ले। जिला परिषद् के पास तो रुपया है नहीं।

[श्री राम अधार]

सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो पूरा बजट होता है उसका रुपया आमतौर से लैप्स हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनकि निर्माण विभाग के पास पैसा है और वह अगर इस सड़क में लगा दे तो इस सड़क का सुधार हो सकता है। मैं तो यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग कृपा करके इस सड़क को ले ले। इस तहसील में विधूना से एक सड़क हरचन्दपुर होते हुए दिबियापुर को जाती है। वहां की जनता २५–३० मील का चक्कर काट कर इस पर आती जाती है। इसलिये इस सड़क का निर्माण भी शीघ्र होना चाहिये। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं आज कल एक ऐसी हवा सी चल रही है और लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ठेकेदार ठेका लेते हैं तो उसमें आमतौर पर गड़बड़ी करते हैं। जैसा कि और भी सदस्यों ने कहा है कि उसमें वे आठ परसेंट से भी अधिक बालू मिलाते हैं और जिससे कितने ही ऐसे पुल, इमारतें हैं जिनका समय गुजरे पांच साल, दो साल भी नहीं बीते या बाज बाज तो एक ही साल में खराब हो गये। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कामों पर सख्ती होनी चाहिये। यद्यपि मैं मानता हूं कि जब से माननीय मंत्री जी ने चार्ज सम्हाला है इस मामले में काफी सुधार हुआ है। कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों और ओवरसिवरों में इस बात की घबराहट है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार ने जो घोषणा करप्शन को दूर करने की की है उससे वह कुछ दूर हुआ है। अगर सरकार कुछ और सख्ती करे तो मैं समझता हूं कि करप्शन काफी हद तक दूर हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे समय दिया। पहिले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुस्तिका है इसमें प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि "सड़क निर्माण क्षेत्र में प्रदेश का यह लक्ष्य है कि खेतिहर क्षेत्र का कोई भी गांव पक्की सड़क से चार मील से अधिक दूर न रह जाय।" यह तो आपने अपना लक्ष्य रक्खा है। पर मालुम हो रहा है कि यह लक्ष्य तो केवल किताब में ही है और अमली बात इससे अलग है और वह अब नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस ने जो पिछले २० सालों में किया उसका कुछ लेखा जोखा आपने दिया। आपने स्वयं बताया है कि पिछले १५ वर्षों में जितनी सड़कें और पुल बने हैं उतने पिछले १५० सालों में नहीं बने। लगभग २०० पुल बने हैं और करीब ४८ बड़े पुल बनाये जा रहे हैं। यह सब सिद्ध करता है कि पिछले बीस सालों में कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है। लेकिन आप केवल द्वेषवश कहते हैं कि २० सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। यही कारण है कि आज बीस सालों का नारा सरकार की ओर से कम लगाया गया है।

जहां तक करप्शन का सवाल है। इसके लिये स्टाफ ज्यादा जिम्मेदार है। कहा यह जा रहा है कि करप्शन पहले से कम हुआ है लेकिन यह बेबुनियाद बात है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट बदली थी तो शुरू में लोगों को थोड़ी घबराहट हुई थी कि चौधरी चरणसिंह सख्त आदमी हैं लेकिन बाद में खुशामद, बरामद से फिर वैसा ही वातावरण हो गया है। आज फिर वही जिसका जैसा मन होता है वैसा ही खाने कमाने लगा है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर मैं दिलाना चाहता हूं कि १४ अप्रैल, ६७ को जब माननीया इन्दिरा गांधी जी रायबरेली गयी थीं तो बड़े बड़े अधिकारियों ने वहां पर बहुत से वायदे किये थे कि इन पुलों को बनवा दिया जायगा और इन सड़कों को पक्का करवा दिया जायगा लेकिन किसी भी वायदे की पूर्ति नहीं की गयी है। मैं प्राथना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालें।

यह सरकार अपने को गरीब और मजलूमों की सरकार बताती है लेकिन जो ६ हजार रुपये सालाना से ज्यादा कमाते हैं उनके लिये हाउसिंग स्कीम रखी गयी है और ६ हजार से नीचे वालों

की हाउसिंग स्कीम को खत्म कर दिया गया है। सरकार के दिमागी दिवालियापने का यह नमूना है कि वह लो इनकम ग्रुप की स्कीम को खत्म कर रही है और मिडिल इनकम वालों को सहूलियत दे रही है। इस पर मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिये।

यहां पर काफी अर्से से यह सुनाया जा रहा है कि हमने केन्द्र से मदद के लिये प्रार्थना की लेकिन केन्द्र ने उसको स्वीकार नहीं किया, और सहायता नहीं दी। लेकिन आपके यहां भी इस प्रदेश में कुछ ऐसे उपेक्षित जिले हैं जिनका खून पहले ही जमींदारों और ताल्लुकेदारों ने चूसा था और आज आप उनका खून चूस रहे हैं। लेवी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं लेकिन उनका विकास तथा कन्सट्रक्शन करने के लिये उन पर आपको कोई दया नहीं आती, न उनके साथ आप न्याय ही करते हैं, न किसी सिद्धान्त पर ही चलते हैं। फिर आप क्यों केन्द्र से सहायता के लिये चिल्लाहट करते हैं। जब से आपने इस सूबे की बागडोर अपने हाथ में ली है आप उन छोटे छोटे जिलों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में आप से ज्यादा खून दिया था। अगर आप इन जिलों की उपेक्षा करेंगे तो याद रखिये कि आप के साथ भी वही व्यवहार केन्द्र करेगा और जो कुछ कसर उस व्यवहार में रहेगी तो हम आप की पोल केन्द्र में जाकर खोलेंगे अगर आप इसी तरह से छोटे जिलों की उपेक्षा करने से बाज नहीं आवेंगे। एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर से पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बात कही, लेकिन जिस नगरी में आपका यह विधान भवन बना हुआ है, इस राजधानी लखनऊ के ५०—६० मील की परिधि में जो जिले हैं वही इस प्रदेश की रक्षा कर सकते हैं जो आप २०० मील की दूरी से नहीं कर सकते। यह वही अवध के ६० मील की रेडियस के जिले हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी और वही जिले फिर जब समय आयेगा रक्षा के लिये पहले आगे आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—

रायबरेली वहां से कितनी दूर है?

श्री मदन मोहन मिश्र—

सिर्फ ५० मील। रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ —यह अवध के जितने भी जिले हैं यह हर तरह से उपेक्षित रहे ह । इनको पहले अंग्रेजों ने लूटा और जो कसर पहले रह गई थी वह अब आपने लूटना शुरू किया है।

(एक आवाज—मेरठ सबसे आगे था।)

आजादी की सड़ाई में मेरठ तो पहले ही बोल गया था, उसने ही सब चौपट कर दिया था वर्ना हम १८५७ में ही कामयाब हो चुके होते और आजादी मिल गई होती। फिर भी हमारे सब भाई और हम नहीं चाहते कि कोई भी जिला उपेक्षित हो, सभी पुष्पवित, पल्लवित हों, फूलें फलें, पूरा सूबा हमारा ऊपर उठे लेकिन हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हमें भी उठा कर हमारे जिलों का भी कल्याण किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो समझ लीजिये कि बड़ी मुसीबत आने वाली है और अवध अब चुप नहीं बैठने वाला है, इतनी चेतावनी म दिये देता हूं।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां की रायबरेली—फैजाबाद रोड जो सिधौना होकर गुजरती है और जिस पर साल में लाखों आदमी चलते हैं उसको पक्की कराया जाय। रायबरेली—परशदेपुर रोड जो लोधवारी आटी होकर गुजरती है वह भी बहुत खराब हालत में है उसको पक्का कराना जरूरी है। इसके अलावा जो सड़क सलोन-जगतपुर—डलमऊ होकर गुजरती है वह भी बहुत खराब दशा में है उसकी तरफ भी विभाग ध्यान दें और पक्की करावें। इस पर लाखों आदमी साल में पास होते हैं और लोगों को बहुत कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त

[श्री मदन मोहन मिश्र]

एक और रोड है कुचरिया बेला, भैला, बेला गुसीसी और बेला-टिकई इसको शीघ्र ही पक्की रोड कराया जाय। इसके अलावा एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि रायबरेली जिला इस सरकार की आंख में ऐसा खटक रहा है जैसे किसी की आंख में किरकिरी पड़ जाती है क्योंकि वहां से आठों कांग्रेसी विधायक ही सफल हुए हैं। मैं आप को बता दूं कि इस तरह से अगर हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो वह आप के लिए शोभनीय न होगा और हमारे साथ यह बड़ा अन्याय होगा। हमें आशा है कि १३ लाख की आबादी वाले रायबरेली जिले के साथ आप किसी तरह के अन्याय का व्यवहार न करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय समाप्त। आप बैठें। आचार्य दीपंकर।

*आचार्य दीपंकर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात अर्ज करनी थी और मैं इसी लिए आज बड़ी दिलचस्पी से दिन भर सदन में बैठा रहा। अब जाकर मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि आप आए और मुझे कुछ बातें कहने का अवसर मिला।

श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो काम करता है, सब लोग जान गए हैं, कोई नयी बात नहीं है, यह मोहकमा अगर किसी क्षेत्र में उन्नति करता है तो नव जागरण का भी सूचक बन गया है। किसी इलाके की कितनी उन्नति हुई, वहां पर कितनी और कैसे सड़कें बनी हैं। परन्तु इस नव जागरण को पैदा करने वाले जो हमारे मजदूर हैं, उनकी हालत आज के युग में क्या है? सड़कों के ऊपर से कारें गुजरती हैं, मोटरें गुजरती हैं और साइकिलें गुजरती हैं लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि इस बिल्कुल नयी सभ्यता और नयी संस्कृति को लाने वाले जो मजदूर हैं, उनकी उपेक्षा पिछले ब्रिटिश शासन काल में तो खराब थी ही, गत २० सालों में भी वैसी ही रही है।

जब कभी भी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते या वेतन वृद्धि का प्रश्न आता है तो इनको नजरअन्दाज कर दिया जाता है। इन बेचारों को जो सरकारी कर्मचारियों के जो डि एडवान्टेज होते हैं वे तो मिल जाते हैं लेकिन अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई एडवान्टेज मिलने वाला होता है तो वह पी० डब्ल्यू० डी० के इ कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। डि एडवान्टेज इनके जिम्मे है सरकारी कर्मचारी होने के नाते लेकिन एडवान्टेजेज नहीं हैं। जब माननीय जगनप्रसाद रावत जी मन्त्री थे तो उस समय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता २ मर्तबा बढ़ा। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय जगनप्रसाद रावत जी ने जब वे यहां पर आए उनहोंने दो बार ५-५ और ७-क रुपए देने की कोशिश की। अब की मर्तबा जब वे लोग आए और उन्होंने अपने बीच में मन्त्री जी को बुलाया तो उनसे एक अच्छा खासा आश्वासन सुनने को मिला और ५-क रुपए जो पहले मिले मन्त्री जी के समय में वे तो नहीं मिले लेकिन एक लम्बा चौड़ा आश्वासन जरूर मिला। उन्हें यह कहा गया कि तुम्हें समानता मिलेगी, बराबरी मिलेगी और दूसरे कर्मचारियों को जो छुट्टी आदि मिलती हैं, वे तुम्हें मिलेंगी और एक आनरेबिल राइट मिलेगा। हम बड़ी इन्तजार करते झोली फैलाए रहे कि मन्त्री जी से वह वरदान मिलेगा लेकिन २-३ अखबारों में यह पढ़ा कि वह वरदान यह है कि उनका जो वर्क चार्ज्ड स्टाफ है, उसको सरकार रेगुलर कर रही है अर्थात् सरकारी कर्मचारी मानने जा रही है। यहां पर भी यह एलान किया गया है कि इससे १५ हजार कर्मचारी सरकार के रेगुलर कर्मचारी हो जायेंगे। सरकारी कर्मचारी मानने से जो इम्प्लीकेशन्स होते हैं, उनको मैं मानता हूं। छुट्टी मिलेगी और जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रिविलेज होते हैं, वे सब मिलेंगे। इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह बहुत बड़ा होएक्स है, बहुत पाप है और धोखा है। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि १५ हजार वर्क चार्ज्ड स्टाफ तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो कौन-सा स्टाफ रेगुलर हो जायगा। कुल सारे पी० डब्ल्यू० डी० के जो कर्मचारी हैं, अफसरों को मैं छोड़ता हूं, सारे २१ या २२ हजार कर्मचारी हैं जबकि ४ हजार की छटनी हो रही है। पहले १ मील में एक मजदूर देखने को मिल जाता था लेकिन अब २ मील में एक मजदूर देखने को मिलेगा।

अब यातायात बढ़ गया है। पहले जिन सड़कों पर सौ कारें चलती थीं तो अब २०० कारें चलने लगी हैं और जिस सड़क पर पहले १०० ट्रकें चलती थीं अब २०० ट्रकें गुजरने लगी हैं। इस प्रकार से हर सड़क पर पहले की अपेक्षा लोड भी बढ़ गया है। तो डैमेज बढ़ गया, ऐक्सपेन्सेज बढ़े। लेकिन जो उस बोझ को ढो कर चलने वाला है वह गैंगमैन, बेलदार, गैंग मेट उनकी तादाद कम होने वाली है। सड़कें चौड़ी हो गयी लेकिन मजदूर की संख्या घट गयी। मुझे उस की चिन्ता नहीं है लेकिन मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अधिकारी हैं, मन्त्री जी के सामाजवादी विचार होने की वजह से उन के विचारों में कोई अनास्था मजदूर वर्ग के प्रति होगी यह मैं नहीं मान सकता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरशाही का जो जंजाल है, यानी अच्छी खासी सवा छः एकड़ तक आधी लगान की कटौती हो रही थी, बीच में इन्होंने दो रुपये वाली बात खड़ी कर दी, इसी तरह से वर्क चार्ज के लोगों को रेगुलर किया जायगा, उन को सरकारी कर्मचारी माना जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह जो मास्टर रोल और वर्क चार्ज की प्रथा है इसके खिलाफ लोगों ने सदा आवाज उठायी है। कांग्रेस वाले लड़ते थे लेकिन जब वे रूढ़िवादी हो गए, उन्होंने लड़ना बन्द कर दिया तो दूसरों ने उस झंडे को उठाया। समाज हमेशा प्रगतिशील रहेगा अगर कोई रूढ़िवादी हो जायगा तो दूसरे लोग उस काम को ले कर आगे आयेंगे, इसलिए यह मस्टर रोल और वर्क चार्ज की प्रथा पुराने सामन्तवादी युग का जो भ्रष्टाचार है, दमनता है उसका अवशेष है और यह पी० डब्ल्यू० डी० का विभाग उसे बचा कर रखना चाहता है। वर्क चार्ज स्टाफ की तादाद, माननीय गिरधारी लाल, भूतपूर्व मन्त्री जो थे मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम १,१०० वर्कर थे पी० डब्ल्यू० डी० के उनका रेगुलर कर के इस महकमे के मजदूरों के साथ इनसाफ किया था। माननीय जगन प्रसाद रावत न एक को भी रेगुलर नहीं किया, लेकिन ५, ७, १० रु० का इजाफा उनके वेतन में किया। लेकिन अबकी मर्तबा क्या होने जा रहा है जो वर्क चार्ज के लोग हैं जिन की तादाद ५, ६ सौ या ज्यादा से ज्यादा १,००० होगी, वे तो सरकारी कर्मचारी मान लिए जायेंगे। लेकिन बाकी जो स्टाफ है, जो मस्टर रोल का स्टाफ है उन के बारे में कुछ नहीं किया गया। मस्टर रोल क्लोज हो गया उन की लाइन क्लोज हो गयी, मस्टर रोल खुल गया उन की लाइन खुल गयी। तो उन के बारे में सरकार क्या करने जा रही है यह कोई आश्वासन सामने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी बताये कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है पी० डब्ल्यू० डी० का जिसने बड़ी-बड़ी सड़कें और इमारतें बनायीं, जो भूखे, नंगे और फटे कपड़े वाले मजदूर हैं, वे इस सरकार से कुछ आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि उन के सम्बन्ध में मन्त्री जी अपने दो शब्द अवश्य कहेंगे।

चूंकि समय कम है इसलिए मुझे जो और रचनात्मक बातें कहनी थीं उनको मैं लिख कर दे दूंगा। धन्यवाद।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, यह विभाग बड़े महत्व का है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि १ घंटा और समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा यह है कि बजाय इस के कि कोई माननीय सदस्य यहां पर खड़े होकर मांग करें, अगर समय बढ़ाने की इच्छा रहा करे तो दोपहर में दोनों दलों में आपस में बातचीत हो जानी चाहिए कि समय बढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब इस विषय में आपस में सोच लीजिए। अगर फिर आग्रह करेंगे तो मैं देख लूंगा।

मैं पहले कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को ले लूं जिन्हें में साढ़े ४ बजे लेता हूं। उसके बाद समय की बात सोच लूंगा। तब तक आप आपस में विचार कर लें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है जो कि त्रिवेणी राय जी का है। उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। उसे मैंने माननीय मन्त्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

छितौनी बांध कटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत ८ सूचनायें आयी हैं। उनमें से एक सर्वश्री दशरथ, राजाराम पांडेय तथा रामायण राय जी के दस्तखत से जो सूचना आई है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री मधुकर विधे (जिला गोरखपुर)--

कल आपने मेरे नियम ५१ के अन्तर्गत दिए गए प्रश्न के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था, लेकिन आज फिर आपने उस पर विचार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

जाहिर है मैंने कोई आश्वासन यह नहीं दिया होगा कि आपका नियम ५१ के अन्तर्गत जो कल प्रस्ताव था उसे आज स्वीकार कर लूंगा या जो आज आपने दिया है उसे कल स्वीकार कर लूंगा। जो भी प्रस्ताव मेरे सामने होते हैं उनमें अपेक्षाकृत महत्व के प्रस्ताव को मुझे देखना होता है। आठ प्रस्ताव आज आए और उनमें से एक स्वीकार कर चुका हूं जो मेरी दृष्टि से अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व रखता था।

श्री बाब बदरे (जिला कानपुर)--

म्योर मिल, कानपुर के बारे में मेरा एक प्रस्ताव था। मजदूरों को महंगाई और बोनस नहीं मिल रहा है। वहां बड़ा असन्तोष है। आप से कहा था....

श्री अध्यक्ष--

आपने मुझसे कहा अवश्य था। नियम यह है कि अपेक्षाकृत अधिक महत्व के एक प्रश्न को मैं स्वीकार कर लूं। अब मैं एक को स्वीकार कर चुका हूं। अब आपका जो प्रश्न है उससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है और उसे मैंने सम्बन्धित मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

श्री बाबू बदरे--

स्टेटमेंट करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह चुका कि ५१ के अन्तर्गत मैं एक प्रश्न को स्वीकार कर चुका हूं जैसा कि नियमों में है। अब माननीय सदस्य का आग्रह सुन कर यदि सम्बन्धित मन्त्री यह उचित समझें कि वक्तव्य देना चाहिए जनहित में तो वे दे सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

हजारों विद्यार्थी घूम रहे हैं। उनको ऐडमिशन नहीं मिल रहा है। हड़ताल चल रही है। तो यह प्रश्न कम महत्व का नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण एक साथ खड़े न हों। यहां पर इस सम्बन्ध में डिबेट नहीं हो सकेगी और न मैं उसकी अनुमति ही दूंगा। पहले एक सवाल बाबू बदरे ने उठाया। फिर दिघे जी ने उठाया। अन्य माननीय सदस्यगण भी उचक रहे हैं। आप लोगों को देख कर और सदस्यगण भी उठने लगेंगे।

श्री बाबू बदरे—

मजदूरों का मामला बड़ महत्व का है।

श्री अध्यक्ष—

मजदूरों के तथा विद्यार्थियों के सभी मामले महत्वपूर्ण हैं। जितने प्रश्न उठाए गए हैं सभी जिम्मेदार माननीय सदस्यों ने उठाए हैं और बड़े महत्व के प्रश्न हैं, लेकिन नियमों के कारण मजबूरी है। एक दिन में एक ही प्रश्न मैं ले सकता हूं जो ज्यादा महत्व का हो और कौन ज्यादा महत्व का है उसका निर्णय मैं कर चुका। बाबू बदरे के प्रश्न के सम्बन्ध में जो मजदूरों से सम्बन्धित है अगर सम्बन्धित मन्त्री वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मन्त्रि मण्डल के जो लोग हैं उनके प्रति कोई मेरा यह काम नहीं है कि मैं उनको आदेश दूं तभी वह स्टेटमेंट दिया करें। मैं तो उस को भेज देता हूं। अब अगर मन्त्री जी आवश्यक समझें तो वह स्वयं वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो आपने व्यवस्था दी है ठीक है, वह शिरोधार्य है। लेकिन जो आप कार्यवाही के लिए भेज देते हैं उसमें तो हमारा यह अधिकार हो जाता है कि क्या आवश्यक कार्यवाही हुई वह हम जानें। अब जो साइन्स में फेल इन्टरमीडिएट छात्रों की समस्या है.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मेरा यहां बैठ कर कोई प्रक्रिया में सलाह देने का काम नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी प्रश्न को कार्यवाही के लिए भेजता हूं तो आपको ऐसा अधिकार हो जाता है कि आप सरकार से अगर हो सके तो अल्पसूचित प्रश्नों के द्वारा पूछें कि जो आपको फलां तारीख को भेजा गया था उसमें क्या हुआ।

श्री बाबू बदरे—

श्रीमन्, उसको सरकार स्वयं चला रही है इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए। मुझसे कहने के बजाय माननीय मन्त्री जी से कहिए। मैंने उनके पास भेज दिया है। अब जो प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है वह इस प्रकार है :—

"अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित प्रश्न जो छितौनी बांध कटने से उत्पन्न हो गया है को दफा ५१ के अन्तर्गत सदन के समक्ष रखने की अनुमति चाहता हूं जिस पर मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण दें ।

(१) बड़ी गंडक नदी का कटाव मदनपुर गांव जो पिछले वर्ष नदी के बीच कटाव के कारण विलीन हो गया उसके दक्षिण तरफ कटाव हो रहा है। उसके सामने पुराना बन्धा कटने का खतरा है। उसके कटने से नदी का पानी सीधे मुख्य गंडक नहर में आ जायगा और मुख्य नहर ही बड़ी गंडक होगी जिससे भेड़ीहारी से पडरौना तक वरही सभी क्षेत्र नदी से परेशान होंगे। कटाव जारी है ।

(२) नव निर्मित ठोकर के पश्चिम पुराना ठोकर इंजीनियर लोग काट रहे हैं जिससे नए ठोकर के धंसने का खतरा हो गया है। साथ नए ठोकर के अभी पुराने बन्धे को भी नए ठोकर के पूर्वी भाग के सटेरी काट कर नदी का पानी रिंग बांध के बीच गिरा रहे हैं जिससे नदी का पानी सीधे नए बांध पर टक्कर लेकर उसे बहा देगा तथा बाढ़ का भयंकर रूप धारण कर लेगा। मैं स्वयं देख कर आया हूं बाढ़ आ गई है।

(३) इस समय नए रिंग बांध के बीच भेड़ीहारी वगा का आधा हिस्सा कट गया है। वगा और रिंग बांध के बीच की दूरी लगभग १०० गज है जिससे नए बांध को भीषण खतरा उत्पन्न हो गया है। बांध का कट जाना सम्भव प्रतीत हो रहा है जिससे भयंकर प्रलयकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जनता का जनजीवन खतरे में है। कटाव जारी है। बुलहवा में बाढ़ आ गई है।"

अब माननीय सिंचाई मन्त्री जी, आप अभी भाषण देंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

बात यह है कि आज इसकी स्वीकृति मेरे पास पहुंची नहीं थी। अब आपने स्वीकार कर लिया है तो मैं अगले मंगलवार को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहूंगा कि अगले मंगलवार को आप वक्तव्य तो दे दें लेकिन इसमें जो सूचना दी हुई है उसमें जो कार्यवाही आप उचित समझें वह इस बीच में आप करते रहें।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मैं यह समझता हूं कि यह सूचना छितौनी के सम्बन्ध में दी गयी है। तो मैंने अपने अधिकारी वहां भेज दिए हैं और मेरा खयाल है कि कल तक वे वहां से सूचना ले कर आयेंगे। तो शुक्रवार को भी एक जो पहले आपने स्वीकृत किया था उसका वक्तव्य है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी उसी दिन दे दूं।

श्री अध्यक्ष—

दिन आप अभी निश्चय कर लें।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

तो फिर इसके लिए मंगलवार को रखिए।

श्री मेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, छितौनी बांध इस प्रदेश के लिए सिर दर्द हो गया है। हर सत्र में, श्रीमन्, हमेशा यहां छितौनी बांध, छितौनी बांध की बात आती रहती है। हम चाहते हैं कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी जब इस पर मंगलवार को वक्तव्य देंगे तो पूर्ण रूप से यह बतलावें कि आखिर कारण क्या है। छितौनी बांध के सम्बन्ध में इस दफा सारा मामला निश्चित हो जाय क्योंकि छितौनी बांध ने इस सदन का जितना समय लिया है उतना किसी और विषय ने नहीं लिया है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि आज से कुछ दिन पहले जब यह प्रश्न उठाया गया था तो माननीय सिंचाई मन्त्री ने सदन में आश्वासन दिया था। मान्यवर, यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि यह बांध इस वर्ष भी टूट जायगा। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री अश्वनी कुमार--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ....

श्री अध्यक्ष--

माननीय अश्वनी कुमार जी, अच्छा हो कि एक मिनट बाद आप इस प्रश्न को उठावें।

श्री रामायण राय--

मैं निवेदन कर रहा था कि मैं स्वयं भी वहां गया था और मौजूदा सिंचाई मन्त्री भी वहां तशरीफ ले गए थे। उन्होंने वहां आश्वासन दिया था कि इस वर्ष ऐसा प्रबन्ध किया गया कि इस बांध के टूटने की कोई आशंका नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वक्तव्य तो आप मंगल को देंगे ही लेकिन आवश्यक आदेश आप आज ही भेज दें वरना पूरा जिला, नहीं तो आधा जिला इससे अवश्य ही प्रभावित होने वाला है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय रामायण राय जी ने कहा, जब यह प्रश्न उठा था तो मैंने ही प्रश्न के जरिए यह आशंका प्रकट की थी और माननीय मन्त्री जी से यह प्रश्न किया था कि क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की आशंका है कि जो बांध बना है अगर उसे कहीं पानी ने तोड़ दिया तो पूरी सुरक्षा पंक्ति ही टूट जायगी जिससे बाढ़ के आ जाने और पानी के फैलने का डर है? मेरा ही सवाल था और माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि इसको हम दिखवा लेंगे। पानी का यह गुण होता है कि जब उसे रोकने की चेष्टा की जाती है तो वह छुई-मुई की तरह से सकुच जाता है। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात आयी कि बांध जहां से शुरू होता है, ऐसा लगता है कि पानी आगे को उधर ही जायगा। छुई-मुई एक फूल होता है जिसकी तरह से वह सकुच जायगा। तो माननीय मन्त्री जी अपने चीफ इंजीनियर को, अपने इंजीनियर को वहां भेजें ताकि वे पूरे बकाया का पता लगा कर दें, वरना पूरे देवरिया जिले का नाश हो जायगा।

श्री अश्वनी कुमार--

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि नियम ५१ के अन्तर्गत जो छितौनी बांध के सम्बन्ध में प्रश्न था उसको आपने स्वीकार कर लिया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे इस पर वक्तव्य देंगे। फिर यह कहा गया कि वक्तव्य देने से पहले उस पर कार्यवाही हो जाय। फिर उसके ऊपर उस दिन बातचीत हो जायगी। जब उस दिन भी बात होगी ही और आज आपने इसके सिवा कोई दूसरा सवाल लिया नहीं, तो आपके स्वीकार कर लेने के बाद किस नियम के अन्तर्गत यह बात चल रही है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय अश्वनी कुमार जी, जो बात मैं कहने वाला था शायद उसके सारे शब्द स्वयं आपने ही कह दिये । मैं ठीक यही बात कह रहा था कि इस विषय में माननीय मंत्री जी ने भी स्वयं कहा कि वक्तव्य मंगलवार को देना ठीक है ताकि उसकी पूरी जानकारी आ जाय । जैसा कि माननीय नेकराम जी ने इच्छा व्यक्त की और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिये जिसकी समय-समय पर यहां चर्चा होती रही है । मैंने उनसे आग्रह किया कि वे अपना आदेश स्वयं भेज दें ताकि उस पर कार्यवाही हो सके । माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर आश्वासन भी दिया कि उन्होंने ऐसा कर दिया है और अपने अधिकारियों को वहां भेज दिया है । तो मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में फिर उसको दोहराना और एश्योरेन्स मांगना कोई आवश्यक नहीं था । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह काफी होगा कि मंगल को उस पर वक्तव्य होगा ।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, पिछले ५ वर्षों से मैं यह देखता रहा हूं कि सरकारी बेंचों पर बैठने वाले जो कि आज विरोध पक्ष में बैठे हैं, हम लोगों को पूरे समय तक बोलने का भी मौका नहीं देते थे । निश्चित समय के अन्दर ही बोलने को कहते थे । आज वे मांग करते हैं कि उनको किसी भी विषय पर बोलने के लिये समय बढ़ाया जाय । तो मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित समय के अन्दर ही आप उनको बात करने का, बोलने का समय दें । आगे समय बढ़ाने की कृपा न करें । यही मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ।

श्री श्रीनाथ—

मान्यवर, जो मेरा कटौती का प्रस्ताव रहा है उस पर दोनों पक्षों के विचार मैंने सुने और अन्त में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी लोगों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है । जहां हमारे पक्ष के लोगों ने समर्थन किया है वहां सरकारी दल के लोगों ने बजट के समर्थन का नाम तो लिया है लेकिन जो बातें कही हैं वे सरकार के कार्यक्रम के विपरीत कही ह जिससे हमारे प्रस्ताव का समर्थन हो जाता है । आचार्य दीपंकर जी न बहुत आगे बढ़कर बात कही है । हमारे जो काय हुये ह उनकी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि जो घोषणा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने की है वैसी घोषणा चौधरी गिरधारी लाल जी ने की थी । मंत्री जी ने यह तो घोषणा की है कि उन कर्मचारियों को स्थायी करेंगे लेकिन इस बात की घोषणा नहीं की कि उनको आर्थिक लाभ कितना होगा और उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी । इस प्रकार जो कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा काम है और हमको बधाई देना चाहिये । सही माने में जैसा मैंने कहा था कि मजदूरों के प्रति उनकी हमदर्दी है और मैं उनकी भावना की इज्जत करता हूं । लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप उनको स्थायी करके हमदर्दी

बरतते हैं और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों जैसे ओवरसियर और इंजीनियरों की छंटनी कर रहे हैं । क्या इससे बेकारी नहीं बढ़ेगी ?

यह सरकार कहती है कि तीन महीने में हम क्या कर सकते थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हांडी के एक चावल से अंदाजा लगाया जाता है कि चावल पका या नहीं । मैंने बताया था कि बम्बई सम्मेलन में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो १९८१ तक की योजना है उसमें सड़कों की लम्बाई दूनी करने की बात है । इसके अनुसार १२२५० मील लम्बी सड़कें और बनानी हैं जो १४ वर्ष के अन्दर पूरी करनी है । जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो हर गांव सड़क से दो डेढ़ मील के फासले पर हो जायेगा । इसके लिये हर वर्ष ८७५ मील लम्बी सड़कें बनानी पड़ेंगी । माननीय निर्माण मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें सड़कों की लम्बाई का जिक्र केवल १६२ मील का है । मैं नहीं समझता कि जब हर साल इतनी लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी तो हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं । अगर सरकार इनके हाथ में रही तो प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है क्योंकि चावल वाली बात बताती है कि यह अयोग्य हैं, इनमें क्षमता नहीं है इनमें साहस नहीं है कि अधिक धन रखकर प्रदेश का कल्याण कर सकें, प्रगति कर सकें । मैं समझता हूं कि समय अधिक नहीं है और मंत्री जी भी अपने विचार रखेंगे । केवल एक बात रखना चाहता हूं कि सरकार का जब गठन हुआ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जरा आपस में बातें कम हों ।

श्री भीनाथ—

मान्यवर, सरकार के गठन के समय जब मंत्रिमंडल को विभागों का वितरण हो रहा था तो जो प्रगतिशील दल हैं उनके ऊपर जनसंघ के साथियों ने और सम्भवतः अब कांग्रेस के साथियों ने विशेष कृपा की है । विभाग कुछ इस तरह से दिये, जैसे श्री झारखंडे राय को खाद्य दे दिया, प्रभु नारायण सिंह जी को लेबर दे दिया और रुस्तम सैटिन जी को पुलिस दे दिया और जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग, सोशलिस्ट पार्टी के माननीय मंगलदेव को दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप सार्वजनिक निर्माण पर आ जाइये ।

श्री भीनाथ—

मैं यह निवेदन कर रहा था यह प्रगतिशील दल के हैं इसका कार्य आपके सामने है । माननीय मंत्री जी इस बजट पर फिर से विचार करने के लिये इसको वापस ले आयें और अपनी बुद्धि से कोई योजना बनायें जो देश की प्रगति में योगदान कर सकें । पुनः विचार करने के लिये वह इसको वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री । आप थोड़ा सा समय लें । पांच बजे से पहले प्रश्न उपस्थित करना है ।

श्री टंकधरेश्वर प्रसाद—

जब तक मतदान की कार्यवाही हो तब तक समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जब मतदान की क्रिया आरम्भ हो जाय तब यह प्रस्ताव हो सकता है ।

श्री मंगलदेव विशारद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था उस पर चर्चा करूं, इसके पहले मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन लोगों ने आज चर्चा की और शुरू में मैं जैसा चाहता था काफी अच्छे सुझाव आये ।

सबसे पहले मैं आचार्य दीपंकर जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। लेकिन आचार्य जी इतने विद्वान हैं, इतने जानकार हैं, इतने अनुभवी हैं कि सदन में जब कोई बात कहते हैं तो वह अकेले मालुम होते हैं । शुरू में मैंने इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था यों कहिये मैंने इस विषय की सूचना दी । माननीय रावत जी से जानना चाहा था । मैं आभारी हूं । वह बर्क चार्ज का मामला था । उनकी संख्या निश्चित रूप से १५ हजार है । आचार्य जी ने शंका प्रकट किया । क्या क्या कह दिया मैं जवाब नहीं देना चाहता । आचार्य जी को समझ में न आये यह मेरी गलती हो सकती है लेकिन १५ हजार की निश्चित रूप से संख्या है । उनको पेंशन, महंगाई, और अन्य समकक्ष कर्मचारियों को जो भी सुविधायें मिलती हैं सब मिलेंगी । इस पर एक करोड़ रुपये का खर्चा बढ़ जाय । ।

माननीय कटौती के प्रस्तावक श्री श्रीनाथ जी ने हरिजनों के सम्बन्ध में बातचीत की । मैं जिम्मेदारी से अपने डिपार्टमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने देखना शुरू कर दिया है और मैंने कोई नया नियम नहीं बनाया है । जो नियम बने थे वह भी काफी अच्छे थे । लेकिन उन पर ध्यान नहीं रह गया था । १८ फीसदी का नियम पुरानी सरकार बना चुकी थी । २०–२५ प्रतिशत छोटे कर्मचरियों में रखने का सर्कुलर जा चुका है । उसमें ठीक-ठीक कानून पालन करने की कोशिश की गयी है और सर्कुलर भेजे गये हैं । सरकार ने १९६२ में कानून बनाया था उसके पालन में ढीलढाल चल रही थी । छटनी होती है । हर आदमी गवर्नमेन्ट आर्डर नहीं जानता । १४ मई, १९६६ के आर्डर के अनुसार १८ फीसदी कम जहां कर्मचारी हों तो छटनी नहीं होगी । १४ मई, १९६६ के अनुसार पहले जहां गलती हुई थी छंटनी वाले आदमी वे चाहें ओवरसियर हों या क्लर्क हों या और कोई हों, वापस आये हैं ।

दबाव की बात कही गई कि दबाव में आकर मैंने कहीं ट्रान्सफर रोकने की कोशिश की । श्रीमन्, ट्रान्सफर रोका जा सकता है, उसके उचित अनुचित पर विचार किया जा सकता है इसको आपको मानना पड़ेगा । लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में दबा जैसी बात मैंने नहीं सोची कि दबाव से भी मैं कोई काम कर सकता हूं । माननीय सदस्यों को भी इसका अनुभव होगा कि मैं दबाव में आनेवाला नहीं हूं, इतना मुझे विश्वास है । जिस कर्मचारी की तरफ माननीय सदस्य का ध्यान गया, उनका मैं बड़ा आभारी हूं उनका और उनके सहायकों का भी ट्रान्सफर हुआ है, उसकी जांच चल रही है, जांच बैठाई गई है, मुझे उस मामले की पूरी जानकारी है, जो कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनको सजा मिलनी चाहिये और मिलेगी ।

इस थोड़े समय में काम बहुत हुआ है और हमें बताने को उसे समय कम है । सरकार में भ्रष्टाचार है । श्रीमन्, भ्रष्टाचार इतना आम जीवन में हो गया है कि उस शब्द को बदल दिया जाय या उसकी परिभाषा कुछ बदल दी जाय तो ठीक रहे । भ्रष्टाचार जीवन में आ गया है यह ठीक है, लेकिन यह कहना किसी विभाग विशेष के कर्मचारियों में ही भ्रष्टाचार है ठीक नहीं है, यह चीज गलत है । हम और आप सभी उसमें शामिल हैं । यह जो भ्रष्ट लोग हैं वे हमारे और आपके ही घरों के लोग हैं और हमारे ही बीच के ये लोग हैं, जिन्हें हम लोग जाने अथवा अनजाने सहयोग भी दिया करते हैं। आपसे मिल जुल कर ये लोग रहते हैं इसलिये भ्रष्टाचार की बात इस रूप में नहीं कही जा सकती है । भ्रष्टाचार की बात कही जा सकती है तो उसका बहिष्कार किया जाये,, उनके साथ चाय पीना गुनाह समझिये, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं । अगर आपके मन में हो कि वे धनी हैं, सम्पन्न हैं, बड़े आदमी हैं, उसकी तीन तल्ला कोठी है,

चमकती हुई कारें हैं, उसके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है और उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहें फिर वहां आकर भ्रष्टाचार की बात करें तोवह शोभा नहीं देता और उस तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो भी नहीं सकता । मैं आपका सहयोग चाहूंगा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये । गलत कामों को समाप्त करने में हमारी बहुत दिलचस्पी है और उस दिलचस्पी को आगे बढ़ाने और मेहनत करने में मैं आपका सहयोग चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो अनुदान रखा गया है उसे पास होने दें और अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

अनुरोध का तो कोई प्रभाव हुआ नहीं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

कमी करने के उद्देश्य.—नीति की आलोचना करना और सुझाव देना कि—

(१) आजमगढ़ में मऊ-सुल्तानीपुर सड़क का शीघ्र निर्माण हो,

(२) मुहम्मदाबाद-गोहना (आजमगढ़) में टौंस नदी पर पुल का निर्माण किया जाय आदि ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,६५,६५,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,११,३९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य-अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६२,६४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ११,६८,०८,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और परसों ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर शुक्रवार, २१ जुलाई, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रवाल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१९ जुलाई, १९६७ ।

उत्तर प्रदेश सभा

मत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७१ पर)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्य कटौती के प्रस्ताव

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम		प्रस्ताव का रूप
१	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य-पद्धति को प्रभावी और भ्रष्टाचार-हीन बनाने हेतु आवश्यक कार्य-क्रम निर्धारित करना, नीतियों में परिवर्तन करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—चर्चा करना व अल्मोड़ा जिले तथा उत्तराखण्ड के लिये सुझाव देना ।
३	श्री राजनाथ सिंह	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य—(१) सम्पूर्ण नीति की आलोचना । (२) शिथिलता एवं निष्क्रियता की चर्चा । (३) सम्यक् सुझाव ।
४	श्री कल्पनाथ सिंह	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना एवं सुझाव देना ।
५	श्री कृष्ण सिंह	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग में अपव्यय का बोलबाला, अपव्यय को को समाप्त करने की नीति अपनाना ।
६	श्री माता प्रसाद	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—पटेल योजना की सड़कों के निर्माण की प्रगति के धीमापन की आलोचना करना, जौनपुर से पी० डब्ल्यू० डी० डिवीजन के तोड़े जाने के प्रति असन्तोष प्रकट करना एवं जौनपुर पी० डब्ल्यू० डी० डिवीजनल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाना ।
७	श्री चन्द्र कुमार त्रिवेदी	..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

क्रम सं०	प्रस्तावक	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य---नई सड़कों एवं पुलों के निर्माण की ओर उदासीनता की आलोचना करना ।
८	श्री मुनीन्द्र पाल सिंह ..	भव घ के उपमद (क) ---साधारण राजस्व से वित्त-पोषित निर्माण कार्यं के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य---जिला पीलीभीत में बीसलपुर-पूरनपुर सड़क अधूरी बनाई जाने के फलस्वरूप आवागमन की असुविधायें हैं तथा बीसलपुर से सहजाजपुर सड़क पक्की कराई जाय, इस पर चर्चा करना और सुझाव देना ।
९	श्री भगवती सिंह विशारद ..	मद घ के उपमद (क)---साधारण राजस्व से वित्त-पोषित निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य---जिला उन्नाव की तहसील पुरवा में बीघापुर पुरवा तथा अचलगंज पुरवा सड़क के पक्की न कराये जाने के फलस्वरूप आवागमन में कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना और तत्सम्बन्धी सुझाव देना ।
१०	श्री बलबहादुर सिंह ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य---विभाग की नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।